खण्ड-208, अंक-2
मंगलवार, 1 पौष, शक संवत् 1881
(22 दिसम्बर, 1959 ई0)

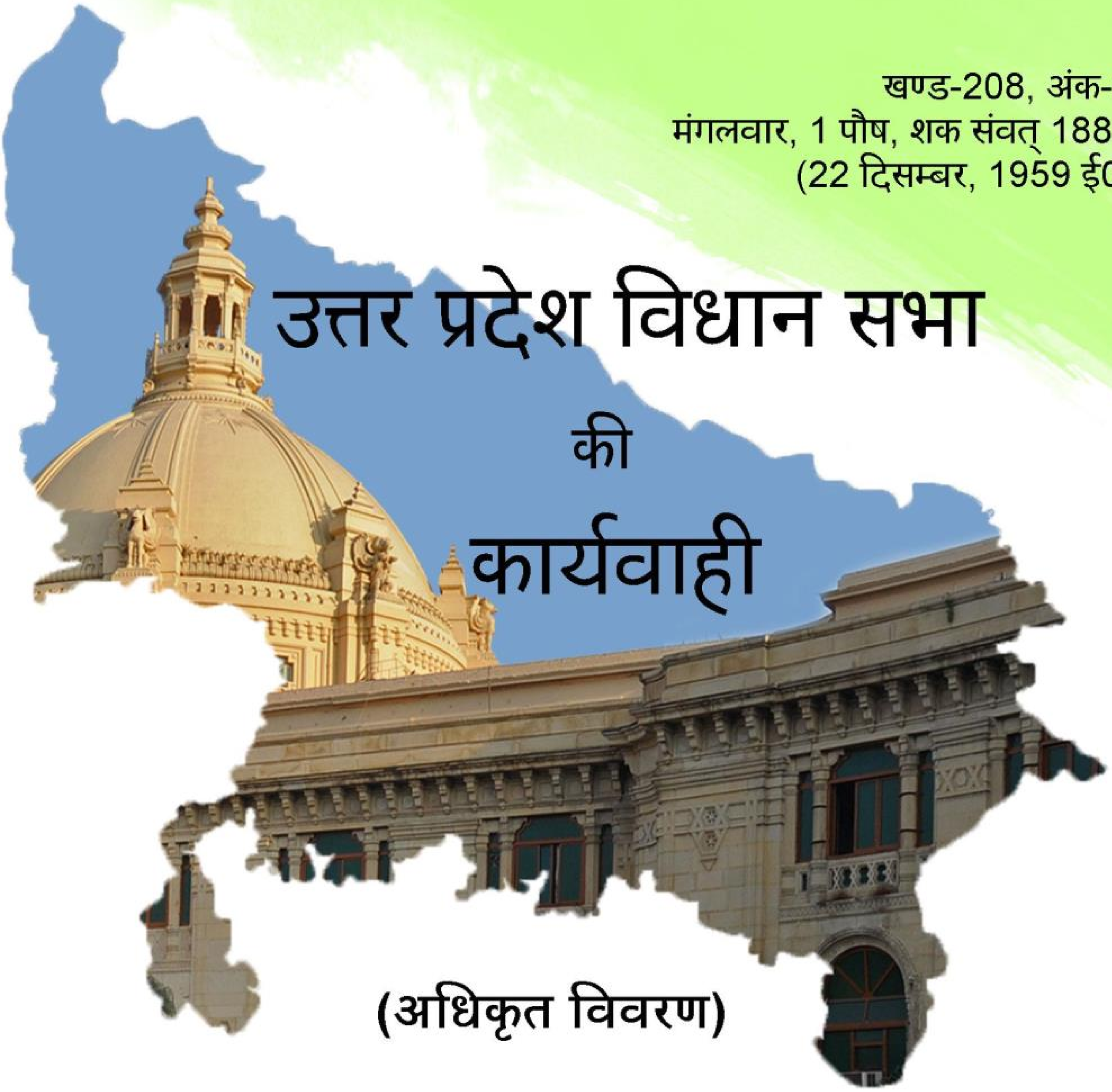

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५९

2085

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्रीसैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय,श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वर प्रसा श्री
नारायणदत्तद, तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजरानारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैम, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोनहलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपयी, श्री

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्तकाण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति मिलने में विलम्ब

**१---श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के १०वीं कक्षा से ऊपर वालों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अभी तक क्यों नहीं मिली जिसको भारत सकार जुलाई के माह में ही दे देती थी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---अभी तक लगभग ५,००० ऐसे विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति स्वीकार की जा चुकी है और अन्य के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

यह कहना ठीक नहीं है भारत सरकार इस छात्रवृत्ति को जुलाई माह में ही वितरित कर देती थी।

विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए समिति नियुक्त करने की प्रार्थना

**२---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार सिंचाई, विद्युत्, सार्वजनिक निर्माण विभाग व स्वायत्त शासन विभाग के निर्माण विभाग की भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच के लिये एक कमेटी योग्य, उच्च श्रणी के इंजीनियरों की देख रेख में बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी नहीं। सरकार ऐसी समिति बनाने की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन विभागों के संबंध में मैंने प्रश्न किया है उनमें गबन के जो केसेज हैं अगर उनकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त कर दी जाय तो वह निष्पक्ष रूप से जांच करने में समर्थ होगी ? इसके सम्बन्ध में उनकी क्या राय है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राय का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। गबन के बहुत से केसेज हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता; लेकिन अगर हों तो उनकी जांच हो रही है और होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चूंकि विभिन्न विभागों की जांच में अलग-अलग आदमी नियुक्त करने में असुविधा होती है, और उसके स्थान पर एक समिति नियुक्त करने में पैसे की बचत होगी इसलिये ऐसा करने में उनको कठिनाई क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसकी जरूरत नहीं मालूम होती। हर विभाग के अलग-अलग प्रश्न होते हैं, अलग-अलग परिस्थिति होती है और अलग-अलग दृष्टि से मामले को देखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सबके लिये एक कमेटी बना देने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें और विभागों से ज्यादा हैं, इन भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने का कोई विशेष प्रयत्न कर रहे हैं या साधारण तरीके पर ही जांच करा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भ्रष्टाचार की बाबत मैं खासतौर से नहीं कह सकता लेकिन हमने एक विशेष व्यवस्था इसी साल मार्च में की है। एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर और दो असिस्टेन्ट टेक्निकल एग्जामिनर हमने नियुक्त किये हैं और इसकी सूचना निकाल दी गयी है। उनके जिम्मे यह काम है कि जो काम हो रहे हैं उनको समय समय पर देखें कि ठेकेदारों के बिल ठीक हैं या नहीं, कहीं ज्यादा रुपया तो नहीं खर्च हो रहा है, काम ठीक समय पर हो गया है या नहीं। इस प्रकार उनका बहुत लम्बा चौड़ा काम है। इसी मार्च में हमने उनकी नियुक्ति की है और अगर इससे काम नहीं चलेगा तो कुछ और सोचने की जरूरत पड़ेगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जो शिकायतें आयी थीं उनके सम्बन्ध में कोई जांच करने का आश्वासन सदन को दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी विशेष मामले की जांच के लिये मैंने कहा होगा तो उसकी जांच हो रही होगी। इस समय मैं नहीं बतला सकता कि वह किस स्टेज पर है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—यह जो मार्च में समिति बनायी गयी है उसने अब तक क्या-क्या काम किये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई समिति नियुक्त नहीं की गयी। मैंने निवेदन किया था कि एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर हैं और दो उनके असिस्टेंट हैं। वह, जितने काम हो रहे हैं, उनको देखते होंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ विभागों की जांच वे अवश्य करा रहे हैं, तो क्या यह बतायेंगे कि कौन-कौन से विभागों की वे जांच करा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने तो यह नहीं कहा कि मैं किसी विभाग की जांच करा रहा हूं। मैंने कहा था कि अगर किसी विभाग में कोई गबन आदि की बात है तो उसकी जांच हो रही होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो यह कमेटी है उसमें कौन-कौन-से लोग हैं और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतना तो मैं फिर कहता हूं कि वह कमेटी नहीं है लेकिन उसमें चीफ टेक्निकल एग्जामिनर श्री ए० के० दास, और दो सहायक टेक्निकल एग्जामिनर श्री देशराज सिंह और गौरीकांत मिश्र हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित ।]

करछुलिया खालसा व करछुलिया ग्रांट ग्रामों को कूड़ा नदी के कटाव से क्षति

*१---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ग्राम करछुलिया खालसा व करछुलिया ग्रांट, जो कि उस्का-सोहांस सड़क पर बसा हुआ है, की आबादी को कूड़ा नदी बड़ी तेजी से काट रही है और उक्त नदी के कटाव के कारण गांव वालों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है ?

सार्वजनिक-निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---कूड़ा नदी की धारा ने इन ग्रामों के निकट की कुछ भूमि को काट दिया है, पर इस कटाव से इन ग्रामों की आबादी को खतरा होने की आशंका नहीं है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मौके की जांच कौन से अधिकारी द्वारा तथा किस तरीख को की गयी ?

श्री महावीरसिंह---जांच विभागीय लोगों ने की है । तारीख का पता नहीं है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के बाद उस गांव के कई घर उस नदी के बहाव में कट कर गिर गये ?

श्री महावीरसिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की शिकायत है कि वहां जांच करने के लिये कोई गया ही नहीं और रिपोर्ट पूछ-ताछ के बाद भेज दी गयी ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी मेरी बातों को सूचना मानकर फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---करा लेंगे ।

(२२ दिसम्बर, १९५९ के लिये निर्धारित)

सैदपुर-अमान नाला की सफाई के लिए प्रार्थना

*१---श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि जिलाधीश खीरी ने सिंचाई विभाग, सीतापुर (Irrigation Department, Sitapur) को कई बार और कई वर्षों से, सैदपुर-अमान नाला ड्रेन (Saidpur-Amannala Drain) तथा जमैठा के ताल के पानी को निकालने के विषय में लिखा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं, जिलाधीश खीरी ने अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर डिवीजन, को केवल एक बार दिसम्बर, १९५८ में इस विषय में लिखा था ।

सैदपुर ड्रेन १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में, मील १० से मील १३ फर्लांग ४, अर्थात जमैठा ताल के समीप तक साफ कर दी गई ।

श्री सुरथबहादुर शाह---मेरी जानकारी में कई बार लिखा गया है लेकिन सरकार कहती है कि एक बार। तो क्या सरकार यह बता सकेगी कि यह जो एक पत्र है, जिसमें पिछले पत्र का रेफरेन्स दिया गया है और जिससे यह प्रतीत होता है कि कई वर्षों से लिखा-पढ़ी चल रही है, इसके ऊपर कोई उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री महावीरसिंह--वह पत्र तो यहां सामने नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार को मालूम है कि यह जो अमाननाला ड्रेन है वह वास्तव में एक डिस्चार्ज ड्रेन है और उत्तर में जो ३ मील ४ फर्लांग की सफाई बताई गयी है वह बहुत नाकाफी है ?

श्री महावीरसिंह--३ मील की सफाई का प्रश्न नहीं है। जहां पर सफाई की जरूरत थी और जहां होनी चाहिये थी, वहां पर सफाई हो गयी है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह ९ तालों की एक श्रृंखला है, जिसकी एक डिस्चार्ज ड्रेन बहुत पहले से बनी हुई है, जिसकी सफाई होनी चाहिये थी, इसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पानी रुक गया है ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं, रोका नहीं गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जमैठा के ताल का पानी महमूदाबाद के ताल में हो कर गुजरता है और महमूदाबाद के ताल तक वह नाला नहीं साफ कर पाये, इसलिये जो नाला बना हुआ है पानी उसमें रुक जाता है, और अगर रुक जाता है तो उसमें क्या प्रोग्रेस करने की कोशिश वह कर रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह---जमैठा ताल, जिसका जिक्र आपने किया, इसके पास तक की जो नाली थी, वह साफ हो गयी है। किस्सा यह है कि ४ फीट २ इंच पानी इसमें सफाई के बाद भी भरा रहने दिया गया है।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या माननीय मंत्री महोदय इसको कारे फैज समझ कर आगामी वर्षा ऋतु के पहले इसको साफ कराने का फैसला करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---वह तो साफ हो गई है।

श्री सुरथ बहादुर शाह---ताल के समीप का मतलब, श्रीमन्, होता है ताल के करीब। क्या वह कार्य खत्म हो गया है या पूर्ण हो गया है ?

श्री महावीरसिंह---नाली ताल के समीप है। नाली साफ की गई है और जब नाली साफ की गयी है तो ताल का पानी उसमें से होकर निकल जायगा।

असावट बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न मिलना

*२---श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असावट बांध (गाजीपुर) में कुल कितनी जमीन किसानों से ली गई है ?

श्री महावीरसिंह---४३.५९ एकड़ जमीन ली गई है।

*३---श्री पब्बरराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन किसानों को जिनकी जमीन ली गई है मुआवजा अदा कर दिया गया है ? यदि हां, तो मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं।

*४---श्री पब्बरराम---अगर उत्तर नकारात्मक है, तो देर का कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह--मुआवजे के कागजात तैयार किये जा रहे हैं।

श्री पब्बरराम--यह कागजात कब बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री महावीरसिंह--शीघ्र ही। कोशिश हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यह जमीन कब ली गयी थी और मुआवजे के कागजात कब से तैयार हो रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडेराय--इस शिकायत को देखते हुए कि सरकार के जरिये जो जमीन ली जाती है उसका मुआवजा देने में अक्सर देर होती है, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे किसानों को जमीन का मुआवजा बहुत जल्द मिल जाया करे ?

श्री महावीरसिंह--दो सवाल एक साथ किये गये हैं। एक तो आम सवाल है। उसका जवाब यह है कि प्रयत्न हो रहा है और जो खास के लिये पूछना चाहते हैं, उसमें कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द कागजात तैयार हो जायं।

श्री प्रतापसिंह--कितने किसानों की जमीनें ली गयी हैं ?

श्री महावीरसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो जमीन बांध के लिये ली गयी, उस जमीन का लगान आज भी किसान सरकार को देते हैं ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों की जमीनें ली जाती हैं और माननीय मंत्री जी को इसके सिलसिले में जानकारी भी है कि लगान लिया जाता है। ६, ७ साल से वह जमीन ली गयी है, और इसका जवाब भी पूछे जाने पर बताया गया था कि लगान लिया जाता है, लेकिन अब नहीं लिया जायगा। मगर आज मंत्री जी इस तरह से जवाब दे रहे हैं। इस तरह से टालू जवाब देने से तो कोई पूछने का मतलब नहीं रह जाता है।

श्री अध्यक्ष--(श्री गौरीशंकर राय से) अगर आपको मालूम हो तो आप लिख कर भेज दें।

सार्वजनिक-निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इतना साफ कर दूं कि जब तक जमीन नहीं ली जाती है उस वक्त तक तो जमीन के मालिक लगान रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देते हैं। पहले प्रश्नों के विषय में जब यह बात कही गयी तो उस वक्त हमने यही जवाब दिया था कि जब जमीन सरकार ले लेती है तो उस वक्त सरकार लगान वापस कर देती है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन किसानों से कब ली गई थी और कब तक इसका मुआवजा अदा कर दिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह--इसका अभी जवाब दिया जा चुका है कि इसके कागजात यहां नहीं हैं, और अगर आप चाहें तो नोटिस दे दें। तब जरूर इसकी इत्तला दी जा सकती है।

नीभापुर नलकूप से पर्याप्त जल न मिलने की शिकायत

*५--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नीभापुर, ब्लाक बादशाहपुर, जौनपुर के द्वारा सन् १९५८-५९ की खरीफ तथा रबी की कितनी फसल की सिंचाई हुई और वह नलकूप कितने दिन चला तथा उसने प्रतिदिन औसतन कितने घंटे कार्य किया ?

श्री महावीरसिंह--वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७४ पर)

*६--श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मार्च से जून तक इस नलकूप द्वारा कितने एकड़ गन्ने की सिंचाई हुई और इस बीच उसने कुल कितने घंटे कार्य किया ?

श्री महावीरसिंह--५६ एकड़ गन्ने की सिंचाई हुई और कुल १०१५ घंटे कार्य किया।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने दिन नलकूप के बन्द रहने का क्या कारण रहा ?

श्री महावीरसिंह--जब जरूरत होती है तब चलता है, जब जरूरत नहीं होती है तब नहीं चलता है।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब खरीफ की फसल में धान की सिंचाई क लिये पानी की बहुत जरूरत होती है, फिर भी वहां पर खरीफ की सिंचाई इतनी कम हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह--नलकूप अभी हाल में चालू हुए हैं, इसलिये उनको ज्यादा व्यापक बनाने में समय तो लगता ही है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को मालूम है कि यह ट्यूबवेल या इस तरह के और बहुत सारे ऐसे ट्यूबवल हैं जिनक चालू होन के ३ वर्ष बाद भी उसकी नालियां पूरी नहीं बनी हैं ?

श्री महावीरसिंह--जैसे-जैसे नलकूप की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे नालियां तयार होती जाती हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह नलकूप बना है तब से इस पर रेकरिंग खर्चा कितना बैठा और सिंचाई में कितना पैसा आया ?

श्री महावीरसिंह--१९५८-५९ में इसने काम किया है और इस तरफ काम कर रहा है। इसमें कुल अनुमानित आमदनी ६७२ रु० हुई और नलकूप पर वार्षिक मरम्मत में अब तक ५०० रुपये खर्च हुए।

श्री शिवप्रसाद नागर--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि रेकरिंग एक्सपेंडीचर पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष--मन्त्री जी के पास अगर ब्योरा हो तो वह बतायें।

श्री महावीरसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप की क्षमता किस गति से बढ़ती है और कितने वर्षों में नलकूप अपनी क्षमता को प्राप्त करेगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं।

बलिया जिले में घाघरा के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत नदी घाघरा के कटान से कौन-कौन गांव खतरे में आ गये हैं तथा उनके रोक-थाम के लिये अब तक कौन सी व्यवस्था की गई है ?

श्री महावीरसिंह—जिन गांवों को नदी की कटान से खतरा हो गया है उनके नाम हैं करीमगंज, बेल्थरा बाजार और सहिया। कटान से रोक-थाम के लिये कोई व्यस्था नहीं की गई है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि करीमगंज, बेल्थरा बाजार और सहिया में कितने दिनों से कटान जारी है और इसकी रोक-थाम के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री महावीरसिंह—ग्राम करीमगंज के केवल ३ मकान, और बेल्थरा बाजार का १ मकान जो मन्दिर का भाग है, उसके गिर जाने का खतरा है। सहिया के किसी मकान के गिरने का खतरा नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री जी मेरी बात को सूचना मानकर उन गांवों को कटने से बचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री महावीरसिंह—आप तमाम ब्योरा लिखकर दे दें तो जरूर व्यवस्था की जायगी।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि यह कटान इसी साल या गत कुछ महीनों से ही नहीं जारी है बल्कि वर्षों से इन स्थानों पर कटान हो रही है ?

श्री महावीर सिंह—बरसात तक की बातें आ गई हैं।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन गांवों को बचाने के लिये कोई व्यवस्था जान बूझ कर नहीं की जा रही है या सम्भव नहीं है ?

श्री महावीरसिंह—खर्चे को देखते हुए फायदा कम है, इसलिये सम्भव नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि घाघरा नदी का विध्वंसकारी रूप पूर्वी यू० पी० में बहुत काफी रहता है, पूर्वी घाघरा को कन्ट्रोल करने के लिये किसी बड़ी योजना पर तीसरे प्लान में सरकार विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—फ़िलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—इस कटान से अभी तक कुल कितना रकबा कट चुका है ?

श्री महावीरसिंह—नोटिस चाहिये।

गोरखपुर में राप्ती पुल निर्माणार्थ अधिगृहीत भूमि तथा पेड़ों का मुआवजा न मिलना

*८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर शहर में राप्ती पुल-निर्माण हेतु चकरा अव्वल तथा हासूपुर के निवासियों की भूमि सन् १९५८-५९ में ली गई है ? यदि हां, तो उसका मुआवजा उन्हें दिया गया कि नहीं ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग---जी नहीं, मुआवजे का प्रश्न अभी विचाराधीन ही है।

*९---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि में जो फलदार वृक्ष थे उसका किस हिसाब से कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री महावीरसिंह---अभी मुआवजा नहीं दिया गया है।

*१०---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि में ेड़ों के काटने के पहले उनकी नाप-जोख, गिनती कर ली गई थी कि नहीं ? यदि की गई थी, तो किसने की थी और कब की थी।

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---ओवरसियर ने ।

तृतीय भाग---२१ अप्रैल, १९५८ को की थी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने १८-९-५९ को जिलाधीश गोरखपुर को कोई आदेश दिया था कि मुआवजा जल्द से जल्द अदा कर दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरसिंह---नोटिस चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---इसमें कुल कितने फलदार वृक्ष थे और उनका मुआवजा किस हिसाब से लगाया गया ?

श्री महावीरसिंह---बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष---वह टोटल संख्या चाहते हैं ।

श्री महावीरसिंह---मैं उसे पढ़े देता हूं क्योंकि टोटल करने में बहुत समय लग जायगा। जितने पेड़ काटे गये हैं उनकी संख्या यह है---रामलगन तथा राजाराम के ८६, मंगल भगत के १२७, राम हर्ष के ८२, राम अवध के ६४, सीता पेन्टर के १५०, सीता पुत्र मंगू के ३६, कुंज बिहारी के ४५४ अमरूद के, ८ फ़ालसे के, खजूर के १५, शीशम का १, ताड़ का १ कुल हुए ८४२।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---मौके पर ओवरसियर जब पेड़ों की गिनती इत्यादि कर रहे थे क्या उस समय पेड़ों के मालिकों को सूचना दी गई थी और वे लोग मौजूद थे या नहीं ?

श्री महावीरसिंह---काश्तकार ही नहीं, वहां सहायक अभियन्ता और मिस्टर नादन, कम्पनी के साइट इंचार्ज, भी मौजूद थे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या यह सही है कि मालिकों को मौके पर ओवरसियर ने नहीं बुलाया था और मनमाने ढंग से साइज़ लगा दिया था और गिनती कर ली थी, और इसकी शिकायत भी सरकार के पास आई है ?

श्री महावीरसिंह---अगर आप लिखकर दें तो जरूर पता लगा लिया जायगा ।

नदुआ ग्रामवासियों की पुनर्वासन व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*११---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में ग्राम नदुआ राप्ती नदी द्वारा हर साल कटता चला जा रहा है ?

श्री महावीरसिंह---जी हां।

*१२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के बेघर किसानों को अन्यत्र बसाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री महावीरसिंह—मलोनी बांध के पूर्व में थोड़ी दूर पर ३.०८ एकड़ भूमि बेघर किसानों को बसाने के लिये ली गई है और इस पर २० परिवार बसा दिये गये हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—अभी तक इस नदी से उस गांव के कुल कितने घर कट चुके हैं और कितने परिवार बेघर हो चुके हैं ?

श्री महावीरसिंह—नोटिस चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—इसमें कुछ जमीन लेकर जो २० घर बसाये गये हैं वे बिलकुल अपर्याप्त हैं और वहां सैकड़ों आदमी बिला घर के पेड़ों के नीचे कई सालों से गुजर कर रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री महावीरसिंह—सच्ची बात तो यह है कि लोगों से कहा जाता है लेकिन वे अपने घर नहीं छोड़ते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी पता लगायेंगे कि उनकी सूचना गलत है और उनके घर तो नदी के पेट में चले गये हैं और वे लोग इस आसरे में लगे हैं कि सरकार हमको कहीं बसा दे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

फरेंदा तहसील में बांध बनवाने के लिए प्रार्थना

*१३—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फ़रेंदा तहसील में बांध बनवाने के लिये जुलाई सन् १९५३ और २६ दिसम्बर, १९५३ को जो प्रार्थना-पत्र जनता द्वारा मुख्य मंत्री की सेवा में भेजा गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरसिंह—इन प्रार्थना-पत्रों में दो बांध बनवाने की मांग की गई थी। एक बांध घोंघी नदी पर बूरों से महुआ घाट तक और दूसरा बेलसर से गेरुई तक। इन दोनों बांधों के निर्माण पर विचार किया गया परन्तु पहले बांध की योजना की लागत अधिक होने के अतिरिक्त धनाभाव के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकी और दूसरे बांध के निर्माण का प्रश्न, जलकुंडो सरोवर और नैपाल बांध के निर्माण एवं उनके प्रभावों को ज्ञात न होने तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री जी ने यह लिखा था कि बांध बनवा दिया जाय ?

श्री महावीरसिंह—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गौरीराम गुप्त—तो फिर मुख्य मंत्री जी ने क्या लिखा था ?

श्री महावीरसिंह—वह देखने पर बता सकूंगा, इसलिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीराम गुप्त—प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इस बांध के न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह—जहां तक घोंघी नदी की बात है, इसके लिये सम्भवतः २४ लाख रुपया लगेगा और इस पर २५० रुपया प्रति एकड़ सुरक्षित करने में व्यय होगा। इससे मालूम होता है कि सुरक्षित क्षेत्र प्रति एकड़ व्यय की अपेक्षा अधिक है और धनाभाव के कारण यह योजना नहीं ली गई।

महाराजगंज तहसील में गांवों को ऊंचा करना तथा अन्य निर्माण कार्य

*१४—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में कौन-कौन गांव ऊंचे किये गये हैं और किन-किन गांवों को पटाई का कार्य अभी विचाराधीन है जो सम्पन्न नहीं हुआ और यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में जिन गांवों को पूर्णतया ऊंचा किया गया है उनकी सूची संलग्न है। न तो कोई ग्राम अपूर्ण ऊंचा किया गया है और न कोई प्रस्ताव इस समय और अधिक ग्रामों को इस तहसील में ऊंचा करने का है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७५–१७६ पर)

*१५—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में विरैचा से ढढेवा तक बाढ़ विभाग द्वारा कच्ची सड़क पर जो मिट्टी डाली गई है, उसकी पूरी योजना क्या है ? उसमें अब तक क्या प्रगति हुई तथा अब तक कितना धन खर्च हुआ ?

*१६—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह गोरखपुर जिले के छोटी गंडक नदी के दोनों किनारों पर बांध बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन व ताड़ीघाट–जमनियां सड़क को गंगा के कटाव से खतरा

*१७—श्री पब्बरराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गंगा के तीव्र कटाव के कारण पूर्व रेलवे की दिलदारनगर-ताड़ीघाट शाखा के स्टेशन ताड़ीघाट और ताड़ीघाट–जमानियां पक्की सड़क के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इस खतरे के निवारणार्थ सरकार क्या कर रही है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां। इसकी जांच की जा रही है कि इस पर कुछ किया जा सकता है, या नहीं।

श्री पब्बरराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह—इसका संबंध कई विभागों से है स्वायत्त शासन, रेलवे व फ्लड बोर्ड से भी इसका संबंध है। उनसे भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना कब प्राप्त हुई कि जमानिया-ताड़ीघाट सड़क को खतरा पैदा हो गया है और यह जांच कब से हो रही है ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये नोटिस दिया जाय तो बता सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कई विभागों से जांच कराने में ज्यादा वक्त न लगे और खतरा और ज्यादा पैदा न हो जाय, सरकार क्या इसके लिये कोई कार्यवाही कर रही है कि खतरा पैदा होने से बचाया जा सके ?

श्री महावीरसिंह—अगर आप इसको लिख कर देंगे, तो जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—आपने यह स्वीकार किया है कि गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वह इसके बारे में पूछ रहे हैं कि उससे बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री महावीरसिंह---मैंने बताया कि सड़क से १४० फीट के करीब दूर है।

श्री चन्द्रजीत यादव---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पक्की सड़क को खतरा पैदा हो गया है और सरकार ने अभी जवाब दिया कि कई विभागों से उसकी जांच कराई जा रही है। इसमें काफी विलम्ब हो सकता है। इसलिये इस खतरे को तत्काल दूर किया जाय उसके लिये क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी को भेज रही है कि वह जाकर फौरन कार्यवाही करे?

श्री महावीरसिंह---कहीं पर १३६ फीट दूर है और कहीं पर सड़क से इससे ज्यादा है। सड़क को इमीजियेट खतरा नहीं है लेकिन फिर भी खतरा तो कहा ही जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन से कारण हैं कि खतरा देखते हुए भी सरकार ने स्वयं जल्दी से जांच कराने की कोशिश नहीं की?

श्री महावीरसिंह---मैंने अभी जवाब दिया कि उसको इमीजियेट खतरा नहीं है। ऐसी आशा नहीं है कि . . .

श्री प्रतापसिंह---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मंत्री जी दूसरा ही जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। जो जवाब वे देना चाहेंगे, देंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस समय तो ऐसा खतरा नहीं है लेकिन अगली बरसात में खतरा हो सकता है; तो क्या सरकार उस समय तक प्रबन्ध करा चुकेगी?

श्री महावीरसिंह---आशा की जाती है कि उस समय तक जांच हो जायगी और अगर खतरा होगा तो उसका प्रबन्ध भी कर दिया जायगा।

बदायूं जिले में सिंचाई के कुओं को बिजली देना

*१८---**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में साल १९५८-५९ में और अब तक किसानों को सिंचाई के कुओं के लिये कितने बिजली के कनेक्शन दिये गये और उसके लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे?

श्री महावीरसिंह---१९५८-५९ में और ३१ जुलाई, १९५९ तक कुल ५९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से ४१ कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

श्री टीकाराम---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये कनेक्शंस सहकारी समितियों को कितने दिये गये और निजी लोगों को कितने दिये गये?

श्री महावीरसिंह---यह डिटेल तो मेरे पास इस समय नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री टीकाराम---क्या सरकार सिंचाई के लिये आयन्दा किसानों को बिजली का कनेक्शन देने का इरादा रखती है?

श्री गिरधारीलाल---यह तो बिजली की उपलब्धि पर निर्भर करता है। बिजली के कनेक्शन के लिये जितनी पुरानी दरख्वास्तें थीं और जिनके लिये सरकार ने वादा किया था पहले उनकी पूर्ति कर दी जायगी, और उसके बाद फिर आगे के लिये प्रश्न सोचा जायगा। सरकार की ओर से जल्दी से जल्दी बिजली देने की कोशिश होगी।

श्री टीकाराम---क्या यह सही है कि १२ मई के बाद किसानों के लिये बिजली का कनक्शन देना बंद कर दिया गया है?

श्री गिरधारीलाल--बीच में कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था लेकिन बाद में, जितनी पुरानी दरख्वास्तें कनेक्शन के लिये थीं और जिनकी जमानत ले ली गयी है तथा सरकार ने कमिटमेंट किया है तथा जिन्होंने अपने कुओं वगैरह पर खर्च किया है, उनको बिजली सरकार देगी और मैं समझता हूं कि उन लोगों को जल्द से जल्द बिजली दे दी जायगी।

राज्य में नलकूप

*१९--**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने नलकूप चल रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं ?

श्री महावीरसिंह--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रश्न किये हुए लगभग ४ महीने हो गये और सूचना एकत्र न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह--पूरे प्रांत से संबंधित प्रश्न था इसलिये कुछ समय लगेगा ही।

गोंडा जिले के बांधों में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न मिलना

*२०--**श्री धरमपाल सिंह** (जिला गोंडा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में चितौरगढ़ स्थान पर जो बंधा बनने वाला था उसमें देरी का कारण क्या है तथा क्या उक्त बंधे का पानी लाइन के दक्षिण जिला बस्ती के सरहद तक जायेगा ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--इस योजना के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धनराशि की व्यवस्था नहीं हो सकी।

द्वितीय भाग--जी हां।

*२१--**श्री धरमपाल सिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में अब तक नव-निर्मित बंधों में जो भूमि कृषकों की आ गयी है, उसका मुआवजा सरकार को कितना देना है और मुआवजा अभी तक न देने का कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह--इस धनराशि को ठीक ठीक बताना संभव नहीं है इसलिये कि जिन लोगों को मुआवजा देना बाकी रह गया उनकी धनराशि निर्णय नहीं हो सकी है, लगभग २.५ लाख रुपया देना होगा। देर होने का कारण यह है कि Land Acquisition Act के अन्तर्गत पूर्ण कार्यवाही न हो सकी।

श्री धरमपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह जान कर कि उस क्षेत्र में सिंचाई की अब तक कोई व्यवस्था नहीं है, इस बंधा को अविलम्ब बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस चीज पर गौर किया जायगा।

श्री धरमपालसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कृषकों की भूमि बंधे में ली गयी है उनसे लगान अब तक क्यों लिया जा रहा है ?

श्री महावीरसिंह--इसका तो जवाब अभी माननीय मंत्री जी ने निश्चित तौर पर दे दिया है।

कानपुर जिले में नलकूप निर्माणार्थ आदेश

*२२--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विधान सभा के ३-२-५९ के प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के अनुसार कानपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९५८-६१ ई० तक १५ नलकूप बनाये जाने की योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल--कानपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनाभाव के कारण १५ के बजाय ४ नलकूपों को बनाने का विचार है और मुख्य अभियंता को बनाने के लिये आदेश भी दे दिये गये हैं।

नारायणी नहर के निर्माण पर व्यय

*२३--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक नारायणी नहर योजना पर कितना धन व्यय हो चुका है और कितनी मील लम्बी नहर बनायी गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--७१,०७,०२४ रुपया।
द्वितीय भाग--१२८ मील २ फर्लांग।

सिंचाई विभाग के हरिजन व पिछड़ी जाति के अमीन तथा पतरौल

*२४--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में राज्य के अन्तर्गत कितने ऐसे अमीन और पतरौल हैं जो आठ वर्ष से अधिक से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, सिंचाई विभाग में ६८ अमीन और १९७ पतरौल ऐसे हैं जिन्हें विभाग में काम करते हुए आठ वर्ष से अधिक हो चुका है किन्तु वे अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं। इसका कारण यह है कि कुछ की वार्षिक रिपोर्टें असंतोषजनक हैं। कुछ को, स्थायी जगहें खाली न होने के फलस्वरूप, स्थायी नहीं किया जा सका है।

*२५--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के अन्तर्गत अमीन और पतरौलों की कुल कितनी संख्या है और उसमें कितने हरिजन पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री गिरधारीलाल--उसका विवरण यह है:--

		कुल संख्या	हरिजनों की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या
अमीन	..	१,१८४	१०	७४
पतरौल	..	३,३४०	१४६	५७९

खीरी जिले के नलकूप

*२६--**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी की तीनों तहसीलों में अलग-अलग कितने सरकारी ट्यूबवेल बने हैं और कितने और बनने वाले हैं ?

श्री महावीरसिंह--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बंशीधर शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस जन्म में यह सूचना आयेगी ? सन् ६२ के पहले आयेगी या बाद में ?

श्री महावीरसिंह--इसके लिये जल्दी की जा रही है।

बिल्हौर में जी० टी० रोड की भूमि पर अवैधानिक अधिकार के विरुद्ध कार्यवाही

*२७--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कानपुर जिले के बिल्हौर कस्बे से गुजरने वाली जी० टी० रोड के किनारे की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने की कोई शिकायतें जनवरी, १९५९ ई० से जुलाई, १९५९ ई० के बीच उसे प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--इस अवैधानिक अधिकार को हटाने के लिये अधिशासी अभियंता, कानपुर द्वारा एक नोटिस अनधिकार कब्जा करने वाले व्यक्ति को दिया गया था। चूंकि यह कब्जा निश्चित अवधि के बीत जाने पर भी नहीं हटाया गया इसलिये इस संबंध में आगे उचित कार्यवाही के लिये जिलाधीश, कानपुर को लिखा जा चुका है।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह--कार्यवाही तो मैंने बताया कि हो रही है।

नर्वल गांव के लिए जल निकास व्यवस्था की प्रार्थना

*२८--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने, मौजा नर्वल, परगना व जिला कानपुर के कुछ निचले हिस्से से जहां बाढ़ का पानी भर जाता है, जल निकास की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसके व्यय का तखमीना क्या है और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं।

*२९--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार का विचार इस योजना को श्रमदान द्वारा पूरा करने का है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास पंचांग वर्ष १९५८ तथा १९५९ में किसी सदन के सदस्य द्वारा अथवा जनता द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है यह कार्य श्रमदान द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता ?

श्री महावीरसिंह--जब कोई योजना ही नहीं है तो उसे श्रमदान द्वारा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता परन्तु कोई ऐसा पत्र किसी विधान सभा के सदस्य या जनता के व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हुआ जिनमें यह कहा गया हो कि यह काम श्रमदान द्वारा नहीं किया जा सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी स्वयं अपनी स्मरण शक्ति को ताजा कर के बता सकेंगे कि हम ने उनसे स्वतः मिलकर बातचीत की थी और हमें उनसे आश्वासन भी मिला था, उसी तारतम्य में मैं जानना चाहता हूं कि अभी उस योजना पर विचार हो रहा है या वह खत्म कर दी गयी ?

श्री गिरधारीलाल--जहां तक मुझे याद है श्री अवस्थी जी मुझसे मिले थे और मेरी उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि सहयोग से ठीक करायेंगे लेकिन मेरे लिये यह कहने में धृष्टता होगी कि उनके भावों से ऐसा लग रहा था कि वह भी वोटर्स से घबराते हैं और सहयोग देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी ही बात रिपोर्ट में है। वास्तव में तालाब के चारों तरफ लोग बस गये हैं और इसमें गांव सभायें अड़चनें डालती हैं। उपमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बाकी डिटेल में उन्हें मालूम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह बात सही है। लेकिन यह स्थिति होते हुए भी क्या सरकार से आशा करें कि वह पानी जो भरा रहता है उसके निकास के लिये सहायता देगी ?

श्री महावीरसिंह--मुख्य अभियंता से १०-१२-५९ को प्रार्थना की गयी है कि वह सड़क पर कल्वर्ट खोलने का काम करें और अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट भी मांगी गयी है। उसके आने पर विचार किया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या आशा की जाय कि इस योजना पर अब विचार होने का काम जारी है और किसी रूप में पानी के निकास की कोई योजना निकल आयेगी और यदि हां, तो जनता का भी सहयोग मिलेगा; क्या कोई ऐसी स्कीम चालू की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने बता दिया।

बलभद्रपुर तथा रेवड़ा ग्राम के बीच तालाब से पानी निकालने की प्रार्थना

*३०--श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर के परगना जामो में ग्राम बलभद्रपुर तथा रेवड़ा के बीच में एक झीलनुमा तालाब है जिसके बढ़ने से सैकड़ों एकड़ भूमि की धान की फसल सड़ कर नष्ट हो जाती है।

श्री महावीरसिंह--जी हां।

*३१--श्री रामबली--यदि हां, तो बाढ़ का पानी निकालने के लिये क्या सरकार कोई प्रबन्ध करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं। सरकार ने हाल में यह तय किया है कि नाले बनाने की कोई योजना विभाग द्वारा तभी ली जायेगी जब उसकी लम्बाई ५ मील से अधिक होगी। चूंकि उक्त तालाब का पानी निकालने के लिये बलभद्रपुर नाले की लम्बाई केवल ३ मील ५ फर्लांग है इसलिये इस पर कार्य सरकारी निर्णय के अनुसार संबंधित गांव सभा द्वारा श्रमदान से होना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी को पता है कि इस तालाब से कुल कितने एकड़ जमीन डूब जाती है?

श्री महावीरसिंह--बरसात में जब पानी काफ़ी बढ़ जाता है तो लगभग एक हजार एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती है।

श्री शिवप्रसाद नागर--इस एक हजार एकड़ को जरखेज बनाने के दृष्टिकोण से सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री महावीरसिंह--प्रश्न ३१ का जवाब पढ़ लें, उसमें यह सब आ गया है।

श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब एक हजार एकड़ जमीन को खेती के योग्य बनाना है तो श्रमदान से उसकी नाली बनाना गांव पंचायत या गांव सभा के वश की बात है?

श्री महावीरसिंह--जैसा कि सरकार ने निर्णय किया है, पांच मील से कम लम्बी वाली नाली गांव सभा ले और पांच मील से अधिक वाली सरकार ले, तो उसकी वजह से इसको लेने की जरूरत नहीं होगी।

हिन्दुस्तान कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी को ठेका

*३२--श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ नवम्बर, १९५६ से १८ अक्तूबर, १९५७ तक पावर डिपार्टमेंट द्वारा हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी को सामान सप्लाई के लिये १,८५,००,९८० रुपये का ठेका दिया गया था। यदि नहीं, तो कितने का कुल ठेका दिया गया?

श्री गिरधारीलाल--१ नवम्बर, १९५६ से १८ अक्तूबर, १९५७ तक पावर डिपार्टमेंट द्वारा हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी को सामान सप्लाई करने के लिये १,८५,००,९८० रु० के ठेके नहीं दिये गये। उस समय में उनको कुल ३६,२६,०२० रु० के ठेके विद्युत् विभाग द्वारा दिये गये।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस अवधि में ठेके के कुल कितने आर्डर दिये गये?

श्री गिरधारीलाल--इसकी तो मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि १-११-५६ को आर्डर नं० १७२६बी०/२३-डब्लू०, २,३६६ रु० फ़ी मील की दर से २५० मील लम्बी एस० सी० एम० आर० वैक्यूम कंडक्टर सप्लाई करने के लिये दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---ब्योरे का तो आपके प्रश्न में कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री राजनारायण---हमने पूछा था कि इस अवधि में कुल कितने आर्डर दिये गये । तो सरकार कहती है कि ३६ लाख के ही दिये गये । हम पूछ रहे हैं कि कितने आर्डर दिये गये । उसकी तादाद उनके पास है । उनके डिपार्टमेन्ट से भी हमको मिली हुई है । इस अवधि में सात आर्डर दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न तो इसमें है नहीं । आपने प्रश्न में यह कहीं नहीं लिखा कि कितने आर्डर दिये गये ।

श्री राजनारायण---इस अवधि में सात आर्डर दिये गये हैं और उन सातों का टोटल लिख कर दे दिया था और पूछा था कि इतना है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जो आर्डर्स हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन, वाराणसी को सप्लाई करने के लिये दिये गये उनमें टेंडर मांगे गये थे या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---एक आध आर्डर ऐसे हैं जो टेण्डर के ऊपर हैं । कुछ आर्डर ऐसे हैं जो कोटेशन्स मांग करके दिये गये हैं और कुछ में सूचना मांगी गयी है, दो एक फ़र्म्स से और उसी की बुनियाद पर उसी वक्त फ़ैसला कर दिया गया ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि १-११-५६ को जो आर्डर दिया गया उस पर टेंडर नहीं मांगे गये और सरकार को सामान की जरूरत नहीं थी बल्कि फ़र्म ने खुद माल सप्लाई करने के लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना पर जल्द से जल्द कोटेशन्स मांगे गये और कोटेशन्स के नियमों की भी पूर्ति नहीं की गयी फिर भी इसी फ़र्म को ठेका दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल---पहले सवाल के जवाब में मैंने कुछ कहा था कि उस समय के अन्दर पूरे आर्डर कितने हुए, यानी कितने लोगों को आर्डर हुए, तो उस बात से मैं सहमत हूं कि ७ ही आर्डर थे जो हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन को दिये गये ।

दूसरी बात जो इस प्रश्न में पूछी गयी है कि बिला जरूरत सरकार ने आर्डर दिये, ऐसी कोई बात नहीं है । कोई आर्डर बिना जरूरत के नहीं दिया गया । जब कहीं किसी सामान की जरूरत हुई तो वहां के लिये जितने सामान की जरूरत हुई उसी बुनियाद पर आर्डर दिये गये ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक आर्डर टेंडर काल करके दिया गया बाकी आर्डर बिना टेंडर काल किये क्यों दिये गये ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने बताया कि उसमें कोटेशन इनवाइट किये गये उन फ़र्म्स से, जो हिन्दुस्तान में इस प्रकार का काम करती हैं और जिनका सम्बन्ध यू० पी० के पावर विभाग से है और उन्हीं की बुनियाद पर फ़ैसला करके वे आर्डर दिये ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी उन फ़र्मों का नाम बतायेंगे जिनसे कोटेशन मांगे गये थे ?

श्री गिरधारीलाल---इस समय पूरी सूचना मेरे पास नहीं है । सम्भवतः एक तो पैरी कम्पनी है । इस समय मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले की जांच के सम्बन्ध में क्या यह फ़ाइल उनके सामने आयी और टेण्डर और ठेके देने के तरीके से वह पूर्णतः सहमत और संतुष्ट हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं कि मैं नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में मुझको कुछ ज्यादा कहना चाहिये या नहीं, इसलिये कि कुछ ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनके ऊपर, सम्भव है कि उन बयानों से जो यहां किये जायं, असर पड़े । मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ मैंने देखा और सुना उससे मैं संतुष्ट हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि जिन फ़र्मों से कोटेशन्स मांगे गये थे उनकी माली हालत को देखने के लिये कोई मापदंड नियत था ? यदि हां, तो क्या था ? और जिन फ़र्मों से कोटेशन्स मांगे गये थे वे उस मापदंड को पूरा करती थीं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---इतनी डिटेल्स तो इस समय मेरे पास नहीं हैं । लेकिन इतना जरूर है कि विभाग जिस समय इस किस्म के कोटेशन्स मांगता है तो उन्हीं फ़र्मों से मांगता है जो इन कामों को करती हैं और नार्मल कोर्स में जो स्टेटस होना चाहिए वह होगा और इस किस्म के कामों का उनको तजुर्बा होगा ।

श्री गौरीशंकर राय---इस बात को देखते हुए कि यह प्रश्न पर्याप्त विवादास्पद है, क्या सरकार, जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से इन फ़ाइलों को देखकर संतुष्ट होना चाहें, उनको अलग से संतुष्ट करने की कोशिश करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---मैं इसको किसी भी हालत में ठीक नहीं समझता । न तो यह परम्परा ठीक है और न यह पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है क्योंकि कोर्ट में यह मामला चल रहा है ।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री के बयान से सम्बन्धित, करीब १ महीना हो रहा है, बनारस के "आज" अखबार में छपा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाहर लाल जी के कहने पर यहां से फ़ाइल्स वहां भेजीं, और उन्होंने हिन्दुस्तान कमर्शियल कारपोरेशन तथा कमलापति जी के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन सारी बातों की जानकारी के बाद . . . .

श्री अध्यक्ष---यह मूल प्रश्न में कहीं नहीं है ।

श्री राजनारायण---अभी बयान दिया है कि चूंकि मुकदमा चल रहा है इसलिये मैं कुछ कहना पसन्द नहीं करता, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर अखबारों में यह बात आई कि उनके कहने पर केन्द्रीय सरकार ने जांच कराई और बातें निर्मूल पायी गयीं । मैंने सुना है कि कोर्ट ने कंटेम्प्ट आफ़ कोर्ट "आज" पर चलाया और उनकी तरफ़ से माफ़ी मांगी गयी कि गलती से ऐसा छप गया । तो यहां तो वे कहते हैं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता और बाहर यह बयान देते हैं कि निर्मूल, इसे होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---प्रस्तुत प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण---१-११-५६ को आर्डर दिया गया जिसमें कोई टेंडर नहीं मांगा गया और न कोई पहले कोटेशन मांगा गया, हिन्दुस्तान कमर्शियल से । तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान कमर्शियल को बिना कोटेशन मांगे हुए आर्डर दे दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल---ऐसी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन को जिन सामानों का ठेका दिया गया वे कौन-कौन से सामान थे ?

श्री गिरधारीलाल---उसमें कुछ कंडक्टर्स थे, खास कर जैसे बिजली के तार और दूसरे जनरेटिंग सेट्स ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस फ़र्म से ३६ लाख से अधिक का सामान सरकार ने खरीदा, उसमें कुछ टेंडर द्वारा और कुछ कोटेशन द्वारा खरीदा गया, तो कितने पये का सरकार ने कोटेशन द्वारा और कितने का टेंडर द्वारा खरीदा ?

श्री गिरधारीलाल---अलग-अलग बतलाना बड़ा मुश्किल है । लेकिन इसमें एक आर्डर जो ५ लाख ९२ हजार का था, उसमें कुछ सूचनायें एक फ़र्म से मंगा ली गयीं और उस से जो रेट्स आये उस पर फ़ैसला कर दिया गया । दूसरा आर्डर ४,४०,५५० रु० का था । इस पर कोटेशंस मंगाये गये और उनकी बुनियाद पर इसका फ़ैसला किया गया । इसके बाद कुछ जनरेटिंग सेट्स १ लाख ५८ हजार के थे । इसमें टेंडर्स मांगे गये । इसके बाद चौथा आर्डर ६ लाख ६० हजार का है, यह कोटेशंस पर दिया गया । फिर एक आर्डर है ९ लाख ९८ हजार का । इसमें तीन फ़र्म्स से टेंडर आये और उनकी बुनियाद पर फ़ैसला किया गया । आखिरी जो ७वां आर्डर है, वह डायरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज के मार्फ़त हुआ और यह करीब २ लाख ६० हजार रुपये का है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह देखते हुए कि यह बड़ा अहम प्रश्न है और बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें हो गयी है और एक माननीय मंत्री जी इसमें निहित हैं, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देगी ताकि लोगों में जो गलतफ़हमियां हैं वे दूर हो जायं ?

श्री गिरधारीलाल---यह ठीक समझ में नहीं आता कि इसका स्पष्टीकरण कहां-कहां चाहिये । जिस उचित स्थान पर लोगों ने इसका स्पष्टीकरण करा रखा है वहां स्पष्टीकरण हो जाने दीजिये ।

श्री राजनारायण---आर्डर १, २, ३ व ४ में टेंडर्स नहीं मांगे गये और न कोटेशंस मांगे गये, बल्कि हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन ने जिस सामान को सप्लाई करने की रिक्वेस्ट की, उनकी रिक्वेस्ट पर कोटेशंस मांगे गये, तो ऐसा क्यों किया गया यह सरकार बतलायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---मेरे पास इतने डिटेल्स में कोई इत्तिला नहीं है ।

प्रश्नों का कथित गलत उत्तर मिलने पर आपत्ति

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, हम लोग अपने क्षेत्रों में घूम करके और वहां की शिकायतों को देख करके प्रश्न करते हैं, और बहुत महीनों के बाद उन प्रश्नों का उत्तर देने का समय आता है । यहां उत्तर में जो सूचना हमको दी जाती है, वह सर्वथा निराधार और मिथ्या होती है, बावजूद इसके कि हम भी अपने-अपने क्षेत्रों के जिम्मेदार सदस्य हैं । हम माननीय मंत्री जी की सूचना का खंडन करते हैं, लेकिन अब एक ऐसा रिवाज-सा होता जा रहा है कि प्रायः अधिकांश प्रश्नों के उत्तर में जिलों से जो सूचना आती हैं वह गलत होती हैं और तत्सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता उसका खंडन करते हैं और माननीय मंत्री जी, बजाय इसके कि जिलाधीश से या सूचना देने वाले अधिकारी से उसकी पुनः जांच करायें, जो गलत सूचना वह एक बार दे देते हैं उसी का बार-बार समर्थन करते रहते हैं । तो मैं

आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि क्या ऐसा होना उचित है कि माननीय मंत्री जी गलत और निराधार सूचना का बार-बार समर्थन करें और एक सदस्य जो अपने क्षेत्र का एक जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी सूचना को सही न माने ?

श्री अध्यक्ष---आपने कोई खास मामला तो सामने रखा नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय---आज ही, कई विषयों पर ऐसा ही देखने में आया है ।

श्री अध्यक्ष---मैं कह तो रहा हूं । लेकिन जब कभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मेरी जानकारी को सूचना मान कर उसके ऊपर सरकार जांच करायेगी तो उसके उत्तर में हर एक मंत्री ने यही उत्तर दिया कि अगर आप लिखित दे दें, यानी ऐसे ही खाली यहां पूछ लें तो उसका भरोसा तो वह नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लिखित भेजें तो वह फिर से जांच करायेंगे और जांच कराना उनका कर्तव्य है क्योंकि जो माननीय सदस्यों ने जांच की है उसको प्रथम दर्शन में यह मान कर चलना चाहिये कि उन्होंने सही जांच की होगी । इसलिये कोई गलतफ़हमी अगर हो गयी हो तो उसकी फिर से जांच करा लें और उन मंत्री महोदय का यह भी कर्त्तव्य है कि जब दोबारा जांच हो जाय तो उसका परिणाम सदन में बता दें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठा रहा हूं । मंत्री जी जब किसी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं जो कि सही न हो और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि कानपुर सिंचाई कर्मशाला मंडल में ६ हजार फीट ६ इंची पाइप का गबन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जांच कराने पर वह गबन साबित हुआ। इसके बाद मैंने लिखा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो क्या उस गलत उत्तर के लिये मंत्री जी जिम्मेदार ठहराये जायं अथवा जो संबंधित अधिकारी हों उनको दंड दिया जाना चहिये ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस शुरू कर रहे हैं । शर्तिया प्रश्न के बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मेरा तो निश्चित प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---तो आप निश्चित लिख कर भेजिए मेरे पास ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---बहुत अच्छा ।

श्री अध्यक्ष---आप तो नया प्रश्न उठा रहे हैं । मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन करना है प्रश्नों के सम्बन्ध में और आपके द्वारा मंत्रियों से तथा मुख्य मंत्री जी से कि ऐसे प्रश्नों के कुछ उत्तर आते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो हम लोगों की साधारण बुद्धि में वह बात आती नहीं है । जैसे उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि एक मित्र ने पूछा कि सूबे भर में कितने ट्यूबवेल बन्द हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि सूबे भर की सूचना इकट्ठी करने के लिये बारी-बारी हर जिले से सूचना मांगी जायगी, जब कि सब जिलों को एक साथ एक पत्र भेज कर सूचना मंगायी जा सकती है । तो हम लोग जो साधारण बुद्धि के लोग हैं उनको यह कुछ साधारण नियम के विपरीत मालूम होता है । कल एक प्रश्न आया राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में कि कितने लोगों को पेन्शन दी गयी और कितने लोगों को नहीं दी गयी । इस प्रकार के जो भी प्रश्न पिछले तीन साल में जब कभी भी सदन में आये हैं तो यही उत्तर दिया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यहां इस प्रकार की बहस में कुछ रखा नहीं है। आप कोई प्रश्न और उसका जो उत्तर मिला हो ले कर मेरे कमरे में आइये। मेरे कमरे में उसे आप मुझे बता दें क्योंकि इस समय सदन का समय नहीं लेना चाहिये। आप मुझे बता दें कि इसका उत्तर दूसरे किस्म का देना चाहिये था या जिले से कोई अधिक मालुमात प्राप्त हो सकती थीं, ऐसा मुझे यदि आप बतायें तो मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा लेकिन जब तक ऐसे उदाहरण न हों तब तक आम बहस करने से कोई फायदा नहीं है।

उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से प्राप्त उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७७ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से प्राप्त हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७८ पर)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८, भाग १ से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष---सभापति, उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति, सन् १९५८ ई० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के भाग १ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति, सन् १९५८ ई० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के भाग १ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

१९५४-५५ के विनियोग लेखे तथा १९५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा १९५५-५६ के विनियोग लेखे तथा १९५७ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन*

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति, १९५४-५५ के विनियोग लेखे तथा १९५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा १९५५-५६ के विनियोग लेखे तथा १९५७ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर, उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन*

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध सदन के अवमान के संबंध में सचिव विधान सभा की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष---प्रतिवेदन की प्रतियां मुद्रित हो जायंगी । सदन के सदस्यों में वितरित हो जाने के बाद ही उस पर चर्चा हो सकेगी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---प्रस्तुत क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष---हस्तलिखित यानी टाइप्ड हैं । इसमें नियम यह है कि जब ऐसी प्रति सदन की मेज पर रक्खी जाती है तो सदन की यह आज्ञा हो जाती है कि इसका मुद्रण हो जाय और सदन के सदस्यों को वितरित हो जाय । नियम में यह लिखा है कि प्रतिवेदन की प्रतियां मुद्रित होने पर बाद में सदस्यों को दी जायंगी । इसलिये नोट कर दिया गया है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, प्रस्तुत किया है मुद्रित होने के बाद कि पहले ?

श्री अध्यक्ष---वह तो इसमें लिखा हुआ है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि अगर किसी कारण से बहस हो और उसकी कापी चाहें तो वह दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । एक ही कापी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यदि वकील को दिखाना हो तो दिखाने के लिये वह दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था यहां के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने जो रिपोर्ट भेजी थी वह कुछ ग़लत थी । हमने वहां के .....

श्री अध्यक्ष---आपके पास जब प्रति छप कर आयेगी और यहां डिसकशन होगा उस वक्त आप ये सब सवाल कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण---हमारा कहना यह है कि हमें कोर्ट में अब जाना है । हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस विषय पर प्रिविलेज कमेटी बैठी हुई है, अगर उनका विषय आ जाय तब इसके बाद अगर कोर्ट में जाना हो तो जायं ।

श्री अध्यक्ष---वह विषय छप कर मिल जायगा ।

श्री राजनारायण---तो माना कब से जायगा ? तब हमारे सामने यह सवाल आयेगा कि आपने इस मामले को कोर्ट में लाने में देर की ।

श्री अध्यक्ष---इस पर आप मेरे कमरे में बहस करें ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री रामस्वरूप वर्मा ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है, जिसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । वह प्रश्न इस तरह का है, मैं सुना देता हूं ---

"विधान सभा, उत्तर प्रदेश ने सर्वसम्मति से एक रुपया बारह आने गन्ने की कीमत का प्रस्ताव पारित किया था । इसके बाद श्री राजनारायण जी ने माननीय मुख्य मंत्री से सदन में पूछा भी था कि सरकार न एक रुपया बारह आना मन गन्ने की क़ीमत

[श्री अध्यक्ष]

करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है या नहीं, तो माननीय मुख्य मंत्री ने भेजे जाने की बात कही थी। किन्तु अभी हाल ही में लोक सभा में केन्द्रीय सरकार ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह लिखा है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश विधान सभा का निश्चय गन्ने की कीमत के बारे में एक रुपया बारह आना मन का है तथापि सरकार की दृष्टि में गन्ने की कीमत एक रुपया सात आना मन से ज्यादा होने पर मिल मालिक देने में असमर्थ होंगे।

सदन का निश्चय सरकार लागू करने के लिये बाध्य होती है, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के सर्वसम्मत निर्णय के विरुद्ध सरकार की राय दे कर सदन का अवमान किया है।

अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आशा है आप इसकी आज्ञा प्रदान करेंगे"।

मैं इसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं, इसके कारण ये हैं---अवमान सदन का तब होता जब सदन का जो प्रस्ताव था उसको तोड़ मरोड़ कर, ग़लत बता दिया गया होता, तो वह अवमान का प्रश्न हो सकता था। लेकिन सदन का जो सही मत था वह भी भेज दिया गया और यदि अपना स्वतंत्र मत सरकार देती है तो दूसरा रास्ता सदन के सदस्यों को स्पष्ट यह है कि वह यह कहें कि आप ने सदन का हुक्म नहीं माना, हम आपको निकालते हैं। जिस सदन को सरकार को हटाने का अधिकार है वह सदन यह कहे कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना है और वह भी मुख्य मंत्री के ऊपर---यह संभव है कि उस राय को मंत्रिमण्डल ने पास किया होगा। यह तो आप को स्पष्ट ही है कि मंत्रि-मण्डल ने यह उचित समझा कि वह कोई राय दे--लेकिन सम्भव यह भी है कि कथित आरोप मंत्रिमण्डल पर सही न हो। एक बयान लोक सभा में हुआ। किसी अखबार में कुछ छपा, उसके भरोसे एक तो प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता, लेकिन टेक्निकल बात छोड़ दें, इसे तथ्य मान कर भी चलें तो भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है। अगर सरकार ने सदन के निश्चय के विरुद्ध राय दी है तो सदन के पास कार्यवाही करने का भिन्न अधिकार मौजूद है। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठ ही नहीं सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इस सम्बन्ध में एक निवेदन है। माननीय मुख्य मंत्री इसके लिए स्पष्टीकरण कर देंगे। उनसे पूछ लिया जाय कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि हमारा यही प्रश्न था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि दो सरकारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार को बतायें।

श्री अध्यक्ष---उनका जवाब उस वक्त हो चुका था कि हमारी कारेस्पांडेंस कांफीडेंशल है। इसलिये बताना नहीं चाहते।

श्री राजनारायण---मगर केन्द्र ने खोल दिया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मान लिया जाय और यह मानकर के कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रकार का पत्र लिखा है जो विधान सभा के उस प्रस्ताव के विपरीत है तो आप कहां तक यह उचित समझते हैं, क्योंकि बाबू सम्पूर्णानन्द जी की यहां अलग से तो कोई हैसियत नहीं है इसके अलावा कि वह मुख्य मंत्री हैं, तो किसी भी मुख्य मंत्री के लिये कहां तक उचित है, कहां तक यह नियमों के अनुकूल है कि वह इस प्रकार के प्रश्न को ले करके, इस विधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके प्रतिकूल लिखे? क्या यह परम्पराओं के विपरीत और औचित्य के विपरीत नहीं है?

श्री अध्यक्ष---यह आप मुझसे राय पूछ रहे हैं उस प्रश्न के ऊपर जो कि प्रश्न सामने नहीं है। जब मैं एक स्पष्ट राय दे चुका हूं कि आपका फैसला अगर सरकार को नामंजूर है

और उन्होंने अपनी राय दूसरी दी तो वह राय देने का उसे अधिकार तो है ही लेकिन आपका भी अधिकार है उसे निकाल देने का। तो इसमें कोई बात शेष नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--एक मिनट में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर वह उसे नहीं मानते हैं तो उनको पहले इस्तीफा दे कर तब अपनी राय लिखनी चाहिए, यह शराफत और सौजन्य है।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**--अध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल सदन के सामने आया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ करता है उसकी कुछ विशद चर्चा करना नामुनासिब है और परम्परा के विरुद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में कुछ कहा गया। इतना ही मैं कह सकता हूं--पहली बात तो यह कि अगर ऐसा किया गया तो ग़लत बात हुई और दूसरी बात यह कि मैं समझता हूं और मेरा अभी भी ऐसा ख्याल है --मेरे सामने यह बयान नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों ने शायद उसके समझने में या पढ़ने में कुछ ग़लती की होगी। बहर-हाल, वह मैं देखूंगा। लेकिन चूंकि शायद ऐसा है कि गन्ने या गन्ने की स्ट्राइक वगैरह के सिल-सिले में किसी दिन चर्चा यहां होने वाली है सदन में, तो उस वक्त मैं बयान भी देख लूंगा उनकी और हमारी तरफ से लिखापढ़ी जो कुछ हुई या क्या वस्तुस्थिति है उसका मैं जिक्र करूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में तय हो जाना चाहिये कि क्या हमारा कार्यक्रम होगा?

श्री अध्यक्ष--पहले और कार्य तो हो जायं। कामरोको प्रस्ताव वगैरह हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न खत्म हुआ।

साहू केमिकल्स फैक्टरी, दुलहीपुर, वाराणसी में मजदूरों के निकाले जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है--

"साहू केमिकल्स फैक्ट्री, दुलहीपुर, वाराणसी में उत्पादन का कार्य कई महीनों से हो रहा है। मगर अभी तक वहां कोई स्टैंडिंग आर्डर लागू नहीं है। जिससे मजदूर मनमाने ढंग पर फैक्ट्री से निकाले गए हैं और आज भी निकाले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री, श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों से निवेदन किया मगर अभी तक स्थिति में सुधार नहीं आया। मजदूरों की मांगों को ही लेकर हाल ही में मजदूर नेता श्री प्रभुनारायण, एम० पी० ने १२ दिनों की भूख-हड़ताल की थी जिसे सरकारी आश्वासन पर हमीं लोगों ने तुड़वाया था। जिन मांगों को लेकर प्रभुनारायण जी की भूख-हड़ताल हुई थी और जिन आश्वासनों पर तुड़वाई गई थी उनकी पूर्ति आज तक न होने से वहां के मजदूरों में व्यापक असन्तोष है। अतः उपरोक्त विषम स्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें कोई निश्चित विषय किस तरह से भूख हड़ताल तुड़वाई गयी थी क्या आश्वासन दिये गये थे, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। गोल-सा सवाल है। लेकिन चूंकि अब इस में सरकार का सम्बन्ध इस विषय में आता है कि सरकार ने कोई आश्वासन देकर भूख-हड़ताल को तुड़वाया, तो यह एक नयी चीज है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह का कोई आश्वासन देकर कोई भूख हड़ताल समाप्त हुई है क्या?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आश्वासन की बाबत कहूं या और. . .

श्री अध्यक्ष---अगर आप कोई और सूचना इस सम्बन्ध में देना चाहते हों तो कह सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक कि आश्वासन की बात है, मैं कई बार कह चुका हूं कि भूख-हड़ताल में बिलकुल गलत चीज समझता हूं। इसलिए मैंने आज तक कोई गलती ऐसी की नहीं कि किसी भूख-हड़ताल करने वाले को कोई आश्वासन दिया हो। अपनी जान किसी को देनी हो, खुशी से वह दे सकता है भूख-हड़ताल कर के, लेकिन मैं कोई आश्वासन कभी नहीं देता और कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। जिस समय भूख हड़ताल चल रही थी उसके अन्तिम मौके पर मैं वाराणसी में ही था। इसलिये मैं अपनी बात जानता हूं कि मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी दूसरे ने या किसी दूसरे मंत्री ने कोई आश्वासन दिया हो उसको मैं नहीं जानता।

दो तीन बातों का इसमें जिक्र है जिनके सम्बन्ध में आश्वासन की बात कही गई है। यह तो कहना बहुत उचित नहीं है कि उत्पादन का काम वहां पर कई महीनों से हो रहा है किन्तु उत्पादन का काम थोड़े दिनों से हुआ है। मुश्किल से महीना भर हुआ होगा। यह सही है कि बहुत दिनों से मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में पहली बात स्टैंडिंग आर्डर की थी। कारखाना चालू होने पर स्टैंडिंग आर्डर लागू होने चाहिए। वहां पर वह लागू नहीं थे। यह सही है कि लेबर डिपार्टमेंट ने उन लोगों पर दबाव डाला कि उनके यहां स्टैंडिंग आर्डर बनने चाहिये नहीं तो काम गैरकानूनी होगा। वहां पर उन्होंने स्टैंडिंग आर्डर बनाये और ८ दिसम्बर को लेबर कमिश्नर के पास उन्होंने उनको भेज दिया। स्टैंडिंग आर्डर के सिलसिले में यह बात होती है कि दोनों पक्षों से कुछ पूछना होता है कि उनको इस पर कुछ एतराज है या नहीं। वह एक लिखा-पढ़ी की बात हो सकती है। लेबर-कमिश्नर ने दोनों पक्षों को बुलाया है। मैं आशा करता हूं कि दोनों पक्ष--मिल मालिक और श्रमिकों के प्रतिनिधि वहां जायंगे और बातचीत हो जायगी और इस महीने के आखीर में या अगले महीने में शायद स्टैंडिंग आर्डर प्रमाणित हो जायेंगे।

दूसरा सवाल वहां यह था कि कुछ मजदूर वहां निकाल दिये गये थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है ३३ मजदूरों का वह सवाल था लेकिन लेबर डिपार्टमेंट ने उनसे यह कहा कि आपने जो मजदूरों को निकाल दिया है यह गलत तरीके से निकाला है, यह ठीक नहीं है। मालिकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यह निकाल देने का काम गलत हुआ और वे इन मजदूरों को ले लेंगे और उनको काम दे देंगे।

तीसरा सवाल 'लीव विद पे' का है। यह सही है कि जो मिल के मैनेजर थे उन्होंने ऐसा कहा था कि हम सब मजदूरों को लीव विद पे दे देंगे यानी वेतन दे देंगे लेकिन इसके बाद वह यह कहते हैं कि हम केवल दो डिपार्टमेंट के लोगों को देंगे और बाक़ी को नहीं देंगे। लेबर डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि यह ग़लत है सब को लीव विद पे देना चाहिये। आशा की जाती है कि वह मान जायेंगे। लेकिन अगर वह नहीं मानते हैं तो फिर जो कानूनी कार्यवाही होगी वह लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से की जायगी।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) आप कृपया यह बतायें कि आप किस तरह समझते हैं कि यह कामरोको प्रस्ताव के दायरे में आता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से जो हमारी बातचीत हुई थी वह हमारी बातचीत उनसे सम्भवतः ७ अक्तूबर को वाराणसी में हुई थी। यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को भूख हड़ताल पसन्द नहीं है और साथ ही यह भी सही है कि जितनी उनको पसन्द नहीं है उससे ज्यादा हमको भी स्वतः पसन्द नहीं है। मगर श्रीमन्, यह कह देना कि किसी स्थिति में भी भूख-हड़ताल हिन्दुस्तान में न चले,

में समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी के बस की यह बात नहीं है और हमारे बस की भी बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री ने मुझे भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है यह मैंने नहीं लिखा। हमने यह कहा है कि उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया था कि नियम के मुताबिक स्टैंडिंग आर्डर जो हैं वे जरूर लागू कर दिये जायेंगे। मजदूरों के साथ जो गड़बड़ी हुई थी उसको नियम के मुताबिक दूर कर दिया जायगा। इस आश्वासन पर हमने भूख-हड़ताल को तुड़वाया। उन्होंने जो नियम की पाबन्दी कराने का आश्वासन दिया उस पर हमने भूख-हड़ताल तुड़वाया। यह साफ हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपने तुड़वायी ?

श्री राजनारायण—जी हां। मैंने तुड़वायी और उस जिम्मेदारी को मैं लेता हूं। इसीलिये लेबर कमिश्नर के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है वह मेरे साथ मौजूद है। मैंने लिखा है कि जब मैं किसी व्यक्ति का भूख हड़ताल तुड़वाता हूं तो वह मेरी जिम्मेदारी हो जाती है और उसे निभाने के लिये मैं तैयार हूं कि इन मांगों को कैसे पूरा कराया जाय। हो सकता कि मेरे जीवन का मूल्य माननीय सम्पूर्णानन्द जी की निगाह में कुछ न हो...

श्री अध्यक्ष—आप वैधानिकता के प्रश्न पर आइये।

श्री राजनारायण—मैं उसी पर आ रहा हूं। यह ऐसा प्रश्न है कि जो आपकी सेवा में इसी सदन में दो बार उठा है और यह सरकार इतनी अनभिज्ञ रही है और अंधकार में रही है कि इसके पूर्व जब सदन चल रहा था तो सरकार की ओर से आश्वासन आया कि वहां फैक्ट्री ऐक्ट लागू नहीं है और इसलिये मजदूरों की छटनी का प्रश्न नहीं है...

श्री अध्यक्ष—यह तो सब प्रस्ताव में नहीं है...

श्री राजनारायण—यह कहा गया था कि वहां उत्पादन नहीं हो रहा है, अभी एक आध महीने से हो रहा है। जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक फैक्ट्री ऐक्ट लागू नहीं होगा। १ जनवरी, १९५८ से फैक्ट्री ऐक्ट वहां लागू है।

श्री अध्यक्ष—आप फिर मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं कह रहा हूं कि स्टैंडिंग आर्डर्स आज तक लागू नहीं हुए। जब वहां फैक्ट्री ऐक्ट लागू है...

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें खुद कबूल किया है कि अब तक लागू नहीं हुए हैं।

श्री राजनारायण—अगर मेरी बात सम्पूर्णानन्द जी बतला दें तो मैं उसको दोहरा रहा हूं। आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपका तर्क क्या है ?

श्री राजनारायण—इसकी अर्जेंसी क्या है वह मैं बतला रहा हूं। जब तक वहां स्टैंडिंग आर्डर्स लागू नहीं हो रहे हैं और करीब डेढ़ साल के हो गया है, जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९५९, तो इन दो सालों में वहां मजदूरों को निकालने और रखने के लिये कोई नियमावली नहीं है और वहां धांधली हो रही है। यह देखा जाय कि मजदूरों को निकालने के लिये जो मजदूर दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं उनको दूसरे विभागों में दिखाया जाता है। काम करता है कहीं और दिखाया कहीं जाता है। पावर में काम करता है और उसे फेब्रीकेशन में दिखाया जाता है....

श्री अध्यक्ष—यह सब तो प्रस्ताव में नहीं है।

श्री राजनारायण—जब वहां कोई स्टैंडिंग आर्डर्स नहीं हैं तो वहां धांधली ही चलेगी। इसलिये मैं कह रहा हूं कि वहां मजदूरों को निकाला जा रहा है, उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही है और इसलिये यह निश्चित विषय है और अभी १५ दिन पूर्व वहां पर करीब ७ आदमियों को जो लेबर यूनियन के पदाधिकारी थे, जिनमें से एक बी० डी० मिश्रा हैं, निकाल दिया गया . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप फिर डिटेल्स में आ गये। आप कृपा कर बैठें। अब मैं इस पर अपना फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण—अच्छा साहब।

श्री अध्यक्ष—यह विषय महत्व का है, इसमें कोई शंका नहीं . . .

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाय क्योंकि मैं वहां की एक यूनियन का प्रेसीडेंट हूं . . .

श्री राजनारायण—आप पूंजीपतियों की कागजी यूनियन के प्रेसीडेंट हैं . . .

श्री अध्यक्ष—मुझे कम से कम यूनियन के झगड़ों से कोई मतलब नहीं . . . .

श्री लालबहादुर—यह तो एलेक्शन स्टंट है।

श्री अध्यक्ष—आप कल ही तो आये हैं, थोड़ा सब्र कीजिये। तो प्रश्न यह है कि मैं इसकी इजाजत दूं या नहीं, कामरोको प्रस्ताव की दृष्टि से। मैंने यह स्पष्ट ही कह दिया कि ऐसा कोई विषय इससे निश्चित नहीं है कि जिसके ऊपर बहस हो सकती हो। इसके बाद जो स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री जी ने दिया उसमें और राजनारायण जी के कथन में कोई अन्तर दिखायी नहीं देता। वह स्पष्ट कहते हैं कि वहां पर कोई नियम नहीं है। काम करने के लिये नियम के संबंध में स्टैंडिंग आर्डर्स के लिये उन्होंने आज्ञायें दे दी हैं। जिन लोगों को निकाला गया उनके विषय में भी आज्ञा दे दी लेबर डिपार्टमेंट ने कि उनको रखना चाहिये और भी छुट्टियों के प्रश्न के बारे में भी बराबर जो राजनारायण जी कहते जाते हैं और मैं समझता हूं कि कहते जरूर होंगे, उसके अनुसार कार्यवाही होती जा रही है। तिस पर भी और बहस करने के लिये वक्त देना अनुचित सा होगा। इतना स्पष्टीकारण हो जाने के बाद कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बहस हो सकती हो। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि कामरोको प्रस्ताव पर बहस हो।

खटीमा थाने के सब-इंस्पेक्टर द्वारा सरदार प्रीतमसिंह की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत श्री प्रताप सिंह जी ने यह प्रस्ताव दिया है। वस तो मेरे पास कई आए हैं, लेकिन मैंने उनमें से दो को सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये स्वीकार किया है। इनमें से आज एक लिया जायगा और दूसरा कल के लिये रखता हूं। दूसरे पर मैं अपना फैसला कल करूंगा क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक दिन में नियमानुसार एक ही मैं ले सकता हूं। मैं प्रतापसिंह जी का प्रस्ताव लेता हूं वह इस प्रकार है कि—जिला नैनीताल में खटीमा थाने के सब-इन्सपेक्टर द्वारा दिनांक ३० नवम्बर, १९५९ को सरदार प्रीतम सिंह की दाढ़ी जला कर उनकी निर्मम हत्या किये जा से उस क्षेत्र की जनता में व्याप्त असन्तोष की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस विषय में अपना वक्तव्य आज दना पसन्द करेंगे, इसकी सूचना तो उनके पास आ गयी होगी।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, मैं अभी जो सूचना है उसे दे सकता हूं। नैनीताल जिल में जो थाना खटीमा है वहां पर एक बन्दूक चोरी हुई। उस सिलसिले में उस थाने

के श्री विजय सिंह वर्मा ने छान-बीन शुरू की। कहा यह जाता है कि ३०/३१ अक्तूबर को रात में सरता एक गांव है वहां पर तफतीश के सिलसिले में श्री प्रीतमसिंह को सब-इन्सपेक्टर श्री विजयसिंह वर्मा और ओम प्रकाश ने इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गयी। इसकी सूचना सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को और कलेक्टर को टेलीफोन पर मिली, खटीमा थाने से भी और श्री बलवन्त सिंह, एम० एल० सी० से भी, टेलीफोन पर। फिर कलेक्टर और एस० पी० तुरन्त घटनास्थल पर गये और मृतक के पोस्ट-मार्टम के लिये उनका शव भेज दिया और पी० डी० जोशी, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, उनको वहां पर मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी करने के लिये नियुक्त किया। यह इन्क्वायरी हुई। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह प्राइमा-फेसी कस है और पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि इस शरीर में चोट के काफी निशान हैं। तो ३०२ का मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया और कान्स्टेबुल तथा सब-इन्स पेक्टर सस्पेन्ड कर दिये गये और अब वह केस ३०२ में उनके विरुद्ध चल रहा है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय। मंत्री जी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करेंगे जो कि उनके पास उनकी फाइल में है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस मामले की इन्क्वायरी सी० आई० डी० भी कर रही है। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट मेरे पास डिटेल में नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---चोट के कितने घाव थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मृतक के शव से ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके शरीर में काफी चोटें थीं। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट अवश्य यहां नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हवालात में बन्द किये गये वे जमानत पर छूटे हैं या अभी जेल में हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसका तो पता लगाकर ही सूचना दे सकता हूं। ३०२ में केस रजिस्टर्ड है और दफा ३०२ मर्डर के सम्बन्ध में है, गालिबन।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं मंत्री जी को सूचना दे दूं कि वे जमानत पर छूट गये हैं। इसके अलावा, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बलवन्त सिंह के कहने पर ही क्यों, मैंने स्वयं उनको तार दिया था और एक विस्तृत विवरण उनको लिखकर भेजा था, तो क्या गृह मंत्री जी ने सरकार की ओर से कोई छान-बीन कराने की कोशिश की? दूसरे यह, कि क्या वह दरोगा, जिनके खिलाफ यह अभियोग है वह उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो मैंने कहा नहीं कि उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन सरदार बलवन्त सिंह ने कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी...

श्री प्रताप सिंह---मैंने भी लिखा था। मैंने आपको पत्र दिया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी---आपने भी लिखा होगा। आपने पत्र दिया होगा तो वह मेरे पास आया होगा, लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि कलेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि हमारे पास थाने से तुरन्त सूचना टेलीफोन से मिली और सरदार बलवन्त सिंह का टेलीफोन मिला जिसकी बिना पर तुरन्त वह और एस० पी० दोनों ही घटनास्थल पर पहुंचे और जाकर उन्होंने उन दोनों को हिरासत में ले लिया और ३०२ का मुकदमा रजिस्टर्ड किया, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी करायी और शव को उन्होंने पोस्ट-मार्टम के लिये भेजा।

श्री दर्शन सिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रीतमसिंह जी के मर जाने के बाद भी यह जानते हुए भी कि वह एक सिक्ख हैं और सिक्खों में बालों की किस कदर पाकीजगी मानी जाती है, उन्होंने वहां प्रीतम सिंह की दाढ़ी में आग लगायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने निवेदन किया कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो चुकी है और सारा मामला जांच के लिये सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी, अगर उनको यह सूचना मिले कि जमानत पर छोड़े गये थानेदार और कांस्टेबिल उस इलाके में घूम रहे हैं, तो इस बात की जांच करके स्थिति से सदन को सूचित करेंगे कि उनको जमानत पर का पालिका ने छोड़ा है या अदालत ने छोड़ा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, इस का पता लगाकर सूचित कर दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जब सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी जमानत किस ने की, नीचे की अदालत ने या सेशन ने या हाईकोर्ट ने....

श्री अध्यक्ष---हाईकोर्ट वगैरह की बात कहां से आ गयी ?

श्री राजनारायण---साधारण तरीके से ३०२ के केसेज में लोअर कोर्ट में जमानत नहीं होती और लोग सेशन में जाते हैं और अगर सेशन भी इन्कार करती है तो हाईकोर्ट में जाते हैं। यह अहम मसला है और ३०२ का केस उन पर चालू हो रहा है। इस तरह की रपट सरकार को वहां के जिलाधीश ने भी दी है और दूसरे लोगों ने भी दी है और माननीय प्रताप सिंह जी ने भी तार दिया था। तो क्या सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि जमानत पर बाहर आ कर वह दारोगा उसी क्षेत्र में मुकदमे को दबाने की साजिश कर रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी। अगर शिकायत आयेगी तो जांच होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञात है कि इस दर्दनाक घटना का मुख्य कारण स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा लागू किया जाने वाला वह आदेश है जो लैंड एविक्शन ऐक्ट के सम्बन्ध में निकाला गया है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि ऐसा कोई आदेश निकाला गया है और उसको बदलवाने और रद्द कराने के लिये आज्ञा निकालेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जरा दूसरी तरफ चला गया। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री प्रताप सिंह---क्या गृह मंत्री जी इस शिकायत को सही मानते हुए कि इस दारोगा ने सरदार जी की दाढ़ी को जलाकर उसको लोहे की शलाकों से जलाया है और आज वही दारोगा खटीमा तहसील में घूम रहा है और उससे बड़ा दारोगा जिसकी देखरेख में यह हुआ है उसका ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, क्या सरकार इसकी जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जमानत हो गई होगी तो यह हो सकता है कि वह उस क्षेत्र में घूमता हो, लेकिन मेरे पास इस तरह की शिकायत नहीं आयी।

श्री प्रतापसिंह---अब तो शिकायत कर रहा हूं ....

श्री कमलापति त्रिपाठी---आप लिख कर दे दीजिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरदार प्रीतमसिंह को किस अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने बताया कि बन्दूक चोरी गई थी, उसकी तफतीश के सिलसिले में दरोगा जी वहां गये थे और एक कांस्टेबिल उनके साथ था। कहा जाता है कि उन्होंने प्रीतमसिंह को इतना पीटा, छान-बीन के सिलसिले में, कि उनकी मृत्यु हो गई।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी अहमियत होने के बाद भी बड़े दरोगा का वहां से ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि जिस आदमी पर जुर्म था वह हिरासत में लिया गया, उस पर ३०२ का केस रजिस्टर हुआ और जांच पड़ताल जारी है, वह सस्पेंडेड है। जिनके खिलाफ जुर्म था उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या मंत्री जी बड़े दारोगा का ट्रान्सफर दूसरी जगह कर देंगे ताकि उस मामले में इम्पार्शल इन्वेस्टीगेशन हो सके? और जो सबूत उसके खिलाफ दस्तियाब हो सकते थे, उनमें क्या उस दारोगा को छोड़ देने से दखल नहीं पड़ता?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी अगर चाहें तो पहले प्रश्न का उत्तर दें कि क्या वह बड़े दरोगा को ट्रान्सफर करने के लिये तैयार हैं? दूसरे प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास अगर शिकायत आयेगी और अगर उसका अपराध पाया जायगा तो उसको ट्रान्सफर किया जायगा। वैसे क्यों हो?

श्री प्रताप सिंह---मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को तार देने के बाद और दो पेज का विवरण देने के बाद वह और किस चीज को शिकायत समझते हैं? इसलिये इस मसले की अहमियत को मानते हुए, जबकि सरदार लोग दाढ़ी को बहुत पवित्र मानते हैं, उसको जलाया गया, दूसरे दरोगा को वहां से क्यों ट्रान्सफर नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष---ट्रान्सफर के बारे में मंत्री जी कह चुके हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इस मामले में सारे पुलिस कर्मचारी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस दरोगा के पक्ष में हैं। उसकी जमानत की मुखालिफत भी नहीं की गई। इसलिये क्या मंत्री जी कोई जुडिशल इन्क्वायरी बैठायेंगे ताकि न्याय हो सके, क्योंकि वह मैजिस्ट्रेट भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में है?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री दर्शन सिंह---क्या मंत्री महोदय कैंसिलेशन आफ बेल की कार्यवाही करने के लिये सिफारिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी कभी सिफारिश नहीं करते।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी, क्योंकि माननीय प्रताप सिंह बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार को तार दिया और शिकायत के सम्बन्ध में खत लिखा, कि उनका तार और पत्र सरकार को मिला या नहीं मिला और उस पर कोई कार्यवाही की गई या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तार मिला या नहीं मिला, यह तो प्रश्न स्पष्ट है। अगर भेजा तो मिला, लेकिन दो महीने पहले का तार आया है, जैसा कि प्रतापसिंह जी ने कहा, और उस पर कार्यवाही हुई है। अगर आप उस तार के डिटेल चाहते हों कि उसमें क्या लिखा था या चिट्ठी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

चाहते हों तो वह भी बताया जा सकता है । बहरहाल उस पर जो मुनासिब और उचित कानूनी कार्यवाही है वह की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---अब इस पर ज्यादा बहस नहीं होगी। आपने इस विषय में कल के लिये वादा किया कि वह बेल पर छूटा है या नहीं, इसकी जांच करके बतायेंगे, इसलिये इस पर अब आगे बहस नहीं होगी।

अब मेरे पास एक सुदामा प्रसाद जी का प्रश्न है । मैं अभी उस पर फैसला नहीं देता हूं, क्योंकि एक दिन में एक ही प्रश्न लिया जा सकता है । कल इसके ऊपर फैसला दिया जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा भी एक प्रश्न नियम ५२ में है और एक रामस्वरूप जी का भी है ।

श्री अध्यक्ष---उनको नामंजूर किया है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, कानपुर गोलीकांड से सम्बन्धित प्रश्न आपने कल स्थगित कर दिया था, उसको नहीं लिया ?

नियम ५३ के अन्तर्गत विविध विषयों पर चर्चार्थ समय-निर्धारण

श्री अध्यक्ष---मोतीलाल जी अवस्थी, देव नारायण जी और राजनारायण जी ने नियम ५३ के अनुसार प्रश्न उठाया है कि उसके ऊपर थोड़ी बहस हो जाय। उसके लिये मैंने अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न श्री गोविन्द सिंह विष्ट का भी है और श्री राजनारायण जी का भी है, उनमें थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। चीन के द्वारा बार्डर पर जो गड़बड़ी हुई है और उससे वहां की जनता में जो आतंक फैला है उसके बारे में है। श्री राज नारायण जी के प्रस्ताव में यह भी जिक्र है कि उससे कुछ राजनीतिक पार्टियां लाभ उठा रही हैं । वैसे दोनों एक ही किस्म के हैं । एक ही बहस में दोनों चीजें आ सकती हैं । इसलिये अब दो विषयों पर बहसों के सम्बन्ध में हमें समय निश्चित करना है । मैं नेता सदन से बातचीत करके उनके विषय में समय निश्चित कर दूंगा । एक के लिये तो मैंने कल ही समय निश्चित कर दिया था। वह आज ५ बजे के बाद लिया जायगा। मैं उसको पढ़ रहा हूं। वह इस प्रकार है--

"गत दिनांक ३ व ४ नवम्बर को कानपुर नगर में जो दंगा होने के कारण १९ मृत्युएं हो गयीं, अनेक लोग घायल हो गये, उस सम्बन्ध में जांच करने के लिये कमीशन आफ इंक्वायरी के अन्तर्गत जांच कमीशन की नियुक्ति की गयी है, उसके फलस्वरूप प्रान्त की जनता में अत्यन्त क्षोभ व अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

उपरोक्त जांच कमीशन, कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत नियुक्त है। वह साक्षी नियमों की बाध्यता के अन्तर्गत नहीं है । वह किसी उच्च न्यायाधिपति द्वारा संचालित नहीं है अथवा न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित है जिसका न्याय में विशेष अधिकार रहा हो।

सरकार द्वारा उद्धृत उपरोक्त कानपुर के दंगे के कारण जांच कमीशन की नियुक्ति के पूर्व-ही जांच परिणाम पर प्रभाव डाल चुके हैं। जांच कमीशन द्वारा जांच कार्यवाही के लिये साक्षी देने वालों से अपनी साक्षी का पूर्वाभास आदि मांगना भी साक्षियों को भय का कारण बन गया है।

जांच कमीशन के समक्ष दंगे के समय दंगा शांति करने में सरकार को सहायता देने वाले व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हैं कि अपनी साक्षी दे सकें । जिला अधिकारियों का जनता को भयत्रसित करना साक्षियों को जांच कमीशन के समक्ष साक्षी देने में अवरोध उत्पन्न करना, घायलों का ठीक-ठीक प्रबन्ध न होना आदि कारणों से क्षुभित वातावरण अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय बन गया है।

उपरोक्त विषय निश्चित, सार्वजनिक महत्व का, तात्कालिक एवं सरकार के कार्य का परिणामस्वरूप है। अतः उक्त विषय पर बहस करने के लिये कोई समय निश्चित किया जाय।"

तो इसमें इसी विषय पर चर्चा होगी। उसमें दंगे के विषय में अधिक ब्योरे या उसके सम्बन्ध में ज्यादा बहस न होगी, बल्कि जो कमीशन बिठाया गया है, उसकी उपयुक्तता या अनुपयुक्तता अथवा दूसरे किस्म का कोई जांच का तरीका, उसकी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता की तुलना इस विषय में की जायगी कि कौन-सा अधिक उपयुक्त तरीका हो सकता है। क्योंकि जिस ऐक्ट द्वारा कमीशन आफ इंक्वायरी बैठाया जाता है उसी ऐक्ट के मातहत उसके अधिकार एक सिविल कोर्ट के अधिकार की तरह होते हैं, इसलिये घटना के विषय में चर्चा करने से उसकी इंक्वायरी पर असर पड़ सकता है। इसको मैंने इसीलिये स्वीकार कर लिया था कि यह बिलकुल सीमित बहस के उपयुक्त था।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैंने श्रीमन्, नियम ५३ के अन्तर्गत कानपुर गोलीकांड के सम्बन्ध में बहस करने के लिये लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---आपने नियम ५३ के अन्तर्गत प्रश्न दिया है, लेकिन उसके द्वारा गोलीकांड की घटना के ब्योरे के सम्बन्ध में बहस के लिये इजाजत नहीं दे सकता जबतक कि कमीशन बैठा हुआ है। इस सम्बन्ध में सीमित चर्चा सदन कर ले और सदन को इस बात का अधिकार है कि वह कोई डाइरेक्शन कमीशन के सम्बन्ध में दे सके। मैं समझता हूं कि सीमित बहस से पता लग जायगा कि लोग क्या चाहते हैं।

दूसरा विष्ट जी का है और इसी सिलसिले में राज नारायण जी का भी है। विष्ट जी का यह है---

"हम लोक महत्व के निम्नांकित प्रश्न पर सदन में चर्चा उठाना चाहते हैं :---

'इस वर्ष चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने पर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी में एक भयंकर परिस्थिति पैदा हो गयी है। तिब्बती लोगों के साथ बड़ी तादाद में चीन के जासूस इन जिलों में प्रवेश कर गये हैं जिन्हें रोकने का या जिनकी गति-विधि रोकने का सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों ने बावजूद गोविन्द सिंह विष्ट (प्रार्थी) की प्रार्थना के कोई प्रयत्न नहीं किया है।

यह इलाका---सारा पर्वतीय प्रदेश---बहुत गरीब व पिछड़ा है। उसमें स्वदेश में जन्म लिये हुए बहुत पंचमांगी प्रचार कर रहे हैं जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है। इसका कुछ खराब असर भी होता दिखाई दे रहा है। इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक बर्फ त्रिशूल, पंचचूली व निकट के हिमालय में गल गयी है और एक अजीब रोशनी भी उधर दिखाई दे रही है। इससे भी सीमावर्ती लोग आतंकित हैं।

सरकार ने इस पिछड़े प्रदेश की उन्नति व उद्योगीकरण के लिये कोई ठोस कार्य करना तो दूर रहा, इसकी अवहेलना की है जिससे लोग प्रदेश व भारत के प्रति कुछ उदास से दिखाई देने लगे हैं और परमुखापेक्षी होते जा रहे हैं।

अब तक वहां कोई सुरक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं किया गया, न यातायात की ठोस व्यवस्था की गयी। सरकारी कर्मचारी जनता की सुविधा, उन्नति व सुरक्षा के प्रति उदासीन हैं। नये नौसिखिये लोगों को वहां ऊंचे पदों पर सरकार ने रखा है।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियम ५३, विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार हम चर्चा उठाना चाहते हैं?,"

श्री राजनारायण जी ने भी अपने प्रस्ताव में पंचमांगियों का जिक्र किया है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई समय नियत हो जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा भी पढ़ कर सुना दें, क्योंकि वह इसके बिलकुल विपरीत है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये अभी समय बतला देंगे या मुझसे बातचीत करने के बाद बतलायेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---आप कल ही कर दीजिये उसके लिये।

श्री अध्यक्ष---एक कल कर लें और एक परसों कर लें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, कल लहरी जी ने चीन द्वारा भारत की सीमा अतिक्रमण का सवाल उठाया था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिये उस पर विचार करने के लिये सदन को अधिक समय मिलना चाहिये। इस पर विचार करने के लिये कम से कम दो दिन का समय मिलना चाहिये। और लोग तो तीन दिन के लिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप आगे बढ़ना चाहते हैं और केन्द्रीय सरकार का जो विषय है उसको भी अपने दायर में लेना चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, हमारे प्रदेश का ३०० मील का बार्डर है। इस पर विचार करने के लिये तीन दिन का समय दिया जाय।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं निवेदन, करना चाहता हूं कि चीन के सम्बध में भारत के और प्रदेशों की असेम्बलीज में भी विवाद हुआ है। जैसे वेस्ट बंगाल और आसाम में इस विषय पर दो-दो दिन विचार हुआ। तो कम से कम दो दिन माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करने के लिये दें। अगर तीन दिन दे दें तो बहुत ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि यहां नीति संबंधी बहस करने की यह बात नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं याद दिला दूं कि हमारे प्रदेश की एक विशेष बात है। वह यह है कि अबकी बार हिमालय की बर्फ अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक गल गयी है और एक अजीब रोशनी हमारे प्रांत के बार्डर पर दिखाई देती है। न मालूम वह एटम बम है या क्या है ? माननीय मुख्य मंत्री जी इसका पता लगा कर जांच करके सदन को बतला दें तो बहुत अच्छा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कल मैंने और माननीय गेंदा सिंह ने आपसे निवेदन किया था कि जो विषय आपने आज के लिये और बाद के लिये रखना स्वीकार किया है, जिन पर ढाई घंटे रोज विवाद होगा, मैं समझता हूं कि उन विषयों पर ५ बजे के बाद बहस करना उनके महत्व को कम करना हो जाता है जब कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिये मैंने और माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रार्थना की है वह यह है कि इन विषयों पर तो ५ बजे के पहले कार्यवाही हो और ५ बजे के बाद विधेयक आदि जो साधारण विषय होते हैं उन पर बहस होती रहे। लेकिन इन विषयों पर बहस ५ बजे के पहले हो जानी चाहिये। कल चूंकि माननीय नेता सदन यहां उपस्थित नहीं थे इसलिये आज मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन के विवाद के बारे में ३,२ या १ दिन की बात हो सकती है, लेकिन इस में कोई संदेह नहीं है कि वह विषय ऐसा नहीं है कि जिस पर ढाई घंटे में बहस हो सके और ५ के बाद बहस हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी प्रार्थना माननीय नेता सदन या मुख्य मंत्री जी से है कि जो बिल हमारे सामने कार्यसूची में हैं उन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे २४ तारीख तक अवश्य पारित हो जायं, वे तो २८ तारीख के बाद में भी आ सकते हैं, इसलिये उन को

फिलहाल स्थगित किया जाय और २२,२३ व २४ तारीख के दिनों में चाहे ६ बजे तक बैठकर इन दो विषयों पर जो नियम ५३ के मातहत आये हैं और कल और परसों के दो दिन जिन विषयों पर बहस होना है उन के लिये दिये जायं, इस से सब को संतोष होगा। माननीय नेता सदन मानेंगे कि इन दोनों बिलों का २४ तारीख तक पारित होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिये वह कृपा करके विरोधीदल की इस मांग पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष--इस संबंध में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं कि नियम ५३ के अन्तर्गत यदि मैं अनुज्ञा देता हूं तो वह केवल ढाई घंटे की दे सकता हूं, लेकिन अगर ज्यादा समय की बात हो तो, वह या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट हो तो उस पर बहस के लिये अधिक समय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यहां बात चली है उसके लिये ढाई घंटे का समय ठीक होगा। इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री से बात हो जाय, नेता विरोधी दल नहीं हैं लेकिन उपनेता, विरोधीदल हैं, वह बात कर लें नेता सदन से और सब से बात कर के आपस में कोई समय राय करके निश्चित हो जाय। आज तो विश्वविद्यालयों के संबंध में समय निश्चित हो चुका है, कल चीन के बारे में और परसों कानपुर के बारे में मैं प्राविजनली रखे देता हूं। ढाई घंटे का समय मानकर चलें तो कल चीन के संबंध में जो प्रश्न उठा है और जो कार्यवाही वहां लोग कर रहे हैं उस के संबंध में चर्चा होगी और कानपुर में जो कार्यवाही हुई है और उस पर जो जांच कमीशन बैठा है फिर उस पर चर्चा होगी। अगर कोई और बात आपस में बात कर के तय होगी तो इस निश्चय को बदल दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, गन्ने के संबंध में जो ढाई घंटे की बहस की बात थी उस संबंध में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष--मेरे पास उस संबंध में कुछ नहीं आया।

श्री चन्द्रजीत यादव--इस संबंध में कामरोको प्रस्ताव आया था, उस समय आपने कहा था कि स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन नियम ५३ के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा था कि मैं उसे परिवर्तित नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप देंगे तो मैं उसे ले लूंगा। आप ने दिया ही नहीं फिर।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, दूसरे कामरोको प्रस्ताव, जो बाकी रह गये थे उनमें कुछ और भावनायें व्यक्त थीं, क्या वे सब नियम ५३ के डिबेट की जूरिस- डिक्शन में आ सकेंगी?

श्री अध्यक्ष--जितना हिस्सा वैधानिक न होगा उसको शामिल करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा और मैं अवैधानिक बात को जरूर रोकूंगा।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मेरी आदत नहीं है कि जब तक आप न बुलायें तब तक मैं बोलूं और लोग तो खड़े होकर कहने लगते हैं।

श्रीमन्, गन्ने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत हम ने अपना निवेदन भेजा है....

श्री अध्यक्ष--वह आया होगा तो उस को ले लूंगा और कल उस पर मैं फैसला दे दूंगा।

श्री राजनारायण--आप के दफ्तर ने अभी न दिया होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं उस की हिदायत दिये देता हूं।

श्री राजनारायण--दूसरा निवेदन हमारा यह है। श्रीमन्, चीन के संबंध में आपने कहा कि हमने दफा ५३ में मान लिया है, वह तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि

[श्री राजनारायण]

माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इसमें एतराज नहीं होगा, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय हमको किसी विशेष टेक्नीकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। नियम ५३ के अन्दर जो आपने मान्यता दी है हम स्वतः उसको वापस लेने के लिये तैयार हैं, मगर हम यह जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी तरह से विवाद हो, क्योंकि डेढ़ सौ वर्ष की गुलामी से किसी प्रकार छुटकारा पाया है और फिर किसी दूसरे मुल्क की गुलामी में चले जायं, यह जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक हम तो नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमको दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिये और उत्तर प्रदेश की विधान सभा को इस कर्त्तव्य का भार ग्रहण करना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी कह दें कि कल तो बहस चले ही....

श्री अध्यक्ष--मैं उनसे बात करूंगा। आप सब दलों के नेता लोग उनसे बात कीजिये।

श्री राजनारायण--दूसरी बात, लखनऊ और इलाहाबाद युनिवर्सिटी, दोनों को एक में नहीं मिलाना चाहिये। इन दोनों के दो अलग-अलग स्वरूप हैं....

श्री अध्यक्ष--मैं जो निश्चय कर चुका हूं उससे मैं नहीं हट सकता। वह निश्चय तो कल हो गया।

श्री राजनारायण--हम तो यह समझे थे कि आज लखनऊ युनिवर्सिटी पर होगा और कल इलाहाबाद युनिवर्सिटी पर।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री राजनारायण--अगर बहस ही हो और हमारी प्रार्थना ठुकरा दी जाय तो तीन बजे से ले लें।

श्री अध्यक्ष--मैं बातचीत करने के बाद सब बतलाऊंगा। मैं नेता सदन से बातचीत इस विषय में समय के बारे में करूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, एक निवेदन हमें करना है। चीन के बारे में आपने सदन की राय देख ली कि इसमें एक दिन की राय है। कानपुर गोलीकांड को कल ले लें और उसके बारे में भी नेता सदन से बातचीत कर लें।

श्री अध्यक्ष--मैं सब बात करूंगा।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। इस आदरणीय सदन के रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल १२३ (२) के अन्तर्गत मेरी आपत्ति है जिसके अनुसार किसी अध्यादेश के सम्बन्ध में सरकार के स्टेटमेन्ट हो जाने के पश्चात् यदि कोई माननीय सदस्य उसका अननुमोदन करने के लिये कोई प्रस्ताव रखें तो उनको तीन दिन का नोटिस देना आवश्यकीय है। इस संबंध में प्रस्ताव-कर्त्ता ने पर्याप्त नोटिस नहीं दिया है, इसलिये वह इस प्रस्ताव को इस तरह से सदन में पेश नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह मुझे अधिकार है कि नोटिस कम लेकर इजाजत दे दूं। नियम १२३ में यह है :

"(१) जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये तो उसके प्रख्यापन के बाद यथास्थिति अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण मेज पर रक्खा जायगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(२) तदुपरान्त कोई भी सदस्य तीन दिन की सूचना देकर अध्यादेश का अननुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और यदि ऐसा संकल्प स्वीकृत हो जाय तो वह परिषद् के पास उसकी सहमति के लिये भेज दिया जायगा।

(३) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश को रूपभेद सहित प्रतिस्थापित करता हो, सदन में पुरःस्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायगा, जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूपभेद करना आवश्यक हो गया था।"

बात यह हुई थी कि सरकार की तरफ से इस बात को मंजूर कर लिया गया था कि कार्य में कोई व्यतिक्रम न आवे इसलिये आज ही इस पर बहस हो जाय। तो इसलिये मैंने उसको मंजूरी दे दी है कि वह कम नोटिस पर उसको उपस्थित कर सकें। इसलिये मैं माननीय शिवराज सिंह यादव द्वारा उपस्थित वैधानिक प्रश्न को उचित नहीं समझता हूं।

***श्री गेंदासिंह**—श्रीमन्, सबसे पहले मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि आखिर यह अध्यादेश निकालने की क्या आवश्यकता थी। इस संबंध में दो ही बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाऊंगा। पहली बात तो यह कि वाकई क्या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो इस माननीय सदन की सम्मति के बिना आर्डिनेन्स निकाला जाय और सदन के बैठने की प्रतीक्षा न की जाय ?

दूसरी बात यह है कि वह कौन-सी बात ऐसी थी जिसके लिये सरकार ऐसा समझती थी कि अगर अध्यादेश न निकाले तो जनता का अहित होगा, देश को नुकसान होगा और अपनी जिम्मेदारी को सरकार नहीं निभायेगी ?

मैं सबसे पहले ध्यान उस तरफ ले जाऊंगा कि किस स्थिति में यह अध्यादेश निकाला गया। आर्टिकिल २१३ में बहुत साफ है कि ".... यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं...." मैं समझता हूं कि सरकार ने गवर्नर महोदय को जो कुछ भी सलाह दी हो उसे सरकार को बहुत स्पष्ट करना चाहिये। इस समय हमारे सामने जो कुछ भी मैटीरियल सरकार की तरफ से रखा गया है वह इस अध्यादेश के आखिर में व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया हुआ है। मैं समझता हूं यह टैक्सेशन मेजर की तरह था और उसके लिये सरकार को आर्डिनेन्स का सहारा नहीं लेना चाहिये था। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले सेल्स टैक्स अनाज के ऊपर इस तरह से लगा था और जिस वक्त सेशन चल रहा था और बजट सेशन था उस में उसकी चर्चा नहीं हुई। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने तत्कालीन वित्त मंत्री से पूछा कि साढ़े ९ करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिये कोई टैक्सेशन प्रपोजल तो नहीं लाने वाले हैं।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

उस समय मना किया गया कि नहीं ऐसा कोई सरकार का इरादा नहीं है। और जिस समय ४ दिन के लिये होली की छुट्टी हुई, सरकार को मजाक सूझा और एक मेजर यह आया कि अनाज खरीदने वालों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

अनाज के भाव सरकार की तमाम कोशिशों के बाद नीचे नहीं हुये हैं और सारा देश असफल रहा है। उसी तरह से यह भी एक टैक्सेशन का मेजर था और उसके पीछे क्या उद्देश्य थे उन्हें मैं अभी आपके सामने निवेदन करूंगा। लेकिन इस टैक्सेशन के मेजर को सरकार पहले कर सकती थी। अगर सरकार को यह विश्वास होता कि यह सदन उसे पास करेगा तो सरकार यह गलती न करती कि वह आर्डिनेन्स निकालती। सरकार को यह विश्वास था कि वह जो यह बुरा काम करने जा रही है उसे किसी हालत में उधर के बैठने वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उधर के बैठने वालों को इसके उद्देश्य को जानने व विचार करने का मौका मिलता तो कभी भी यह पास नहीं होता। अब तो आज इस स्थिति में सरकार ने लोगों को लाकर रख दिया है कि यह प्रेस्टिज का प्रश्न बन गया।

आर्डिनेन्स गवर्नमेंट ने जब निकाल दिया तो ट्रेजरी बेंचेज का फर्ज-सा हो जाता है--अगर उसे वे डिनाई कर दें तो गवर्नमेंट हार जाती है और फिर स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि पता नहीं क्या हो कि वे उसको सपोर्ट करें। इसलिये जबरदस्ती का एक काम गवर्नमेंट ने कर डाला जिस काम को कि उस तरफ के लोगों को मजबूरन सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम तो किसी हालत में भी उसको बरदाश्त करने के लिये तैयार ही नहीं हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित काम हुआ है। ३० नवम्बर को यह आर्डिनेन्स निकाला गया। सरकार का जो राब पर जुल्म करने का विचार था ये सब बातें पहले से दिमाग में आ चुकी थीं। पिछले साल भी यह कदम उठा था और गांव के उद्योगों का गला घोंटने के लिये यह एक लाइसेंसिंग आर्डर किया था और ये सारी बातें इंडियन शुगर मिल एसोशियेशन की मंत्रणा पर हुई थीं। जो हिन्दुस्तान के उद्योगपति हैं उनके इशारे पर यह सरकार समझ चुकी थी कि उसे काम करना होगा, इसलिये विधान सभा को कांफिडेंस में लेने की उसे जरूरत नहीं थी। वह समझती थी कि विधान सभा से इस प्रकार का प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। इसलिये उसने आर्डिनेन्स निकाला। इसमें जो उद्देश्यों के संबंध में लिखा है इतनी बात जरूर है उसको देख कर ऐसा मालूम होता है कि लिखने में थोड़ा फ़राखदिली से काम लिया गया है। जो बात थी उसको बहुत इधर उधर न करके साफ-साफ कहने की कोशिश की गयी है। इसको पढ़ लेने से बात साफ हो जाती है।

एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मेजर को लाने के लिये आर्डिनेन्स निकालने की जरूरत नहीं थी। इस विधान सभा का अधिवेशन होने के बाद इंतजार करना था और सरकार में अगर साहस होता तो अब विधान सभा के सामने प्रस्ताव ले आती और अगर वह पास होता तो उसे रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता था और वह टैक्स वसूल किया जा सकता था। लेकिन इसकी जरूरत गवर्नमेंट ने नहीं समझी और यह जबरदस्ती का मेजर लाद दिया और इसे प्रेस्टिज का क्वेश्चन बना कर अपनी पार्टी को मजबूर किया कि वह इस मेजर का सपोर्ट करे।

दूसरी तरफ मैं अब ध्यान दिलाऊंगा और यह कहूंगा कि इस आर्डिनेंस का अनुमोदन न किया जाय। मैं बतलाना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है, क्यों मैं ऐसा करना चाहता हूं। इसलिये करना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, दूसरे लोगों के ऊपर। हम आपसे यह निवेदन करें कि हमारा प्रदेश सारे भारत में सब से बड़ा गन्ना उत्पादक है और जितना गन्ना सारे भारत में पैदा होता है उसका आधा या आधे से कुछ ज्यादा यह प्रदेश पैदा करता है। जितना गन्ना हमारे यहां पैदा होता है उसका ६० प्रतिशत खांडसारी अथवा कोल्हू गुड़ या राब आदि बनाने में खर्च होता है और ४० प्रतिशत या इससे कुछ कम बड़ी मिलों को जाता है। सरकार लिखती है कि बड़ी मिलों को गन्ना मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उनको भूख भर गन्ना नहीं मिलता है, इसलिये हम यह उपाय कर रहे हैं कि उनको भूख के मुताबिक गन्ना मिल जाय। भूख भर बड़ी मिलों को गन्ना दिलाने के लिये सरकार यह नहीं कर सकती कि मिल वाले खुद गन्ना वालों के पास जायं। उसका कहना है कि जो कम चीनी निकालने वाले लोग हैं, यानी जो गुड़ बनाते हैं, राब बनाते हैं या खांडसारी बनाते हैं, ऐसे लोग गन्ना वाले को अपनी तरफ बुला लेते हैं और ज्यादा चीनी निकालने वाली जो बड़ी मिलें हैं वे अपने पास गन्ना ले आने

के लिये लोगों को नहीं लुभा पाती हैं। तो यह एक अजीब दलील है। सारे संसार में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि स्माल स्केल इंडस्ट्री, काटेज इंडस्ट्री या ग्रामोद्योग को चौपट करके बड़ी इंडस्ट्री की मदद की जाय और सरकार इस काम के लिये उतारू है। यह हमारी बदकिस्मती है कि मुख्य मंत्री जी के पास यह डिपार्टमेंट है और वे इसको सुनना नहीं चाहते हैं, हालांकि मैं बहुगुणा जी को कम नहीं समझता हूं, लेकिन बहुगुणा जी की भी कोई लिमिटेशन्स हैं। जो हमारी बड़ी मिलों के यार लोग हैं वे बहुगुणाजी के यहां नहीं बैठते होंगे, वे तो दूसरी जगह बैठते होंगे, अगर मुख्य मंत्री जी हमारी बात सुनते तो कुछ उनको दया आती। आखिर सरकार किसी एकोनामिक पालिसी से गाइड होगी या यों ही जो जी में आया वह करेगी। मैं सरकार की एकोनामिक पालिसी की दुहाई देना चाहता हूं।

सरकार की एकोनामिक पालिसी तो यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही यह कहा है कि हम सम्पत्ति का अब दूसरी तरह से हिसाब लगाना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं। सरकार के ही योजना आयोग की रिपोर्ट में चौथे आइटम में यह लिखा हुआ है कि आय और सम्पत्ति की विषमताओं का निराकरण और आर्थिक शक्ति का पहले से अधिक समान वितरण हमारा उद्देश्य है। तो अब यह जो सरकार का मेजर है छोटे उद्योग वालों के ऊपर हमला करने का, उससे इस एकोनामिक पालिसी का किस तरह से मेल बैठता है यह बहुगुणाजी या मुख्य मंत्री जी बतायें? जो सन् १९५६ में इंडस्ट्रियल पालिसी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने कबूल की वह मैं जरूर इस संबंध में आपके सामने रख देना चाहता हूं। उसमें गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने कहा है :

"The Government of India would in this context stress the role of cottage aud village and small-scale industries in the development of the national economy."

अब यह जो तरीका है सरकार का वह इस विलेज और स्माल स्केल इंडस्ट्री को कितनी मदद पहुंचायेगा यह सरकार स्वतः सोचे। जो कम चीनी निकालने वाले हैं, जो अनएकोनामिक चलते हैं, जो इनएफ़िशियेन्ट लोग हैं, उनके लिये सरकार ने यह नहीं किया कि उनकी मदद की जाय, बल्कि सरकार ने यह किया कि इसके ऊपर ऐसा बोझा डालो जिससे वह खत्म ही हो जाय। इसकी तरफ सरकार का कदम है। यह कदम क्या असर डालेगा, इसको सरकार समझे। बहुगुणा जी जरूर हमें इस पर कार्नर करने की कोशिश करेंगे कि खंडसारी वालों की जो छोटी यूनिटें हैं ये रस खराब कर देते हैं, बहुत सा बहा देते हैं और बड़े पुर्जे से रस निकाला जाय तो ज्यादा अच्छा निकलेगा, ज्यादा गुड़ और ज्यादा अच्छी चीनी निकलेगी। यदि वह कहेंगे तो मैं कहूंगा कि उनकी आप मदद कीजिये। लेकिन वह मिल मालिकों से ज्यादा रस दे रहे हैं और कीमत भी अच्छी अदा कर रहे हैं तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये। लेकिन यह सरकार का तबाह करने वाला कदम है।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? मैं साफ कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, वह अपने आश्वासनों की क्या वकत करते हैं? वह होते तो मैं उनसे कहता कि अपने आश्वासनों की वह क्या वकत करते हैं? इस समय मैं कहकर क्या करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शुगर केन बोर्ड की मीटिंग लखनऊ और पटना में हुई और दोनों प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स उसमें बैठे हुये थे और एक मत से विरोध हुआ। जब चीनी मिल वालों की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में खंडसारी, राब वालों और गुड़ वालों के धंधों को रोकना चाहिये क्योंकि बड़े मिल वालों की समृद्धि में यह रुकावट हैं, उस समय सारे लोगों ने एक आवाज से इसका विरोध किया और मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हरगिज ऐसा कदम नहीं उठाया जायगा जिससे उनको नुकसान पहुंचे और उसके बाद सरकार का यह कदम है। आश्वासनों की कोई वकत होती है या नहीं? कैसे भरोसा किया जाय?

[श्री गेंदा सिंह]

मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आर्डीनेन्स निकालने की क्यों जरूरत आ गई ? किस ने कहा कि शुगर वाले मर रहे हैं ? हां इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन ने मांग की और प्रस्ताव पास किये कि सरकार उनके ऊपर जुल्म करे और अगर उनको खुली छूट रहेगी तो यह हमें मार देंगे। वह कह सकते हैं कि यह लोग गन्ने वालों को सताते हैं, कम तोलते हैं और कम दाम देते हैं तो मैं आप से अर्ज करूं कि जब तक वह कम तोलते रहे और कम दाम देते रहे तो सरकार कुछ भी मदद करने के लिये नहीं गई। आज तक शुगर इंडस्ट्री के इतिहास में सरकार ने इनके लिये कुछ किया है, बताइये। किसानों के हित के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया जब तक वह लूटते रहे (हालांकि मैं नहीं कहता कि वह लूटते रहे) लेकिन पिछले साल से मिल वालों से काश्तकार का झगड़ा शुरू हुआ। यह मेरठ का मामला है। काश्तकारों ने मिलवालों से झगड़ा शुरू किया और काश्तकारों को दूसरा आल्टरनेटिव मिला और उन्होंने अपने गन्ने को खंडसारी वालों के हाथ बेच दिया और उसको वही कीमत अदा की जो बड़े मिल वाले अदा करते हैं। बड़े मिल वाले सौ मन में दस मन चीनी निकालते हैं। उनकी चीनी की कीमत एक रुपया सात आने मन दिया और जो सौ मन में पांच मन निकालें वह भी एक रुपये सात आने मन। जब तक वह किसानों को लूटते रहे तब तक यह सरकार चुप बैठी देखती रही और जब आज किसानों का उन्होंने कुछ भला किया तो यह सरकार गुड़, राब और खांडसारी वालों के खिलाफ तलवार ले कर खड़ी हो गयी। वह तलवार सरकार के विभाग का कागज, रुकावट और यह आर्डिनेन्स है।

मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। सरकार यह काम मुल्क के खिलाफ करके अपने खिलाफ कर रही है। इन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों में बहुत से लोग लगे हुए हैं। बहुगुणा जी तो बुद्धिमान आदमी हैं। जरा सारे भारत के नकशे की तरफ देखें। क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही कोल्हू और गुड़ का काम होता है ? मैं उनसे पूछता हूं कि सारे भारत के किसी दूसरे राज्य में इस तरह का तरीका कोई अपनाया गया है ? नहीं अपनाया गया है। लेकिन यू० पी० ने किया। क्या किया ? १९५१ में जो पावर क्रशर ५ हजार ८६ थे वह १९५६ में २५ सौ ७८ हो गये। आल इंडिया लाइव स्टाक सेंसस के पृष्ठ १८ पर ये आंकड़े दिए हुये हैं। इसमें कहा गया है कि उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, मैं कहता हूं कि यह छोटी-छोटी पूंजी वाले लोग हैं। एक लाख, पचास हजार, पच्चीस हजार खर्च करते हैं और गांवों में लोगों को रोजी देते हैं। उनको मदद करने की, बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी एफीशेंसी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए न कि इस तरह का तरीका अपना कर मारने की कोशिश करनी चाहिये। आज हमको जरूरत इस बात की है कि हम बड़े मिलमालिकों का साथ न दें। वे अपनी जिन्दगी से जीते रहेंगे। लेकिन सरकार उन लोगों की मदद करने जा रही है जिन लोगों ने इस देश को बुरी तरह से लूटा है।

मैं इंडियन शुगर मैनुअल और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बुलेटिन के मुताबिक शुगर इंडस्ट्री के मुनाफे को रख देता हूं। १९४७ में जो मुनाफा था---मैं प्राइस इंडेक्स बता रहा हूं---१७१·५, वह १९५६ में बढ़ कर ४५४·५ हो गया। यह शुगर इंडस्ट्री का मुनाफा है। दूसरी इंडस्ट्रीज का मुनाफा १९४७ में १९१·६ था वह बढ़ कर १९५६ में ३२६·५ हो गया। दूसरी इंडस्ट्रीज में शुगर इंडस्ट्रीज के मुकाबले में कम मुनाफा हुआ है। लेकिन सरकार शुगर इंडस्ट्रीज की मदद करने जा रही है। मैं मानता हूं कि गुड़, राब और खांडसारी को रेगुलेट करना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मजदूरों को और ज्यादा दे सकें और ज्यादा निकाल सकें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके लिये तो दूसरे तरीके थे। उसके लिये ये तरीके नहीं हैं। यू० पी० गवर्नमेंट जो सारे भारत में सब से बड़ी गवर्नमेंट है, इस मामले में सारे भारत में सब से बड़ी उत्पादक गवर्नमेंट है, जहां तक खंडसारी पैदा करने का सवाल है, अकेले उत्तर प्रदेश, श्रीमन्, १ लाख टन के करीब पैदा करता है, तो अब इस इंडस्ट्री को जिसमें लाखों आदमी रोजी में लगे हुए हैं, तीन लाख के करीब कोल्हू चल रहे हैं, इन तीन लाख

कोल्हुओं में कई लाख आदमियों को सीजनल नौकरी मिली हुई है, उनकी हालत को सुधारने के लिए, उनकी मशीनरी को मदद करने के लिये और इस तरह से एम्प्लायमेंट का मसला साल्व करने के लिए, इन सब चीजों को देखते हुए, सरकार का यह कदम बहुत ही पीछे ले जाने वाला है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिये और इस आर्डिनेन्स को किसी भी हालत में सदन को मंजूर नहीं करना चाहिए। मैंने जो बातें कही हैं वह बहुत ही आथेंटिक और बहुत ही मुलायमियत तथा जितनी भी अक्लमन्दी मेरे में थी उस सब के साथ कही हैं और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और फिर इस पर जिद न करेगी कि इस आर्डिनेन्स को पास किया जाय।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस अध्यादेश पर हम इस समय विचार कर रहे हैं, मेरा ऐसा खयाल है कि उसका कुछ परिणाम उससे कहीं ज्यादा व्यापक और भयंकर होगा जितना आज हम अनुमान कर रहे हैं, कदाचित् कल्पना भी कर रहे हों। यह अध्यादेश गांव के स्तर पर छोटी-छोटी लाखों इकाइयों पर असर रखेगा। पहली बार हमने प्रदेश में एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसके द्वारा हम खांडसारी ही तक नहीं, राब बनाने वालों तक ही नहीं गुड़ बनाने वालों तक पर अपने किसी कानून को लागू करने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि इस अध्यादेश पर विचार करते समय बरबस हमें पहले इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर हमारे राज्य की गुड़, खांडसारी और शक्कर के प्रति नीति क्या हो? मेरी तो यह शिकायत रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसका सब से बड़ा दायित्व है इस सब से बड़े गृह-उद्योग को प्रोत्साहित करने का, कदाचित् वह उस दायित्व को उस मात्रा में नहीं पूरा कर रही है जितनी आशा की जाती थी। आज जब नियंत्रण की बात आती है तो केवल इस दृष्टि से कि मिल के संरक्षण के लिए किस नियन्त्रण की आवश्यकता है। उस वक्त गुड़, खांडसारी, राब इन तमाम बातों को सोचा जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि गुड़ और खांडसारी तथा राब का मिल से सीधा इकोनामिक्स में वही स्थान है जैसा कि देश की इकोनामिक्स में खादी और मिल इंडस्ट्री का है। आज भारतवर्ष में या इस सदन में जहां पर अधिकांश लोग खादी की इकोनामिक्स में विश्वास करते हैं, जहां प्लानिंग कमीशन द्वारा भी उस इकोनामिक्स को माना जाता है, वहां पर खांडसारी, गुड़ और राब की इकोनामिक्स पर मैं ज्यादा समय लूं तो मैं समझता हूं कि यह मेरी धृष्टता ही होगी।

हमारे देश में यह सिद्धान्त माना जा चुका है कि हमें काटेज इन्डस्ट्रीज का, अपने देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिये, उनके एम्प्लायमेंट पोटेंशियल को देखते हुए, पनपाने के साधनों का सहारा लेंगे। इस सिद्धान्त को मानने के बाद हमारी कोई नीति ऐसी हो जो इस दिशा से हमें भिन्न ओर ले जाती तो मैं समझता हूं कि वह दुख की बात होगी। श्रीमन्, मैंने कुछ अधिकारीगणों से, कुछ दूसरे लोगों से व्यक्तिगत रूप में भी इस विषय में चर्चा करने की कोशिश की और उस बात को जानने की कोशिश की, उस दृष्टि कोण को समझने का प्रयास किया जिसके आधार पर यह आर्डिनेन्स आश्रित है। मैं इतना और आप की आज्ञा से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, निवेदन कर दूं कि यदि हम २४ फरवरी और २३ अक्तूबर के यू० पी० गुड़ ऐन्ड खंडसारी मैनुफैक्चरिन्ग आर्डर के दोनों आर्डर्स को अपने सामने न रखें तो यह तस्वीर नामुकम्मिल रह जायगी। यह अध्यादेश जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं और वह दोनों आर्डर्स एक ही नीति पर आश्रित हैं। इन दोनों का आपस में बहुत अधिक सम्बन्ध है। आज यह कहा जाता है और खासतौर से साउथ की ओर संकेत कर के कहा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में शुगर फैक्टरीज की रिकवरी कम होती जा रही है। शुगर फैक्टरीज का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और आज ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारी उत्तर प्रदेश की मिलें कदाचित् साउथ में न चली जायं। यह खतरा अपनी जगह पर सही है। अगर इस खतरे की तरफ सरकार का ध्यान गया है तो वह भी ठीक है। वह खतरा अपनी जगह पर है लेकिन उसकी तशखीस भी तो ठीक करना है। यह देखना है कि उस खतरे का ठीक इलाज

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

क्या हो। वास्तव में उस खतरे का कारण या उस रिकवरी के गिरने का कारण दूसरी जगह है। मैं यह समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के मिल मालिक हैं उनको इसका जवाब देना है। उनको यह बताना है कि आखिर उनकी रिकवरी सरकार की ओर से इतनी योजनाओं के होते हुये भी क्यों गिरती चली जाती है। अनुसन्धान होते हैं, उनके लिये टेक्निकल सलाह दी जाती है और रुपया लगता है। इन सब का फल यह होना चाहिये कि रिकवरी बढ़े, लेकिन वह बढ़ती नजर नहीं आती है। अगर पिछले ५, ६ साल के आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि कि ·१, ·३, ·५ के करीब रिकवरी हर साल घटती जाती है। एक तरफ हम चन्द्रमा की ओर जा रहे हैं और तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी मिलें पीछे की ओर जा रही हैं। कहा जाता है कि स्थितियों की वजह से खतरा यह है कि हमारी मिलें यहां से साउथ में न चली जायं। इसकी जिम्मेदारी मिल वालों पर है। इसका जवाब उनकी घटती हुई रिकवरी देगी। आखिर क्या वजह है कि उनकी रिकवरी नीचे जा रही है? वह इसलिये नीचे जा रही है कि वे यह चाहते हैं कि हम टैक्स से बचें। इसी वजह से वह रिकवरी नीचे आती है कि वे गवर्नमेंट से कन्सेशन मांग सकें।

मैं नहीं समझता कि आज प्रगति की घंटी उलटी चलने लगी हो। वह प्रगति की ओर न चल कर पीछे की ओर चलने लगे, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। साधारण बुद्धि का आदमी भी इसको कैसे समझ लेगा, कि रिकवरी के नीचे जाने का यह युग है। एक दूसरी बात भी है। सारे मिलों का यह उत्तरदायित्व था कि वह डेवलपमेंट करते और अपने यहां प्रोडक्शन बढ़ाते। मैं इन चार्जेज को सन् १९४४ से बराबर सुनता रहा हूं क्योंकि मैं भी इंडियन सेन्ट्रल शुगर कमेटी का एक मेम्बर हूं और वहां पर इन चार्जेज को बराबर सुनता हूं कि उत्तर प्रदेश को टेक्निकल सहायता दिये जाने पर भी वहां का एकरेज बराबर गिरता जा रहा है। यह सरकार के लिये और हमारी फैक्टरीज के लिये बड़ी लज्जा की बात है कि बावजूद हमारे सारे प्रयत्न के हमारा एकरेज हर साल गिरता चला जाता है और घटता चला जाता है। इसके लिये मैं सब से बड़ा दोष मिलों के ऊपर ही रखता हूं। मिलों का ही यह उत्तरदायित्व था कि जो उनके एरियाज हैं, जो उनके रिजर्व्ड और असाइन्ड एरियाज हैं वह इस धारणा से रिजर्व किये गये थे कि वे उनकी पाकेट हो जायें, मोनोपोली हो जायं; बल्कि इसलिये कि वह उनका प्रयोग करके वहां पर एकरेज बढ़ायें। उसमें ऐसे साधन प्रस्तुत करतीं, चाहे उनको अपना नफा ही कम करना पड़ता जिससे उसकी पैदावार बढ़ती। सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी था। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उसी बीमारी को दूर करने के लिये सरकार कदम बढ़ा रही है। वह बीमारी वास्तव में भयंकर है। उससे उत्तर प्रदेश को वास्तव में एक लज्जा का स्थान प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसका जो इलाज किया जा रहा है वह गलत किया जा रहा है। उसका इलाज जिन दिशाओं में मैंने संकेत किया उधर चल कर ही हो सकेगा।

श्रीमन्, आज इस अध्यादेश द्वारा और जिन दो आर्डर्स का मैंने जिक्र किया उनके द्वारा सारे प्रदेश के गुड़, राब और खांडसारी बनाने वालों को अब लाइसेंस लेना पड़ेगा और जो छोटी-छोटी झोपड़ियों में बेलें होती हैं जहां ६, ७ कोल्हू इकट्ठा हो कर काम करते हैं, उनके लिये उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्टर रखना पड़ेगा और उनको एक कर ३०० रुपये साल का देना पड़ेगा। आज कोआपरेटिव का युग है। आप कागजी कोआपरेटिव बनाते हैं लेकिन जो कोआपरेटिव गांवों में सैकड़ों वर्षों से वास्तव में चल रही है उनकी जड़ खोदने जा रहे हैं। आज हमारे गांवों की बेलें कोआपरेटिव का सच्चा नमूना हैं। अगर गांव वाले अलग-अलग राब और गुड़ बनायें तो उनको खर्च ज्यादा पड़ता है और इसलिये वह यह करते हैं कि १०,५ आदमी मिल कर अपना गन्ना एक कोल्हू पर ले जाते हैं और इस तरह १००, २०० किसान मिल कर सात-आठ कोल्हू लगा तेहैं जिस को बेल कहते हैं और उसमें अपने सारे गन्ने का रस निकाल लेते हैं और कामन भट्ठियों पर हलवाई भिश्ती आदि के कामन सेट हैं, वे सब मिल कर अपना काम कर लेते हैं। उनका न कोई कोआपरेटिव अफसर होता है और न स्टाफ। सच्ची कोआपरेटिव भावना से वह अपना काम

करते हैं। आज हम उन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं और उनसे यह आशा करते हैं कि वे एक फार्म रखें। वह इतना कठिन है कि मैं समझता हूं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी उसको नहीं रख सकेगा।

श्रीमन्, इस अध्यादेश के द्वारा हम केवल तीन शब्द बढ़ाने जा रहे हैं कि जहां-जहां शुगर फैक्ट्री लिखा गया है वहां उसके साथ गुड़, खांडसारी और राब जोड़ दिया जाय। बड़ी साधारण-सी बात यह मालूम होती है, लेकिन अनुमान नहीं किया जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। सन् १९५३ में जो हमने रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐन्ड परचेज केन ऐक्ट पास किया था उसकी सारी शर्तें और पाबन्दियां लागू हो जाती हैं उन सारे किसानों पर जो गुड़, राब और खांडसारी का काम करते हैं और उन सारे व्यक्तियों पर जो उससे संबंधित हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वह ऐक्ट जब बना था उस समय सरकार के सामने केवल मिल वाले थे और उनकी संख्या उस समय २५–३० थी। आज उनकी संख्या ५०–६० है जिनके पास लाखों रुपया है, जिनके पास काफी स्टाफ रहता है, मैनेजर्स रहते हैं। वह उन बातों को समझ सकते हैं और पालन करा सकते हैं। लेकिन आज वह सारे नियम इन तीन शब्दों को बढ़ा देने से उन लोगों पर लागू हो जाते हैं कि जो बिना पढ़े लिखे हैं और जिनका साधन छोटा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम नियम बनायें वह ऐसे हों कि जिनका पालन हो सके और अगर उनका पालन नहीं हो सकता तो ऐसा दरवाजा खुलने को सहारा देते हैं कि जिससे करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ता है।

श्रीमन्, इसके अलावा इस विषय में जितनी कमेटीज बैठीं, कांफ्रेंसेज हुईं, जितने एक्सपर्ट्स ने अपना राय दी, उन सब में दो बातों में मतभेद रहा। एक मत तो यह था कि जो रिजर्व और एसाइन्ड एरियाज हैं, जहां पर मिलें काम कर रही हैं, उन एरियाज में भी गुड़, खांडसारी और राब को उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिये, उतनी ही फेसिलिटीज देनी चाहिये जितनी कि बाहर वालों को मिलती हैं और यह इसलिये कि वह किसान मिल वालों की मर्जी पर न छोड़ दिया जाय। उसको हम बारगेनिंग काउन्टर दें। ताज्जुब मालूम होता है जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि मिल वाले अपनी एफीशियेन्सी की दाद देते हैं, एफीशियेन्सी की दुहाई देते हैं और गुड़, खंडसारी, शक्कर, आदि को खत्म करने की बात करते हैं। दूसरी ओर उनकी एफीशियन्सी इस पराकाष्टा पर पहुंच जाती है कि वे छोटे-छोटे किसानों को उन छोटी इकाइयों के एवज में दाम तक दे की क्षमता नहीं रखते। वे यह समझते हैं कि यह छोटी इकाइयां किसान को ज्यादा दाम दे सकती हैं।

अब इस संबंध में एक बात कही जा सकती है और कही भी गयी है कि टैक्स डिफरेन्शियल है, हमारे और उनके बीच में १३ रुपये का फर्क है और इसकी वजह से वे खंडसारी पर ज्यादा दाम दे सकते हैं। श्रीमन्, मैं इस संबंध में यह निवेदन करूंगा कि यह भी ध्यान रहे कि यह टक्स डिफरेंशियल वास्तविक नहीं है। १३ रुपये के लिये जो कहा जाता है वह तो केवल भ्रम ही है। मेरे पास लिखा हुआ ब्रेक अप है जिसको देखने से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। अगर हम सन् १९५२–५३ को नार्मल इयर मानते हैं तो हम अगर उस इयर के आधार पर आज की स्थिति को कम्पेयर करें तो हमें मालूम होगा केवल १३·०४ का डिफरेंशियल है जिसमें १·९० केन सेस के रूप में है। ०·४२ कोआपरेटिव सोसाइटीज कमीशन का है, एडीशनल सट्रल एक्साइज २·४४ है, और सेंट्रल एक्साइज ८·२५ है। इनमें से नं० १,२,३ आइटम १९५२ में भी मौजूद थे। जहां तक चौथे आइटम, एक्साइज ड्यूटी का प्रश्न है, १९५२ में यह २·७६ थी और इस तरह से मिल शक्कर पर टैक्स में जो इंक्रीज हुई वह ५·४९ थी। इसके अलावा जो खंडसारी टैक्स का स्ट्रक्चर है उसे अगर हम स्टडी करें तो हमें मालूम होगा कि उस समय एक पैसा भी नहीं लगा और उसके बाद जो टैक्स लगा वह सिर्फ करीब २·११ आता है। इस तरह से कम्पेरेटिव इंक्रीज केवल ३·३८ फी मन की रही। इसको दूर करने के लिये केंद्रीय सरकार ने ४ रुपये से ज्यादा इक्साइज ड्यूटी लगा दी। इसका मतलब यह हुआ कि

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

टैक्स के आधार पर चूंकि गुड़ और खंडसारी माइनस की साइड में है इसलिये उसको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि वे माइनस की ओर जा चुके। यह बात है टैक्स डिफरेन्शियल की।

श्रीमन्, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें दो मत हैं, एक तो यह कि जो रिजर्व और एसाइंड एरियाज हैं वहां पर गुड़ और खंडसारी को सुविधायें न दी जायं और ....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो चुका है, आप १५ मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मैं केवल ५ मिनट और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप १५ मिनट तो बोल चुके हैं। वैसे आप थोड़ा समय और ले लीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---तो मैं केवल इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त किये देता हूं कि देश के किसी भी एक्सपर्ट की यह राय नहीं है कि उन एरियाज में, जो मिल एरियाज नहीं हैं, वहां पर हम कोई नियंत्रण खांडसारी, गुड़ तथा राब पर लगायें। तो यह जो नियंत्रण हम करने जा रहे हैं यह उचित नहीं है और इससे बड़ा ही नुकसान होगा। श्री हेड्स फील्ड ने अपने प्रेसीडेंशियल एड्रेस में, जिन बातों को माना है उन्हीं की तरफ मैं आपका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने स्वयं कहा कि हम यह चाहते हैं कि उन एरियाज में, जो मिल एरियाज के बाहर हैं, वहां पर भी खंडसारी, गुड़ और राब वाले पनप सकें। इस संबंध में हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी भी बैठी थी, जिसने कई स्थानों पर जाकर मामले पर विचार किया और यह कहा कि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगना चाहिये। और उसकी दर उन्होंने दो सौ रुपये साल करने की सिफारिश की थी यह और एक्साइज ड्यूटी लग गयी जो उनकी सिफारिश के अलावा थी और उसका इंसीडेंस बहुत ज्यादा पड़ा। तो जहां दो सौ रुपया मैक्सिमम रिकमेंड हुआ था वहां तीन सौ रुपया छोटी-छोटी मिलों पर लग गया जब कि इसमें उन्होंने यह सिफारिश की थी कि ऐसाइंड एरियाज में टैक्स लगाने की बात तो दूर रही उसमें सबसिडी और ग्रांट देना चाहिये। इसमें यह कहा जा सकता है कि १ पये ४ आने मन गन्ने का दाम होना चाहिये यह भी सिफारिश थी तो इसके लिये प्रत्यक्ष बात है कि वह सिफारिश तो बिला इम्प्लीमेंट किये हुए स्वयं ही पूरी हो जाती है क्योंकि मिलवाले स्वयं ही खांडसारी वाले दाम दे रहे हैं। अब अगर हमने टैक्स लगा दिया तो इस बड़े गृहउद्योग की कमर टूट जायगी। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी की यह इच्छा है। वह कभी नहीं चाहेंगे कि इस बड़े गृहउद्योग की कमर टूट जाय, लेकिन अगर कोई मेजर ऐसा आ जाय जिसका परिणाम यह हो तो उस मेजर को वह ठीक करने का प्रयत्न जरूर करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी आप की आज्ञा से जो अध्यादेश प्रस्तुत है उसके संबंध में अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जो अध्यादेश राज्यपाल की तरफ से रखे जाते हैं उनके संबंध में कुछ वैधानिक कारण बताये गये हैं। उनको भी अगर हम गौर से देखें तो मुझे यह कहने का साहस होता है कि उसके बनाने की कोई जरूरत नहीं थी जब कि तीन हफ्ते के अन्दर ही सेशन बैठने वाला था और उसी समय इस संबंध में विधेयक बड़ी खुशी से उपस्थित किया जा सकता था। बताया गया है कि कुछ सीजन चालू होने वाले थे इस कारण अध्यादेश लाना पड़ा। मैं नहीं जान पाया कि यह बात फैक्टरियों के लिये ही क्यों देखी गयी, जो राब बनाने के कोल्हू हैं उनके सीजन को भी देखकर क्यों नहीं लाया गया।

मेरे सामने जो अध्यादेश है उसके गुणों और अवगुणों को जब मैं देखता हूं तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जितनी बातें कहीं हैं उन का समर्थन करते हुये कहता हूं कि यह अधिनियम जो

२४ फरवरी, १९५९ से प्रारम्भ किया गया था उसमें केवल ३० जिलों में लागू करने की बात सोची गयी थी और आज समस्त प्रांत के लिये लागू करने की बात सोची जा रही है। इससे यह जाहिर होता है कि उस हिस्से में जहां गन्ना पेरने की बड़ी इकाइयां, मिलें नहीं हैं और केवल मात्र वहां खांड और राब आदि बनाने के छोटे प्रयत्न सम्मिलित या संघ रूप में किये जा रहे हैं वहां इससे अनेक प्रकार की बाधायें पहुंचेंगी। किसी न किसी रूप में लाइसेंस लेने के लिये और टैक्स देने के लिये एक मुसीबत उन पर बन आयेगी। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता था कि सरकार न मालूम क्यों इन चीनी मिलों को सहायता देने के लिये छोटे उद्योगों को कुचल डालने की बात सोचती है ? ऐसे तो विरोधी पक्ष की तरफ से हम लोगों ने कई दफे सरकार से प्रार्थना की कि वह काटेज इंडस्ट्रीज को पनपने में सहायता दें। सरकार यह भी कह सकती है कि वह सहायता देती है लेकिन यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। इसके संबंध में जब अनुदान की बात कही जाती है तो बड़ी-बड़ी राशियां बता दी जाती हैं लेकिन वह राशियां एलाट तो कर दी जाती हैं लेकिन वह खर्च नहीं हो पातीं। अभी पिछले बजट के संबंध में मैंने बताया था कि एलाटेड मनी का एक-तिहाई रुपया व्यय हुआ या कर्ज के रूप में दिया गया। इससे जाहिर है कि सरकार गृह उद्योगों की ओर कितनी लापरवाह है। जो अध्यादेश हमारे सामने है उसकी मंशा है कि छोटी-छोटी इकाइयों में जहां पर खंडसारी बने वहां पर सरकार आफत लाये, लाइसेंसिग के रूप में, तो फिर यह कैसे पनप पायेंगी ? ऐसी छोटी इकाइयां ज्यादातर वहां पर हैं जहां पर चीनी मिलों का बाहुल्य नहीं है। मैं स्वयं एक ऐसे हिस्से से आता हूं जोकि मध्य में आता है और वहां पर भी चीनी मिलों का बाहुल्य नहीं है। वहां पर गुड़ और राब का काफी उत्पादन होता है और यह उद्योग वहां पर उन्नतिशील भी हो रहा है। इस उत्पादन को वहां पर सहकारी आधार पर भी चलाने का प्रयत्न किया गया है। जहां पर मिलें नहीं हैं वहां पर लोग गुड़, खंडसारी और राब का बनाना बहुत पहले से जानते रहे हैं और आज भी उसको वह पनपाये रखना चाहते हैं और उन्नति करते जाते हैं। वहां पर कोल्हुओं को सामूहिक रूप से चलाने की पद्धति हो गई है। इसलिये ज्यों ही सरकार कोई नियम बनायेगी तो उन्हें कुछ टैक्स का बोझा लगेगा और पहले से लाइसेंस लेने की भी मुसीबत आ जायगी। इससे गृहउद्योगों पर बड़ा धक्का लगेगा। सरकार शुरू में उनपर मामूली टैक्स लगाने की बात सोच रही है लेकिन सरकार की आदत तो हमेशा उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ने की रही है। लाइसेंसिग एथारिटीज उन गरीब आदमियों पर एक आफत पैदा कर देंगी। सरकार ने इस बिल में जो चार कारण बताये हैं उनमें एक-एक करके मैं बताऊंगा कि कोई भी कारण यथार्थ रूप में सही नहीं है।

पहला कारण है "राज्य के अन्य क्षेत्रों में खंडसारी इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने के उद्देश्य से उक्त आदेश का प्रसार संपूर्ण राज्य में करने का निर्णय किया गया"। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार खंडसारी इकाइयों की संख्या को रोककर चीनी मिलों को सहायता देना चाहती है। सरकार द्वारा ऐसी बात का कहा जाना बहुत ही अनुचित है।

दूसरा कारण है "गन्ने की पेराई के बाद खंडसारी बनाने की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसे केन्द्रों को जिनके द्वारा राब या गुड़ से खंडसारी तैयार की जाती है, उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने का आदेश के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया गया।" तो यह तो बात लाजमी है ही कि जब सरकार उनको टैक्स के दायरे में लेना चाहती है तो लाइसेंसिंग की बात आयेगी ही।

तीसरा कारण बड़ा ही मनोरंजक है--"उपवंचन रोकने के उद्देश्य से गुड़ तथा राब तैयार करने वाले विद्युत् चालित कोल्हुओं और बैलों पर भी लाइसेंस लगाने का निर्णय किया गया।" यह इवेजन इस रूप में कहना चाहिये, जिसमें यह पहले से लाइसेंस या टैक्स लगा हुआ हो। अब ऐसे उद्योगों पर जिन पर टैक्स नहीं था, जो ग्रामीण क्षेत्रों का उद्योग है उस पर भी सरकार टैक्स लगाने जा रही है। मिलों को गन्ना बेचना कोई उद्योग नहीं है। लेकिन अपनी चीज का कुछ बना कर उससे अच्छा दाम पैदा करना उद्योग कहा जा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सकता है, जिसमें राब और गुड़ इत्यादि बनाना भी है। उसे लाइसेंस सिस्टम में लाना और टैक्स की बात पैदा करना उचित नहीं है। ४, ५ साल की बात है कि सरकार ने कोल्हुओं पर लाइसेंस और टैक्स लगाने की बात सोची थी मगर उसके विरोध में कांग्रेस में ही बहुत आवाज उठी और सरकार को वह चीज वापिस लेनी पड़ी थी। आज उसी चीज को घुमाफिरा कर फिर लाया जा रहा है। इसमें यह दिया हुआ है कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि खंडसारी तथा गुड़ बनाने वाली इकाइयां या तो उस क्षेत्र से अपने को हटा लें जिससे चीनी की कोई फैक्टरी अपने गन्ने की पूर्ति का अधिकांश भाग प्राप्त करती हो या उस क्षेत्र में गन्ने के विकास में योगदान करें, ऐसी इकाइयों को की जाने वाली गन्ने की पूर्ति पर उपकर तथा कमीशन लगाने का निर्णय किया गया। मालूम होता है कि मनोपोलिस्टिक ढंग पर अब व्यवस्था होने जा रही है।

हर चीनी मिल का एक रीजन मुकर्रर कर दिया गया है जिसमें कोई देशी उद्योग से राब पैदा ही न करे। सारे प्रदेश में चीनी मिलें तो हैं भी नहीं, फिर सारे प्रदेश में इस कानून से क्या फायदा होगा? मैं विशेष तौर से इस अध्यादेश या आने वाले विधेयक के सिद्धातों पर ही हमला करना चाहता हूं। हमें गृह उद्योगों को उन्नत करने के लिये हमेशा कटिबद्ध रहना चाहिये। सरकार का मन्तव्य जो कुछ भी हो, परन्तु मालूम यह होता है कि नये तरीके का टैक्स लगाया जा रहा है और उसके साथ लगी हुई लाइसेंसिंग अथारिटीज वगैरह को बनाना और उनकी टारचर और हैरेस करने की बातों को लाना जाहिर करता है कि यह एक नयी आफत छोटे-छोटे किसानों पर आने वाली है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि यह अध्यादेश किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इस अध्यादेश के लाने की आवश्यकता इसलिये भी नहीं थी कि सरकार विधान सभा के सदस्यों का अधिवेशन बुला चुकी थी और हमारी राय लेना उचित भी था। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये थी क्योंकि सीजन अभी चालू ही हुआ है और कुछ अधिक राब इत्यादि अभी बना भी नहीं है। विधेयक जब हमारे सामने आवेगा तो हम अपनी राय सदन के सामने रखेंगे ही। यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं मालूम होता है कि इन छोटे-छोटे उद्योगों पर नया बोझा लादा जाय जब कि वे पहले से ही ओवर बर्डन्ड हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन के अननुमोदन को आप राज्यपाल के पास भेज दें।

*श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अध्यादेश के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं उस पूर्वी प्रदेश का रहने वाला हूं जहां इस प्रदेश की सब से ज्यादा चीनी मिलें हैं। मालूम होता है कि सरकार हमारे पूर्वी अंचल में जो सदियों से, प्राचीन परम्परा से, गुड़ या खान्डसारी का उद्योग चला आ रहा है, उस पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाने जा रही है जिससे किसान को लाइसेंस के चक्कर में पड़ना पड़े। परमिट या लाइसेंस लेने की प्रथा के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इससे किसान और मजदूर की तबाही हो जायगी। इसलिये मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसे जल्द से जल्द खत्म करें। जिससे जनता का, किसानों का और मजदूरों का हित हो। कुछ वर्ष पहले जब पन्त जी हमारे मुख्य मंत्री थे, तब भी यह बात उठी थी और उस समय जब पूर्वी इलाके में पन्त जी गये थे तो वहां इतना हो-हल्ला मचा था कि तमाम कोल्हूवालों ने हल्ला मचाया और उन पर जुर्माने हुए। नतीजा यह हुआ कि वह चीज सरकार को वापिस लेनी पड़ी। अगर किसान के लिये इसे काले कानून की संज्ञा दी जाय तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जितनी जल्दी आप इसे वापिस ले लें उतना ही अच्छा है। इसको बनाने का मंशा तो यह मालूम होता है कि मिलवालों को जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं और जिनकी गगन चुम्बी अट्टालिकायें हैं उनको भरपूर खिलाया जाय और छोटे-छोटे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योगों धंधों को जिसमें किसान और मजदूर लगे हैं उन्हें तबाह किया जाय। उनकी रोटी सरकार छीनना चाहती है। जिस समाजवाद का संकल्प लेकर, जिस गरीबी के मिटाने का संकल्प लेकर, हम यहां आये हैं, यह उसके विपरीत कदम होगा। इससे असमानता और गरीबी नहीं मिटेगी। किसानों को शादी आदि के अवसरों पर चीनी नहीं मिल पाती है लेकिन वह अपना काम गुड़ और राब तथा खान्डसारी से चलाता है ? वह महिया निकालता है और उसे काम में लाता है। इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा। बहुगुणा जी नौजवान और उद्योगों के मामलों में बड़े अनुभवी आदमी हैं। वह स्वयं सोंचे कि ऐसे कानून से हमारे प्रदेश का फायदा होगा या हानि। हम लोगों के विचार से यह बहुत ही हानिकारक कानून होगा। जब जेठ की दोपहरी जलती है तो किसान थोड़ा सा गुड़ खा लेता है और पानी पीकर कई घंटों तक उसे भूख नहीं लगती है। मैं समझता हूं कि किसान की आधी खूराक गुड़ पर निर्भर है। पूर्वी जिले जो गरीबी के शिकार हैं वहां किसान माघ, पूस के महीनों में कोल्हू चलाकर अपना निर्वाह करता है। वह रस पीता है, वह मक्का खाता है। वह महिया खाकर, गुड़ खाकर अपने बच्चों का निर्वाह करता है। और क्योंकि इस कानून के बनने से सारे प्रदेश में हाहाकार मच जायगा, आप इस गंभीरता से विचार करें। इसलिये भी कि आप बेकारी को मिटाना चाहते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं, आप इस पर गंभीरता से विचार करें और इसको वापस ले लें।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--बड़ी खुशी की बात है कि आज आर्डिनेंस की बाबत जो बात हम कहा करते थे, दूसरी तरफ बैठने वाले हमारे दोस्त भी वही बात कहने लगे। हम भी यही मानते हैं कि जो आर्डिनेन्स लाया गया है उसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब कभी किसी मुल्क में कोई आर्डिनेंस लाया जाता है तो वह तब लाया जाता है जब कोई नेशनल इमर्जेंसी हो या कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी वाकआत पैदा हो जायं। लेकिन ३० नवम्बर को कोई भी ऐसे वाकआत नहीं थे जिसके मातहत इसको लाने की जरूरत हुई। बजात खुद सरकार इस आर्डिनेन्स को लाई है।

जहां तक इस उद्योग का ताल्लुक है, गांवों में बेलें चलती हैं, गुड़ और खंडसारी बनती है। यह तो हर एक का फंडामेंटल राइट है कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी का कोई व्यापार करे। इस कानून को लाने से एक बड़ा जबरदस्त खतरा हमारे सामने आ गया है। हम एक ओर गरीबी को दूर करना चाहते हैं, पेशों को बढ़ाना चाहते हैं, हर आदमी को काम देना चाहते हैं, हर आदमी के लिये खाने, पीने, पढ़ने और दवा दारू का इन्तजाम करना चाहते हैं लेकिन इस तरह के कानून लाने से वह चीज नहीं हो सकती।

मैं जिस कान्स्टीटुयेंसी से आया हूं उसमें बहुत गन्ना पैदा होता है। हकीकत यह है कि जो रिजर्व एरिया होता है उसमें भी मिल मालिक पूरा गन्ना नहीं ले पाता है। वहां पर पर्चियां बांटने का सिस्टम होता है। बहुत से लोग उसके लिये कोशिश करते हैं, कुछ पैसा भी खर्च करते हैं और दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मिल मालिक इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि उस एरिया में जितना गन्ना पैदा होगा उस गन्ने को वह ले ही लेगा। गरमी का महीना आ जाता है और किसानों का गन्ना खेतों में सड़ता रहता है। देहात में आज नहीं, सैकड़ों सालों से यह होता आया है कि एक छप्पर में ३-४ कढ़ाई लगा ली जाती हैं और ३०-४० आदमी वहां काम करते हैं, रस निकालते हैं, राब बनाते हैं, गुड़ बनात ह। इन आदमियों में कोई करोड़पति या लखपति नहीं होता, सब मामूली आदमी होते हैं। कोई सेवार से खांड बनाता है तो कोई राब को ही शहर में ले जाकर बेच लेता है और उसके बल पर अपने शादी विवाह के अवसर पर व्यापारी से रुपया पैसा ले लेता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजबहादुर]

मिलों में गन्ना देने पर भी बहुत से लोगों को वक्त पर पेमेंट नहीं हो पाता है, वर्षों तक, महीनों तक, पेमेंट नहीं होता है। जिससे उनके सामने परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो एक वहां जो रस पेरने वाले हैं, साल, ६ महीने में तो गन्ना पैदा होता है लेकिन उसके पेश्तर ही वे व्यापारियों से पैसे लेना शुरू कर देते हैं और अपने रोजमर्रा का काम चलाते हैं। तो इससे उसके रोजमर्रा के काम में भी परेशानी होती है। आज सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि हर आदमी को इसके लिये लाइसेंस लेना पड़ेगा और ३०० रु० देना पड़ेगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी टैक्स लगाते हैं और इस तरह से उन पर तरह तरह के टैक्स लगाये जाते हैं।

हमारा तो एक तजुर्बा यह है कि हमारे यहां एक महकमा कांसोलिडेशन का है जो एक बेल लगाने पर १०० रु० बचत योजना में लेता है। इस तरह से तरह तरह के टैक्स उसे देने पड़ते हैं। और उसकी वजह से उसे एक अजीब परेशानी होती है। वह परेशानी ऐसी है जैसा कि मुझसे पूर्व माननीय गेंदासिंह ने बतलाया कि दम ब दम उसको ठेस लगती है और बेल लगाने वाले, गुड़ बनाने वाले या खंड़सारी बनाने वाले जो रोजगारी हैं उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जाती है। उसकी वजह यह है कि उनके सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। एक तो उनको बेल चलाने का लाइसेंस जल्दी नहीं मिलता और इसके साथ ही साथ यह भी दिक्कत है कि बचत योजना में जबरदस्ती उनसे रुपये लिये जाते हैं। ऐसी हालत में मिल वालों से इन किसानों का मुकाबला करना ठीक नहीं है। जिस तरह से जमींदारों को ३०,४० साल में मुआवजा देकर जमींदारी का खातमा किया गया, उसी तरह से इन मिल वालों को भी जो उन्होंने इनमें अपना खर्च किया है, उसका मुआवजा ३०, ४० या ५० साल में देना तय कर के आहिस्ता, आहिस्ता सरकार को अपने हाथ में इन मिलों को ले लेना चाहिये।

एक शिकायत यह की जाती है कि मिल में उतना वेस्टेज नहीं होता है जितना खांडसारी या गुड़ आदि तैयार करने में होता है। लेकिन असलियत यह है कि देहात में जो खांडसारी तैयार होती है उसका जो शीरा होता है वह तो ८,१० रु० मन तक बिकता है जो वेस्ट बंगाल आदि की तरफ़ गुड़, शक्कर की तरह से इस्तेमाल होता है लेकिन मिलों से जो शीरा निकलता है उससे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट बनती है या और कोई आल्कोहलिक चीज तैयार होती है। इसलिये वेस्टेज का जो सवाल उठाया जाता है वह सही नहीं है। हर आदमी का यह फ़ंडामेंटल राइट है कि वह जो रोजगार करना चाहे करे। साथ ही साथ यह भी देखने की बात है कि हमारे यू० पी० के किसानों के लिये गन्ना ही एक ऐसी क्राप है जिसके जरिये उनको कैश पेमेंट मिलता है और इस साल बहुत सा गन्ना सूख भी गया है तथा गर्मी आने पर वह और भी सूखने लगेगा। ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि वह इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करे।

हम देख रहे हैं कि इसका एकरेज भी गिरता जाता है। इसका कारण यह है कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी इस बात को मानेंगे कि पिछले साल बाढ़ की वजह से गन्ना बहुत सूख गया और इस साल भी गन्ने की फ़सल उतनी अच्छी नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह किसानों के मामले में दिलचस्पी से काम करे और उनकी तरफ़ तवज्जह दे, नहीं तो दिन ब दिन गन्ना पैदा करने वाले काश्तकारों की तकलीफ़ बढ़ती जायगी और हमारा प्रदेश ज्यादा गरीब हो जायगा। अगर किसानों की तरफ़ जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता है तो गन्ना पैदा करने वाले को उसकी कीमत भी नहीं मिलती है और कमीशन भी नहीं मिलता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि गवर्नमेंन्ट गुड़,राब और खांडसारी बनाने पर से जो पाबन्दियां लगी हुई हैं उनको जल्द से जल्द हटा ले। इससे हमारे प्रदेश का और यहां के किसानों का ज्यादा फायदा होगा।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैं जहां तक इस अध्यादेश को समझ पाया हूं इसका एक ही उद्देश्य मुझे मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की चीनी

मिलों के क्षेत्र में जहां से कि गन्ना मिलों में लाना पड़ता है वहां पर खंडसारी और गुड़ के उत्पादक उन से सस्ती खांड़ और गुड़ व राब पैदा न कर सकें, यानी चीनी मिल वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़े यह न हो और इन उद्योगों से चीनी बनाने वालों को ज्यादा टैक्स न देना पड़े और वह सस्ती चीजें, गुड़, खांड पैदा कर न सकें। यह भी उद्देश्य मालूम होता है कि ऐसा न हो कि मिल वालों को गन्ना न मिले। हमारे यहां बहुत-सी चीनी मिलें हैं और मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि हमारे सूबे में उन के लिये कोई ज्यादा आकर्षण भी नहीं है कि यहां चीनी मिलें रहना पसन्द करें बल्कि वह आज भी भारत के दक्षिण में जाना पसन्द करती हैं।

एक बात देखने की है कि चीनी मिलों के सामने गन्ने की दिक्कत क्यों आने लगी? इस का क्या कारण है? जब हमारे यहां मिलें कायम हुईं, उस समय सरकार ने ५ मील के सुरक्षित क्षेत्र उन के लिये कायम किये और उस समय आरम्भ में सरकार की नीति थी कि गन्ने की प्रति-एकड़ उपज बढ़ाई जाय। यही स्पष्ट नीति थी कि जिस को उस समय घोषित किा गया था कि इन क्षेत्रों को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाय और उपज बढ़ाकर गन्ना लिया जाय। लेकिन इतने दिनों की प्रगति के युग में हुआ यह है कि गन्ने की उपज प्रति एकड़ उस समय से घटी है और उसी के साथ परसेन्टेज में गन्ने का सुक्रोज भी घटा है। हमें इस चीज को सोचना चाहिये कि प्रति एकड़ उपज घटी और क्वालिटी भी नहीं बढ़ी यानी सुक्रोज का भी प्रति शत घटा। हमें तो किसी तरह से मिलों की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिये न कि हम यह करें कि अपने इन पुराने छोटे छोटे यूनिट्स को समाप्त करें।

मैं मानता हूं कि हमें मिलों को गन्ना देना होगा लेकिन हमें इस अध्यादेश को स्वीकार करते समय दो तीन बातों को सामने रखना होगा। आज नियोजन का समय है, मैं यह नहीं मानता कि किसी चीज पर नियंत्रण न करें, हमें छोटे बड़े उद्योगों पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण तो करना ही होगा—यानी इतने क्षेत्र में यह उद्योग, यहां यह, यहां यह करायें आदि। लेकिन यह सब करते समय हमारे सामने दो तीन उद्देश्य हमेशा रहने चाहिये। एक तो यह कि मिलों को ठीक से गन्ना मिल जाय, दूसरे उत्पादकों को भी गन्ने का पूरा मूल्य मिल जाय। तीसरे उपभोक्ताओं को भी वह चीनी, गुड़, खांड जो कुछ खाते हैं, उचित मूल्य पर मिल जाय। इन तीनों चीजों के लिये हमें प्रयत्न करना होगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जहां तक गन्ने का प्रश्न है हमें देखना चाहिये कि उस की उपज बढ़े और उस का सुक्रोज बढ़े। इस से काफ़ी परेशानी मिलों की दूर हो सकती है। जहां तक उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य मिलने का प्रश्न है, इस के लिये यह सिद्धान्त है कि जितना कम्पीटीशन होगा उतना ही उद्योग पनपेंगे और उत्पादक को अच्छा मूल्य मिलेगा। जाहिर है कि मिलों के क्षेत्र में तो हम कम्पीटीशन नहीं कर सकते, इसलिये गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये हमें राब, खंडसारी, गुड़ उद्योगों में एक एक प्रति स्पर्द्धा पैदा करना होगी। अगर हम अपने लघु उद्योगों पर नियंत्रण लगायेंगे तो प्रतिस्पर्द्धा कम होगी और मूल्य नहीं बढ़ सकेगा। उपभोक्ताओं को मीठा जिस रूप में भी वह खाते हैं वह उचित रूप में मिल जाय, इस के लिये आवश्यक है कि हमारे सभी उद्योग साथ साथ बढ़ें। यह स्पष्ट है कि हम चीनी द्वारा मीठे की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। हमें किसी न किसी प्रकार का मार्जिन इन गुड़, खांड़ आदि को पैदा करने वालों को देना होगा, अगर ऐसा राज्य सरकार नहीं करती तो हमारे सामने समस्या बनी रहेगी। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा, हमें नियंत्रण भी रखना होगा और और संरक्षण भी देने होंगे।

मैं केवल दो तीन बातें माननीय मंत्री जी के सामने पेश करूंगा जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम इस समय एक खतरनाक स्थिति में चल रहे हैं, हम यह नहीं चाहते कि मिलें हमारे यहां से कहीं चली जायं या हमारे गृह उद्योग साथ-साथ न बढ़ें क्योंकि उनके न पनपने से बेरोजगारी बढ़ेगी। गन्ने का उद्योग एक इतना बड़ा उद्योग है कि हमारे प्रदेश के किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या को एक सह-उद्योग की तरह से सहायता देता है। अतः इसमें कमी की गई तो हमें एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिये उनका रास्ता बहुत मुश्किल है।

[श्री जगदीशप्रसाद]

पूंजीपतियों पर, मिल चलाने वालों पर, बहुत से साधन हैं। वह आंकड़े इकट्ठा करने वालों को बहुत तरह से इंफ्लुएंस कर सकते हैं। जहां तक किसानों का या छोटे औद्योगिकों का सम्बन्ध है उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला यह सदन है और कोई नहीं है। मैं दो-तीन चीजें आपके सामने रखूंगा। उनको ध्यान में रखते हुए मैं गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करूंगा। पहले उनकी यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि गन्ने के लिये सुरक्षित क्षेत्र नियत हो और यह नीति निर्धारित हो कि उस क्षेत्र को लगातार कम किया जायगा। दूसरे यह कि जितना प्रतिबन्ध हो--मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश में भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाय--कोई प्रतिबन्ध सुरक्षित क्षेत्र से आगे न हो। सुरक्षित क्षेत्र लगातार बढ़ा और जब इससे भी काम न चला तो और अभ्यर्थित (एसाइन्ड) बन गया। तो यह निश्चित हो कि उस क्षेत्र के बाहर खांडसारी, राब या गुड़ पैदा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यह भी हो कि उस सुरक्षित क्षेत्र में जो कोल्हू की सीमा निर्धारित की है उससे नीचे कोई प्रतिबन्ध न हो। जो बड़े-बड़े आंकड़े रखने पड़ते हैं उनको हमारा साधारण काम करने वाला नहीं रख सकता, उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। अच्छा तो यह है कि आंकड़े या हिसाब न रक्खा जाय बल्कि इकाई की मैक्सिमम कैपेसिटी पर उपकर ले लिया जाये परन्तु यदि आप हिसाब रखवाते भी हैं तो बहुत सादा हो। एक खास बात और है कि जहां हमने यह छूट दी कि जिला अधिकारी इसको कम कर सकेंगे या ज्यादा कर सकेंगे तो वहां गलत काम करने के लिये हम रास्ता खोल देते हैं तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, यह सब चीजें सामने रखनी पड़ेंगी।

श्रीमन्, हमारे यहां प्रथा यह है--चूंकि मैं उस जिले में रहता हूं जहां कि राब और खंडसारी का बहुत काम होता है--कि बहुत सारे किसान अपने-अपने कोल्हुओं पर अपनी ईख पेरते हैं। उन्होंने एक कोल्हू लगाया और अपनी ईख पेरी और ५० मन राब इकट्ठा करके आठ-दस मील पर खांडसारी को बेच आये। इसमें स्पष्ट नहीं है कि उसका क्या होगा। वास्तव में उसका कोल्हू इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन राब से खंडसारी वहां भी बनाई जाएगी। इसको इसमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को मुक्त किया जाय।

एक चीज और मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। शुगर बोर्ड में २० सदस्य हैं। मैं मानता हूं कि मिल वालों का प्रतिनिधित्व उसमें आवश्यक था और वह है पांच का। परन्तु खंडसारी, गुड़ और राब पैदा करने वालों को उससे इग्नोर करना न्यायोचित नहीं है। उनका भी कुछ प्रतिनिधित्व शुगर बोर्ड में होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं उन पर वह ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जो किसान चुन कर आये हैं किसानों के क्षेत्र से, उनके लिये समय मिलना चाहिए और समय निर्धारित कर देना चाहिए बोलने का, १० मिनट या ८ मिनट। पीछे वालों को भी मौका मिले चाहे थोड़ा ही मिले।

श्री अधिष्ठाता--आप कृपा कर के बैठिए। समय निर्धारित है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब यह प्रस्ताव सदन में पेश हुआ और जैसे ही माननीय गेंदासिंह जी बोलने के लिये खड़े हुए वैसे ही सामने के बेंचेज के लोग एक-एक करके खड़े होने लगे केवल हिम्मत वाले ही बैठे रह गये। मैंने जाकर पूछा कि क्या बात है तो मालूम हुआ कि यह बिल नहीं है बल्कि हम लोगों की मौत का सामान है। हमने पूछा यह कैसे, मिठाई वाला बिल है इससे तो मौत नहीं होनी चाहिये, तो उन्होंने कहा कि यह बिल जो आया है इस बिल के साथ-साथ जो अध्यादेश दिया गया है इसमें जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी-बड़ी वह पहाड़ बन कर हम पर टूटने वाली हैं। हमने कहा ऐसा होगा नहीं अगर आप अपने नेताओं को समझायें और उन्हें अकल आ जाय।

खंडसारी, गुड़ और राब पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है इससे साफ़ है कि जिस प्रकार एक बहेलिया बड़ी मछली पकड़ने के लिये अपनी कटिया में छोटी मछली लगाता है और जैसे ही बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिये मुंह मारती है वह स्वयं उस कंटिया में फंस जाती है वैसे ही यहां भी देखने में आया कि खंडसारी और गुड़ वालों को मंत्री जी ने अपनी कंटियों में फंसा लिया और अब बड़े-बड़े मिल वाले उनके काबू में हैं। सन् १९६२ के चुनाव में बड़ी मछलियों से काम लिया जायगा, होना भी चाहिये आदमी एक दूसरे की ही मदद करता है। इस समय सरकार उनकी मदद कर रही है उस समय वे सरकार की मदद करेंगे। इस दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। जब कभी उधर से कोई बात होती है तो समाजवाद की हुंकार से सारा प्रदेश ठनक उठता है और जब बिल आया तो समाजवाद का ऐसा गला घोंट दिया कि वह चीं तक नहीं कर पा रहा है।

एक बात मुझे याद आयी, १९५८ में गोला शुगर फैक्ट्री ने नया प्लान्ट लगाया और हाफिज जी को नेवटिया जी ने बुलाया, वह सेठ जमनालाल बजाज के दामाद हैं, और मुझे भी बुलाया। वह फैक्ट्री १ लाख मन गन्ना रोज पेरती है। तो उन्होंने हाफिज जी के सामने अपना भाषण शुरू किया और सबसे पहले यही कहा कि अगर सरकार ने खंडसारी पर टैक्स न लगाया तो सारी फैक्ट्रीज खत्म हो जायंगी। मैंने कहा कि एक तीर से दो निशाने नेवटिया जी ने मार दिये, बड़े होशियार हैं वे, मैंने उनकी बड़ी तारीफ की। तांत बाजी राग जाना। तांत सारंगी में होती है। जब बजती है और स्वर निकलता है तो मालूम हो जाता है कि गाने वाला क्या गायेगा। सन् ५८ में तांत बजी और उसका राग अब गाया गया।

भारतीय इतिहास 'भारत में अंग्रेजी राज्य' जो कर्मवीर श्री सुन्दरलाल जी ने लिखा है उसमें हमारे यहां के दस्तकारों का वर्णन किया है, जब अंग्रेज यहां आये तो दस्तकारी को मिटाने के लिये जुलाहों को पकड़ लिया गया और सबके अंगूठे काट लिये और दस्तकारी मिटा दी। बड़े काले अक्षरों में उनका यह कारनामा लिखा गया है जब लोग वह इतिहास पढ़ते हैं तो कलेजे उछल पड़ते हैं और लोग आवेश में आ जाते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद जब यह इतिहास लिखा जायगा तो उस वक्त के पढ़ने वालों को इस सरकार पर आवेश आयेगा। अंग्रेजों ने अंगूठे ही काट लिये थे, हमारी सरकार तो पूरी बाहें काटने पर तैयार हो गयी है। एक तरफ तो कहा जाता है कि इन छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय लेकिन साथ ही यह चाहते हैं कि हमारा पैर इन इकाइयों की गरदन पर जमा रहे। कहा जाता है कि गन्ने का रकबा बढ़ता चला जाता है जिससे गल्ला कम पैदा होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने मिल मालिक हैं ये ईल्ड नहीं बढ़ाते हैं, फील्ड बढ़ाते हैं। सारे उत्तर प्रदेश में साढ़े ६ करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें से केवल १९ लाख एकड़ पर गन्ना बोया जाता है जब कि हमारे जिले का रकबा १७, १८ लाख एकड़ है। ५२ जिलों में एक जिले के रकबे के बराबर गन्ना बोया जाता है यानी २ फीसदी से ज्यादा गन्ना नहीं बोया जाता है। जब गन्ने की बात आती है, दाम बढ़ाने की बात आती है तो दुहाई दी जाती है कि गल्ले की पैदावार घट जायगी। मैं आपको बतलाऊं कि ५६ व ५७–५८ में लाखों मन गुड़ दूसरे सूबों से उत्तर प्रदेश में आया। मैंने एक सवाल पूछा था लेकिन बदकिस्मती से वह नामंजूर हो गया। मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में दूसरे सूबों से कितना गुड़ आया। लाखों मन गुड़ बाहर से लखीमपुर की मंडी में पाट दिया गया इसलिये कि देहात का किसान शक्कर खाने की क्षमता नहीं रखता था। जिस जिले में साढ़े ४ करोड़ मन गन्ना पैदा हो जिसके अगल बगल हरदोई, महोली, गोला, पीलीभीत व बिस्वां में चारों तरफ फैक्टरियों का जाल फैला हो उस जिले में बाहर से तथा दूसरे सूबों से गुड़ लाया जाय और उस जिले के किसानों पर फिर गुड़ बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, यह कुछ उचित नहीं मालूम होता। मैं तो कहूंगा कि यह एक बड़ी शर्मनाक बात है उन किसानों को खाने से रोकना, उन्हें गुड़ बनाने से रोकना। यह समाजवाद नहीं है, यह पूंजीवाद का द्योतक है। एक तरफ मिल मालिकों को प्रोत्साहन देना और दूसरी तरफ छोटे उद्योगों को कुचलना, यह एक ऐसी निर्दयता है जो किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के लिये लज्जा की बात है।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि हमारे लखीमपुर जिले में कांटे रिजर्व कर लिये गये हैं। तीन तीन, चार चार, साल से क्षेत्रों के एलाटमेंट होते चले आ रहे हैं, ताकि वहां खांडसारी शुगर फैक्टरी न खुल जाय। बिलरायां स्टेशन है नेपाल बोर्डर पर। इस स्टेशन पर आई० जी, टी० पी० भल्ला का फार्म है। हजारों एकड़ जमीन में वहां गन्ना पैदा होता है लेकिन वहां पर लोगों को गन्ना बेचने से मजबूर कर दिया जाता है। न वहां खांडसारी शुगर फैक्टरी लग सकती है, न वे गन्ना बेंच सकते हैं। बेलरायां स्टेशन का एलाटमेंट हर साल होता है, आज तीन चार साल से एलाटमेंट हो रहा है बेलरायां स्टेशन का मगर गन्ने का कांटा आज तक नहीं लगा। क्यों एलाटमेंट कराते हैं? इसलिये कि कहीं वहां पर कोई खांडसारी वाला बैठ न जाय? इसी तरह मलूकपुर सेंटर है। वह हर साल रिजर्व कराया जाता है। इस साल भी एलाटमेंट हुआ है मगर वहां पर कांटा नहीं लगाया जाता, इसलिये कि कोई खांडसारी वाला न वहां बैठ जाय। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा, मैं भी एक छोटा ही आदमी हूं इस बेंच का इसलिये छोटे मंत्री जी से ही कहूंगा, बड़े मंत्री जी तो हैं नहीं, उनसे तो गेंदासिंह जी बात करते, कि वे जरा गौर करें इस पर क्योंकि जिस तबके से हमारे छोटे मंत्री जी आये हैं वह तबका भी वही है जो गुड़ खाता था मगर वहां आकर वे उसका जायका भूल गये हैं। (व्यवधान) एक ऐसी चीज बता दी है हमारे माननीय साथियों ने कि वह ऐसी चीज खाते हैं कि जो न इसमें है न उसमें है, न वह मिल वालों को ही रेप्रेजेंट करते हैं न किसानों को ही रेप्रेजेन्ट करते हैं। पता नहीं किस को रेप्रेजेन्ट करते हैं। बताते हैं शीरा खाने वालों में आते हैं। अगर उन शीरा खाने वालों को गुड़ उपलब्ध हो जाय तो मैं कहता हूं कि वे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे। इसलिये वे जरा इसको सोचें और जो बेन्चेज खाली हो गयी हैं जरा उनसे सलाह लेकर कोई अध्यादेश या बिल लाया करें। जो लोग यहां बैठे थे और उठ गये हैं उनसे आपने पूछा नहीं। उधर से तीन माननीय सदस्य बोले हैं और उन तीनों ने इसका समर्थन नहीं किया। इसलिये नहीं किया कि वे जानते हैं कि इस मिठाई में जो कीड़े पड़ेंगे वे उनका प्रतिनिधित्व नष्ट कर देंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अपने साथियों को गुड़ खिलायें ताकि गला साफ रहे, नहीं तो सन् ६२ के चुनाव में ये साथी चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहेंगे और सारा इल्जाम आपके ऊपर लगायेंगे और जो हारेगा वह गुड़ की भेली लाकर आपके यहां पटकेगा और कहेगा कि अगर यह खिलाया होता तो जीत जाते। इसलिये आप इस अध्यादेश को वापस ले लीजिये और स्वतंत्रतापूर्वक इन छोटे उद्योगों को काम करने दीजिये क्योंकि पूंजीवाद के बढ़ावे से समाजवाद नष्ट हो जायगा। आप समाजवाद की दुहाई देते रहेंगे मगर समाजवाद इस देश में सिसक-सिसक कर और कराह कराह कर मर जायगा।

*श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव जिस अध्यादेश से सम्बन्धित है वह मेरी नाकिस राय में अपूर्ण और अधूरा है। उस अध्यादेश में स्माल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का जो गत वर्ष कम्पटीशन प्रगतिशील मिल के साथ शुरू हो गया था, जो मेरी नाकिस राय में राष्ट्र के हित में था उसको इसने समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस अध्यादेश में काश्तकारों और गन्ना उत्पादकों की जो दिक्कतें थीं उनके निराकरण के लिये कोई चेष्टा नहीं की गयी है। खिलाफ इसके स्माल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज खांडसारी और राब के सम्बन्ध में जो इस प्रदेश में जारी थीं उन पर दबाव और दमन की नीति अपना कर मिल को एक सहारा देने की कोशिश की गयी है।

श्रीमन्, आज की वस्तुस्थिति यह है कि रिजर्व एरिया में जितना गन्ना पैदा होता है मेरा अंदाजा है कि उसका केवल लगभग ४० प्रतिशत बोर्न किया जाता है। ६० प्रतिशत गन्ना काश्तकार का आज भी किसी सोसाइटी के मारफत किसी भी मिल के लिये बांडेड नहीं किया जाता। श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि इस ६० प्रतिशत गन्ने की क्या दशा होगी? इतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही नहीं जितना गन्ना बांडेड कर दिया जाता है उसका लगभग ५० प्रतिशत मिल तक पहुंच सकता है और पहुंचता है। शेष ५० प्रतिशत बांडेड गन्ना काश्तकार को कोल्हू से पेरना पड़ता है। जहां पर इस तरह से मिलों को गन्ना मिलता है वहां पर इस तरह की पाबन्दी की बात समझ में नहीं आती है।

हां, एक सवाल अवश्य पैदा होता है कि हमारे प्रदेश में मिलें ज्यादा अर्से तक नहीं चल पाती हैं। मदरास की बात कही जाती है कि जहां पर साल के ज्यादा हिस्से में मिलें चलती हैं और हमारे यहां अप्रैल तथा मई में मिलें बंद हो जाती हैं। लेकिन यहां की मिलों को ज्यादा दिनों तक चलाने के लिये जिन बातों की आवश्यकता है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरी नाकिस राय में मिलों को ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि हम गन्ने के पेरने के मौसम को जल्दी शुरू करें। इस समय जो भी गन्ने के खरीदने के कानून हैं उनमें कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है कि जिसके द्वारा मिल मालिकों पर प्रतिबंध लगा सकें कि वह एक निश्चित तारीख से गन्ने के पेरने का मौसम शुरू कर दें। इसका नतीजा यह होता है कि मिल मालिक उस समय गन्ना पेरना शुरू करते हैं जब उनके मुनाफे की दर बढ़ जाती है। भले ही गन्ना खेत में खड़ा हुआ नष्ट हो, कितना ही कोल्हू में निकल जाय और भले ही उनको आगे चल कर गन्ना न मिले। मिसाल के लिये मैं पेश करूंगा कि मेरी कांस्टीटुएन्सी में ही एक परचेजिंग सटर मुड़िया है जहां काश्तकारों का गन्ना बांडेड पड़ा हुआ है लेकिन कांटा, तोल वगैरा नहीं लगी है। इसी प्रकार से दफ्तरा और किरगी स्टेशन्स पिछले सप्ताह में चालू हुये हैं। आप दिसम्बर तथा जनवरी में क्रशिंग शुरू करायें और साल भर काम चलायें तो यह कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता है।

हमारे प्रदेश में गन्ना उत्पादक मिक्स्ड ऐग्रीकल्चर करते हैं और गन्ने के साथ साथ गेहूं इत्यादि खाद्यान्न भी पैदा करते हैं। मार्च, अप्रैल में हमारे प्रदेश में हारवेस्टिंग शुरू हो जाता है और गरमी पड़ने लगती है और गरमी के मौसम की वजह से गन्ने को खेत में खड़ा रखना मुमकिन नहीं है। इसलिये मेरी अपील है कि जो भी वह बिल लायें इसको अध्यादेश की शक्ल देने के बाद, उसमें इस तरह की चीज लाइये कि जिससे मिल वालों पर प्रतिबंध यह रहे कि वह जल्दी से जल्दी हमारे प्रदेश में गन्ना पेरना शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त गन्ने का महकमा इस तरह की गन्ने की वैराइटी निकाले जो जल्दी पक सके ताकि मिल वाले जल्दी पेरना शुरू कर दें। मुझे खेद है कि इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और न विभाग ने ही कुछ किया है।

श्रीमन्, यह सही है कि हमारी मिलें ज्यादा अरसे तक चलनी चाहिये। लेकिन इस पर सोचना पड़ेगा कि जो गन्ना अप्रैल मई के बाद पेरा जायगा उसके शुगर कंटेन्ट्स पर क्या असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि गन्ने के अन्दर जो कंटेन्ट रहता है वह बिगड़ने लगता है, इसलिये इसके बाद गन्ने को खेत में रखना राष्ट्र के हित की बात नहीं है। इसलिये यह कोशिश करना कि मिलें अप्रैल के बाद चलें, यह राष्ट्र हित की बात नहीं है। अगर खेत में गन्ना इतने अरसे तक खड़ा रहेगा तो जानवर उसको खराब कर देंगे। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तमाम प्रयास हमारे इस तरफ होने चाहिये कि हमारे प्रदेश की मिलें जल्दी ही क्रशिंग शुरू करें और अप्रैल, मई में क्रशिंग सीजन समाप्त कर दें। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि गन्ने के जो दाम नियत किये जायं वह टाइम स्केल के लिहाज से ग्रेडेड हों जो काश्तकार शुरू में गन्ना दें उनको अधिक कीमत देना जरूरी है क्योंकि उस वक्त गन्ने का वजन कम होता है। जो किसान देर में गन्ना दें उनको भी ज्यादा कीमत मिलनी चाहिये क्योंकि उनको इतने दिनों तक खेतों का रखरखाव करना पड़ता है। जो बीच में देते हैं उनके लिए दूसरा मूल्य निर्धारित होना चाहिए। मुझे खेद है कि इस अध्यादेश में इस बात की कोशिश तो की गयी है कि मिल वालों की तकलीफ को दूर किया जाय लेकिन गन्ना उत्पादकों की तकलीफ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

[श्री शिवराज सिंह यादव]

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो अमेंडमेंट बिल इस अध्यादेश को अमलदरामद करने के लिए लायें उसमें न केवल मिल मालिकों का बल्कि काश्तकार, गन्ना उत्पादक और उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखा जाय। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है खांडसारी के सम्बन्ध में इस अध्यादेश में कोई वजाहत नहीं की गयी है। रिजर्व एरिया के अन्दर जो काश्तकार अपने गन्ने की राब बना कर ले जायंगे उनके सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध रहेगा या नहीं---यदि वह प्रतिबन्ध है तो मुझे डर है कि रिजर्व एरिया के अन्दर छोटे छोटे काश्तकार भी अपना कोल्हू नहीं चला सकेंगे, क्योंकि उनको अपनी राब बेचने के लिए अपने एरिया के बाहर की मंडी में जाना पड़ेगा जो कि उनके बस की बात नहीं होगी। इसके साथ सरकार इस बात पर भी गौर करे कि कहीं यह प्रतिबन्ध लगा कर संविधान के आर्टिकिल ११९ की अवहेलना तो नहीं कर रही है। अगर ये प्रतिबन्ध आर्टिकिल ११९ के एक्सेप्शन में नहीं आते तो अवश्य इसकी अवहेलना करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कानूनी मुशीरों से पूरी पूरी सलाह कर लें ताकि हाई कोर्ट में जाकर कहीं बेइज्जत न होना पड़े। इन सुझावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, अध्यादेश के अननुमोदन का जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज तक सरकार की ओर से यह तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये कि इस प्रकार के अध्यादेश को ला कर किस का हित किया जा रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े तो मैं कहूंगा कि यह अध्यादेश किसानों के हित में तो है ही नहीं। एक प्रकार से देखा जाय तो आज यह समाज और देश के हित में भी नहीं है। तो किसान हित विरोधी हुआ, राष्ट्र हित विरोधी हुआ, और समाज हित विरोधी हुआ। माननीय बहुगुणा जी बैठे हुए हैं। यह सरकार की ओर से जबाव देंगे। जबाव देने में हो सकता है कि वह पटु हों। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकार किसानों का गन्ना पेरने की व्यवस्था न कराये वह सरकार उसी क्षेत्र के गन्ने के बोने वाले को किस हक से और किस सिद्धान्त के मुबातिक बाध्य करती है कि तुम पहले इतना गन्ना मिल को दो और बाकी गन्ने का जो चाहो वह करो। पहले इसके रिजर्व एरिया को लिया जाय और फिर जो रिजर्व एरिया नहीं है उसको देखा जाय। क्या आज सरकार इस हैसियत में है कि रिजर्व एरिया का जितना गन्ना हो उस गन्ना को मिलों के द्वारा क्रश करा देगी? बहुगुणा जी मूड़ी हिला रहे हैं। कहते हैं, नहीं। तो जो सरकार इस हैसियत में नहीं है कि वह किसान के खेत में जो गन्ना पैदा हो उसको पेराने का समुचित प्रबन्ध करे वह सरकार कैसे हिम्मत करती है यह प्रतिबन्ध लगाने के लिए अध्यादेश के जरिए कि जो किसान अपना गन्ना क्रशर को देगा उस पर चार आने तक सरकार सेस लगा सकती है। अध्यादेश में है चार आने तक लगाने का।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---वह पुराने ऐक्ट का है फैक्टरी वाला। केन सेस का रेट है।

श्री राजनारायण---अब किसी का भी हो। जायगा तो किसान पर ही।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---फैक्टरी देगी, किसान नहीं देगा। मान्यवर, यह जो चार आने का रेट है उसका इस अध्यादेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। चार आने तक केन सेस लगाने का अधिकार सरकार को है उस अधिनियम के द्वारा जो अधिनियम सन् ५६ में पारित हुआ था और वह चार आने तक का रेट किसान को नहीं बल्कि फैक्टरी को देना पड़ता है जो केन वह क्रश करती है उस पर।

श्री राजनारायण---देखिए, सुनिये। मूल अधिनियम की धारा ३ में:---(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि (Premises) में

प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गए गन्ने पर पच्चीस नये पैसे प्रति मन से अनधिक उपकर (Cess) लगा सकती है।"

तो अब इसको पढ़ा जाय और इसको देखा जाय कि इस भाषा का अर्थ क्या हुआ। बंशीधर जी शुक्ल कह रहे हैं कि इसका अर्थ हुआ सरकार का सत्यानाश। तो यह तो भविष्य में मालूम होगा कि क्या हुआ। मगर बहुगुणा जी जरा समझायें कि जो भाषा यहां पर प्रयुक्त की गई है क्या मैं उस भाषा का भाष्य करने में गलती तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बीच में स्पष्टीकरण किया था श्रीमन्, तो मैं फ्लोर को ईल्ड करूंगा (अपना स्थान ग्रहण करूंगा) और चाहूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण फिर कर दें ताकि विवाद में आसानी हो क्योंकि अगर वह कहते हैं कि गन्ना उस क्शर में जो लाया जायगा उस पर नहीं लगेगा तो दूसरा अर्थ आयेगा और अगर यह साफ है कि प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गए गन्ने पर पच्चीस नये पैसे प्रतिमन से अनधिक उपकर लगा सकती है तो गन्ना जो लाया जायगा उस पर लगेगा। प्रयोग के लिए जो गन्ना लाया जायगा, उस पर लगेगा।

श्री अधिष्ठाता--मेरा ख्याल है कि जो आप अर्थ कर रहे हैं उसके अनुसार बोलें....

श्री राजनारायण--नहीं श्रीमन्, यह तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हालांकि माननीय बहुगुणा जी ऐसा नहीं करते लेकिन मैं तो समझता हूं कि सदन में जो बहस हो वह सार्थक हो, इसलिए मैं ईल्ड करने को बैठने को, तैयार हूं। अगर मेरे समझने में कोई गलती है और सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण आता है तो मैं ईल्ड करने को तैयार हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, ऐसा है कि यह जो सेक्शन हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं उसके संबंध में मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिन अध्यादेशों पर आज बहस हो रही है इनके संबंध में बदकिस्मती यह है कि गलतफहमी शुरू से ही हो गई बहुत सारी बातों पर। मैं एक तरह से श्री राजनारायण जी का आभारी हूं कि बीच में ही उन्होंने समय दे दिया कि मैं कुछ बातें रख दूं जिससे बहस का रुख उचित दिशा की ओर आ जाय। एक बात तो मैं यह कह दूं कि फैक्टरी के केन सेस का जो रेट है, वह जो अधिकार हमको है, वह चार आना मन तक लगाने का है। हम जो सेस उस गन्ने पर लगाने वाले हैं जो क्शर्स में इस्तेमाल होगा वह चार आने नहीं है। उसका जहां तक सम्बन्ध है उसका रेट रूल्स में प्रिस्क्राइब होने वाला है और वह हमारे इस आर्डिनेंस में जो आपने देखा और जो आज्ञायें निकली हैं उनमें ९ नया पैसा है, सलफिटेशन प्लान के लिये और ४ नया पैसा है, ट्रेडिशनल खांडसारी आदि के लिये यदि वह छः कोल्हू से ऊपर कोल्हुओं द्वारा बन रही हो, २५ नये पैसे नहीं है। यदि उस आर्डिनेन्स की भाषा में कोई ऐसी बात दिखाई देती है जैसा कि राजनारायण जी कहते हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह उचित समय पर जो कोई भी इस सम्बन्ध में संशोधन पेश करेंगे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। जहां तक इसका सम्बन्ध है यह तो स्पष्ट हो गया। अगर हमारे इस आर्डिनेन्स की किसी धारा में कोई ऐसी गलतफहमी हो तो मैं उनको दावत देता हूं कि राजनारायण जी, जो इसमें संशोधन देंगे, उसको हम स्वीकार कर लेंगे जब कि उसका समय आयेगा। जो भी इस सम्बन्ध में उनकी शिकायत होगी उसको मैं स्वीकार कर लूंगा।

अब इसके बाद अगर राजनारायण जी कोई और स्पष्टीकरण चाहें तो मैं उनको दे सकता हूं। आज इस समय हम इस आर्डिनेन्स की जो भाषा है उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, आम तौर पर इसका असर इंडस्ट्रीज पर जो है उस पर कर रहे हैं। जैसाकि अभी गेंदासिंह जी ने इसके फैक्ट्स से परेशान होकर इसका विरोध किया अगर इस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया तो मैं समझता हूं उनका वह विरोध खत्म हो गया होगा क्योंकि २५ नये पैसे तो इसमें है नहीं।

श्री राजनारायण--इससे वस्तुस्थिति स्पष्ट है। एक जगह पर ९ नये पैसे का प्रतिबन्ध है। माननीय बहुगुणा जी कह रहे हैं कि अध्यादेश में अगर ऐसा हो तो वह विचार करेंगे। उनको फूल लगाकर फूल नहीं हो जाना चाहिये....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और यह आक्षेप है।

श्री अधिष्ठाता---मैं भी समझता हूं यह आक्षेप है और आपको यह वापस लेना चाहिये।

श्री राजनारायण---मेरा मतलब यह नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मेरा मतलब यह था कि फूल कोमल होता है तो उनको उसी तरह से कोमल नहीं होना चाहिये।

तो मैं यह कह रहा था कि इस अध्यादेश में ९ पैसे की बात कही गई है....

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, ये नेता लोग ही यह सारा समय ले लेंगे और हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता---आपको मौका जरूर दूंगा। मुझे आपका खयाल है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इस अध्यादेश के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी ने जो अब स्पष्टीकरण दिया है इस अध्यादेश को लेकर कतई इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक जगह ९ नये पैसे कहे गये हैं और एक जगह कहा गया है कि ४ आने से अधिक नहीं होगा। तो यह ९ नये पैसे इस ४ आने के अन्तर्गत ही आते हैं। यह अपनी जगह पर साफ है। यह इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यह प्रश्न है कि आखिर यह सरकार गृह उद्योगधंधों को विकसित करना चाहती है या नहीं और अगर यह सरकार विकसित करना चाहती है तो चाहे कोई कल लगाकर या क्रशर लगा कर राब बनाता है या गुड़ बनाता है तो उनके ऊपर प्रतिबन्ध क्यों लगे? सरकार का तर्क है कि अगर उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा तो मिलों को गन्ना नहीं मिलेगा। जैसा कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने अपने नोट में स्पष्ट किया है कि यहां मिलों को उचित मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाता है तो यह देखना चाहिये कि मिलों को उचित मात्रा में गन्ना क्यों मिले और कैसे मिले यह दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। माननीय बहुगुणा जी बातें न करें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। आप देखें कि सदन की मर्यादा नष्ट होती है।

श्री अधिष्ठाता---आप यह प्रिज्यूम करें कि वह सुन रहे हैं।

श्री राजनारायण---कैसे प्रिज्यूम करें, हमने अपनी आंखों को धोखा देना नहीं सीखा है। आखिर प्रश्न यह है कि मिलों को गन्ना मिलना चाहिये या नहीं। बहुगुणा जी देखेंगे तो पता लगेगा कि इन मिलों को १९३२ से संरक्षण दिया गया है। उस समय से यहां की मिलों ने किसानों के हित के लिये क्या किया? और आज तक वे अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पायी हैं यह सारी बातें इस अध्यादेश से जुटी हुई हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए इस पर विचार विनमय होना चाहिये। सरकार या बहुगुणा जी इस बात का स्पष्टीकरण करें कि इस अध्यादेश का प्रयोग कहां कहां किया गया और कहां कहां नहीं किया गया। मेरठ में जो गन्ना प्रयोग में लाया गया उसके लिये वहां के लोगों को किसने यह आश्वासन दिया कि वहां अभी इसका प्रयोग नहीं किया जायगा। वहां इस अध्यादेश का प्रयोग क्यों नहीं किया गया इस बात का रहस्य खोले जाने की आवश्यकता है। रहस्य यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको २०,००० रुपये की जरूरत उस जिले से हुई और उसके वायदे पर आज उस जिले में इस अध्यादेश के मुताबिक कार्यवाही नहीं हो रही है। इसको वहां लागू नहीं किया गया। क्यों सरकार ने यह हक ले रखा है कि वह जहां चाहेगी इसको इस्तेमाल करेगी? यह सारा का सारा अधिकार सरकार ने क्यों ले रखा है? इस अधिकार के लेने मात्र से ही यह बात साफ हो जाती है कि यह सरकार पक्षपात करने पर तुली हुई है। जो लोग सरकार के पक्ष में हैं, उसकी नीति के समर्थक हैं, जो लोग सरकारी पार्टी को चन्दा देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके चुनाव में मदद करते हैं, वह ऐसे लोगों को इस कर से छूट देगी।

आज तक यह सरकार इस हैसियत में नहीं आयी कि वह बता सकती कि यह सेस का कितना रुपया लोगों पर उसने लगाया है और इसकी भविष्य की योजना क्या है। अगर मैं इसकी

उपेक्षा भी करूं तो हमारे सामने वही प्रश्न आ रहा है कि जिसको लेकर आज किसानों ने मिलों को अपना गन्ना देना बन्द कर रखा है, जिसको लेकर विधान सभा के सदस्य कितने ही आज जेलों में विद्यमान हैं। यह सारी बातें उससे जुटी हुई हैं। सरकार कहती है कि हम मिल को संरक्षण देना चाहते हैं और दूसरी ओर यह कहती है कि हम कीमतों के संतुलन के सिद्धान्त को मानते हैं। तो संतुलन कैसे होगा ? किसान जो लागत लगा कर गन्ना पैदा करता है उसको हम क्यों न जोड़ें। आखिर किसान भी अपनी जमीन का लगान देता है, बीज में पैसा लगाता है, उसके परिश्रम की भी कीमत होती है। तो सरकार एक मन गन्ना पैदा करने में कितनी लागत लगाती है सरकार इसका जोड़ नहीं कर पाती और न सरकार इसकी कोई आवश्यकता समझती है, लेकिन मिल मालिकों के लिये चीनी की कीमत कितनी हो उस को तय करने के लिये सरकार हर प्रकार से उद्यत रहती है और इसका प्रयत्न करती है कि मिलें किसी न किसी प्रकार से चलें। मिलों का चलना आवश्यक है और वह चलें वह बढ़ें, उनका प्रसार हो, उसमें हमें कतई एतराज नहीं है, लेकिन जनहित और समाज हित को ठुकरा कर उनके हकों को छीन कर, उन पर कुठाराघात करके अगर मिलें चलती हैं तो वह किस अर्थ की चीज हैं ? मिलें, कायदा, कानून, विधान, सब इंसान के लिये हैं लेकिन इस सरकार की समझ में यह बात नहीं आती कि उसने सब के लिये इंसान को बना दिया है।

एक तरफ सरकार कहती है कि मिलों को गन्ना मिले। मिलों को गन्ना खूब तादाद में पहुंचे और मिल इस देश में पनपें। लेकिन आप देखें कि कोई भी किसान ज्यादा मेहनत कर के गन्ना पेरना नहीं चाहेगा अगर उसका आसानी से मिलों में गन्ना चला जाता है वह खुशी से गन्ना मिलों को देगा और खुद नहीं पेरेगा। मैं कहता हूं कि सरकार क्यों नहीं कोई ऐसी योजना बनाती कि किसान स्वतः प्रेरित होकर मिलों को गन्ना दें। सरकार यह भी चाहती है कि किसान अपने हितों की हिफाजत करें और उनको लाभ पहुंचे। इसके विपरीत सरकार यह भी चाहती है कि किसान चाहे मारा जाये, उसको कितना ही कष्ट हो, लेकिन दंड के जरिये से, बाहुबल के जरिये, हर तरह से हम उसको मजबूर करें कि वह गन्ना किसी प्रकार से मिलों को जाकर दे और इसी की पूर्ति के लिये आज सरकार इस बेहूदा ढंग से अध्यादेश को लाई है। मैं पूछता हूं कि क्यों इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता पड़ी ? क्यों नहीं यह सदन इस से पहले बैठा ? अगर विधान मंडल की बैठक पहले ही बुला ली गई होती तो उस समय इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार-विमर्श हो सकता था। उस समय इस पर निर्णय हो सकता था। आज सरकार ने जो तरीका अध्यादेश जारी करने का अख्तियार कर रक्खा है वह जनतांत्रिक प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है। यह सरकार हमेशा कोई न कोई अध्यादेश लाकर हमारे सामने रख देती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इस लिये विरोध कर रहे हैं कि जनता आज जगे और अपने इस हक को लेकर जगे वह अपने अधिकारों को समझे। आज इस तरह से अध्यादेशों को लाकर जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात किया जा रहा है, जनतांत्रिक परम्परा को खतरे में डाला जा रहा है। हर कार्य बिल्कुल मनमाने ढंग से, तानाशाही तरीके से ही सरकार करना चाहती है। जब चाहती है सदन को स्थगित कर देती है और जब चाहती है सदन की बैठक बुला लेती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस तरफ़ से माननीय गेंदासिंह जी ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में मैं कुछ शब्द अर्ज करना चाहता हूं, इसके पहले कि मैं इस विषय पर आऊं। श्रीमन्, मैं आप की तवज्जह गांधी जी के उन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्हों ने कहे थे। उनका कहना था कि गुड़ को तो सरकार को छूना ही नहीं चाहिये। तो श्रीमन्, आप देखें कि एक तरफ़ तो गांधी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, इसके लिये यह लोग उनका नाम

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

लेते लेते थकते नहीं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत, जो उसूल, हमारे सामने रखे थे उनका वे हनन कर रहे हैं। वे उनको उन्हीं के कदमों पर चलने वाला बताते हैं, पर चलते नहीं। पहले यह बिल माननीय फूल सिंह जी ने पेश किया था, मैं उसको पढ़ कर बाद में सुनाऊंगा अभी फूल का नाम लेने से माननीय मंत्री जी नाराज हो गये वे फूल को दिखा कर कांटों को छिपाना चाहते हैं मैं आप को बताऊं कि उसमें १.२ परसेंट चीनी आजाती है और खंडसारी सीरा भी ४·५ प्रतिशत आजाता है जो खाने के काम में आता है। अभी माननीय गेंदासिंह जी ने भी इस विषय में काफी प्रकाश डाला है। तो सरकार का यह कहना कि इससे नुकसान होता है और पूरी चीनी का हम प्रयोग नहीं कर सकते अगर इसको न करें तो वह गलत सी बात हो जाती है।

दूसरी बात, जैसा कि उधर के बैठने वालों ने भी माना है और मैं श्रीमन्, उस अंश को पढ़ देना चाहता हूं जो केन्द्रीय सरकार के मंत्री जी ने कहा था:—

"while replying to a question in the parliament in March, 1957 the Minister for Food and Agriculture observed that Factories consume only 25 per cent of the cane grown, while the major portion continued to be processed by the open-pan system. we have 5. 19 lakh bullock-driven crushers and .20 lakh powerdriven ones."

तो श्रीमन, २५ फ़ीसदी सन् १९५७ में ऐसा कुल गन्ना था जो बड़ी-बड़ी मिलें कन्ज्यूम कर सकीं। जो शेष ७५ फ़ीसदी था उस क्षेत्र के लिये प्रतिबन्ध लगाया जाना यह कह कर कि मिलों के लिये गन्ना नहीं मिल रहा है, एक लंगडी दलील है। श्रीमन, मैं अर्ज करूंगा कि यह बहाना मात्र है बड़े-बड़े मिल मालिकों को मदद करने का और छोटे-छोटे गृह उद्योगों को दबाने का यह सरकार की नीति ही बन गई है।

मैं इसी तरह की और बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। बरेली में एक इंडियन वुड वर्क्स है उसे कत्थे के पेड़ दिये जाते हैं। यह मसला कई बार यहां सदन में भी आ चुका है और किस भाव पर दिये जाते हैं। जब बाजार में २१३ रुपया फ़ी यूनिट का भाव होता है तब उसको १३१ रुपये या ११३ रुपये फी यूनिट पर दे दिये जाते हैं। इस तरह से इस कम्पनी को जो अंग्रेजी कंट्रोल में थी अब मालूम नहीं कि किसके अधिकार में है उसको मदद देने के लिये सरकार ने पांच सालों में ३० लाख का घाटा उठाया है। यह बात इस आदरणीय सदन में आ चुकी है कि जो लोग हाथ से कत्था निकालते हैं जो २० हजार से ज्यादा है तादाद में उन लोगों को दूने दाम पर दिया जाता है और हरचन्द कोशिश की जाती है कि उसको पेड़ मंहगे दाम पर दिये जायं और उनको खत्म किया जाय। जहां सन् १९५४–५५ में सरकार ने यह कहा था कि आइंदा सरकार कत्था फ़ैक्टरी को रियायती दामों पर नहीं देगी लेकिन उस साल ही कृष्ण कत्था फ़ैक्टरी, अलीगढ़ को न देकर दूसरे साल दूसरे नाम से कृष्ण कत्था फ़ैक्टरी, हलद्वानी को दिया गया और ५ लाख का घाटा उस के एक साल में सरकार को हुआ। ४५ सौ खैर के पेड़ सस्ते दामों पर उसको दिये गये बल्कि यही नहीं नजीबाबाद में सुना है एक तीसरी फैक्टरी लगाने की इजाजत दी है और उनको सस्ते दाम पर पेड़ दिये गये। गरज यह है कि यह गृहउद्योगों का हर जगह गला घोंटना और मिलमालिकों और सरमायेदारों को पनपाना यह इस सरकार का रिवाज रहा है।

मैं एक दूसरी तरफ़ भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। बरेली में रोजिन और टरपैन्टाइन फ़ैक्टरी है। एक लाख मन या टन सालाना लीसा देने का ठीका था जो इधर खत्म होने वाला था लेकिन अब यह कोशिश की गयी है कि उसे और भी सारा लीसा दिया जाय। छोटे उद्योगों को नहीं दिया जाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के बहाने। तो श्रीमन्, यह किया गया है। यह नीति सरकार सब जगह चला रही है चाहे वह लीसा या कत्थे का मामला हो या खंडसारी का मामला हो, किसी भी उद्योग के मामले में ऐसी ही कोशिश हो रही है। सुना है और वह इंडस्ट्रीज के

भी इंचार्ज हैं, वह बतलावेंगे कि अब ऐसा कुछ प्राविजन किया जा रहा है कि अब तक जिनको रिजर्व्ड एरिया से लीसा दिया जाता था अब उनको सिविल जंगलों का भी सारा का सारा लीसा दे दिया जायगा। यह सरकार जो बहुत स्वांग रचती है कि वह कोआपरेटिव ढंग पर छोटे उद्योगों को पनपाना चाहती है लेकिन यहां सारा का सारा लीसा बड़े उद्योग के लिये दे करके छोटे उद्योगों को वह खत्म करने जा रही है। कोटद्वारा और गढ़वाल सहकारी फ़ैक्टरियों को जसात मुताबिक लीसा नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह अल्मोड़ा और रानीखेत को लीसा देने में अड़चन हुई है। इसी तरह से सरकार ने कुमाऊं इन्डस्ट्रीज में और हर जगह अड़चन की। यह तो एक खुली हुई बात है कि इस राज्य में मोटे आदमियों-मिल मालिकों और सरमायेदारों की मदद की जाती है। खादी कमीशन, प्लानिंग कमीशन और इंडियन टैरिफ़ बोर्ड विलेज ऐन्ड स्मास स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, सभी ने खांडसारी और गुड़ को गृह-उद्योग माना है। जैसे, टेक्सटाइल के मामले में सरकार खादी को प्रोत्साहन देती है। जहां तक मुझे याद है, उसी तरह भारत सरकार ने ८ करोड़ रुपया खांडसारी व गुड़ की तरक्की को दिया था। उस समय लोगों ने कुछ राहत की सांस ली थी और वे समझे थे कि इसको तरजीह मिलेगी लेकिन आज जो यह सरकार करना चाहती है उससे सब खत्म हो जायगा।

आज कल शुगर मिलों में जितने आदमी इम्पलाय होते हैं उससे २३ गुने आदमी गुड़ और खांडसारी में एम्पलायड हैं। इससे २३ गुना एम्पलायमेंट कम होगा। अगर मैं और फ़ीगर्स कोट करूं, खादी कमीशन के अनुसार सारे भारत में जहां ४,९८० हजार एकड़ में गन्ना बोया गया सन् ५६-५७ में और ६९,३७४ हजार टन पैदा हुआ उसमें केवल उत्तर प्रदेश में ३०५० हजार एकड़ में गन्ना बोया गया और ३७,७८३ हजार टन गन्ना पैदा हुआ, यानी आधे से ज्यादा। इस हिसाब से हमारा एम्पलायमेन्ट पोटेंशियल मोटे तरीके से तकरीबन ११ लाख व्यक्ति होता है जिसमें पौने तीन लाख बैलों की जोड़ियां १०० दिनों तक काम करेंगी। बैलों के साथ इन्सान भी लगेंगे। तो सन् ६१-६२ में यह सारी बैलों की जोड़ियां बेकार हो जायंगी और फिर मंत्री जी को बैलों की जोड़ी पर वोट नहीं मिलेंगे।

अब जहांतक टार्गेट की बात है प्लानिंग कमीशन ने २० लाख टन का चीनी का उत्पादन रखा था। उसमें थोड़ी-सी कमी हुई तो सरकार को बड़ी फ़िक्र पैदा हो गई और सरकार के ऊपर आसमान फटा जा रहा है। इसके साथ ही मैं सरकार की तवज्जह उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसी प्लानिंग कमीशन ने उसी किताब में खांडसारी का भी साढ़े ७ लाख टन का टार्गेट रखा था जोकि अबतक दो लाख टन का हो सका है और श्रीमन्, यह आज का ही नहीं है बल्कि इसमें पुरानी भी फ़ीगर्स भी चली आ रही हैं। सन् १९३०-३१ में भी अगर देखें तो उसके हिसाब से अब खांडसारी का उत्पादन बहुत बढ़ गया है और यह कार्य बहुत व्यापक पैमाने पर हो गया है। खुद सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े इसको गलत करते हैं अगर पुराने कागजों को भी मंत्री जी देखने की जहमत फ़रमायें।

इसके साथ में यह कहना चाहता हूं कि सरकार का यह कहना कि मिलों को गन्ना नहीं मिल पा रहा है तो वह क्यों नहीं मिल पारहा है? इसका दोष सरकार के मत्थे है। इस आदरणीय सदन में गन्ने की कीमत १ रुपये १२आने फ़ी मन निर्धारित की गई थी लेकिन सरकार ने सेन्टर को लिख दिया कि एक रुपये ७ आने ही काफी हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये। लेकिन खांडसारी वालों ने निर्विवाद रूप में, श्रीमन्, गन्ने का दाम एक रुपया ७ आने से कहीं ज्यादा दिया इसलिये गन्ने वालों ने मिल मालिकों की ओर कम ध्यान दिया जिससे काफ़ी गन्ना मिल वालों की तरफ़ से डाइवर्ट होकर खांडसारी वालों की तरफ़ चला गया। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फ़िर जरूर असंतोष फ़ैलेगा और आगे न जाने क्या क्या हो।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

श्रीमन्, इस तरीके से यह सरकार मिल मालिकों की मदद करती है। सल्फ़िटेशन प्लान्ट चलाये जा रहे हैं। दो लाख के करीब एक प्लान्ट में पूंजी लगती है। मिल मालिकों ने खांडसारी वालों को भगाने के लिये यह चला दिये ताकि वह कम्पटीशन में न टिक सकें। सरकार ने सल्फिटेशन प्लान्ट के लिये ज्यादा सहूलियत दी जब कि उससे निकला शीरा भी काम नहीं आता। सरकार अलग से सल्फिटेशन प्लान्ट पर कर लगाये इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। मगर कोल्हू की खांडसारी कर मुक्त रहे। कोल्हू पर, गुड़ पर, खांडसारी पर, जो ओपेन पेन पर चलती है, टैक्स लगाना गलत बात होगी।

हमारा जो केन कमिश्नर है उसको शुगर कमिश्नर की संज्ञा दी जाय तो गलत न होगा। वह इस बात की ही तजवीज करता है कि किस प्रकार से मिल मालिक और मोटे हो जायं लेकिन केन का डवलपमेन्ट किस प्रकार से हो इस पर कोई ठोस उपाय नहीं करता है। आज चाहे कोई सदस्य इधर के बैठने वाले हों या उधर के हों, सब ने यही कहा कि आजकल चीनी कम निकलती है। मैं पूछता हूं कि केन कमिश्नर किस मर्ज की दवा है? आप शुगर कमिश्नर अलहेदा अलग से बना दीजिये तो मुझे कोई ऐतराज न होगा लेकिन केन कमिश्नर को केन का डवलपमेन्ट करना ही चाहिये। मैंने केन कमिश्नर के कार्यालय से पूछा कि इस टैक्स का इन्टेक्ट कितना होगा लेकिन मुझे नहीं बताया गया। न जाने इसमें क्या छिपी हुई बात थी। भू० पू० मंत्री श्री फूल सिंह जी की एक बात पढ़ दूं जो उन्होंने इसी सदन में कही थी। उन्होंने कहा था—

"We consider that there is no justification for raising such large revenues from the cane cess."

दूसरी जगह जो केन के बारे में इंक्वायरी कमेटी बिठायी गयी वह कहती है—

"We consider that any extension of the use of this entry by State Governments for the purpose of taxing agricultural or mineral products or raw-material would for many reasons be undesirable"

सन् ५६ में जो बात फूलसिंह जी कहते हैं सरकार आज उसी आर्ग्युमेंट को भूल जाती है। फिर आज देखिये कितने शर्म की बात है कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले किसी ने भी इस बात पर सरकार का साथ नहीं दिया। आपके पीछे बैठने वाले भी इस बारे में आपके साथ नहीं हैं, इसलिये आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसको वापस ले लें।

(श्री रामायण राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। आज विश्वविद्यालय पर जो बहस होने वाली थी उसके बारे में यह वायदा किया गया था कि ३ बजे के बाद उसके बारे में सूचना दी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—वह ५ बजे बाद लिया जायगा। जिस प्रकार ऐजेन्डे पर दिया हुआ है उसी प्रकार से होगा।

***श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)—मान्यवर, जिस अध्यादेश के संबंध में चर्चा चल रही है उसमें मेरी समझ में बहुत स्पष्ट बातें कही गयी हैं और मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह विचार है कि जिस सफाई से उन्होंने यह अध्यादेश प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अगर ऐसे ही अध्यादेश वे लाते चले गये तो जिस समाजवाद की वह चर्चा करते हैं वह समाजवाद जल्द इस देश में आ जायगा क्योंकि इस अध्यादेश से, ऐसा मैं समझता हूं, कि ऐसी पिछड़ी अर्थ व्यवस्था में और भी विषमता आजायगी और इस अध्यादेश से उन लोगों को जोश आना चाहिये, उन लोगों में आज एकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होनी चाहिये जो लोग वास्तव में इस देश में गरीब किसानों का भला करना चाहते हैं। साफ़-साफ़ शुरू में ही कहा गया है कि इस अध्यादेश को लाने का उद्देश्य है मिलों को गन्ना देना। पिछले साल जो आन्दोलन हुआ, गन्ना काश्तकारों ने गन्ना मूल्य वृद्धि के लिये जो आन्दोलन किया, उस आन्दोलन को सामने रखते हुए जो २४ फ़रवरी को आन्दोलन हुआ था तो ५ फ़रवरी से और २४ फ़रवरी के बीच सरकार को यह सूझ आयी कि अगर हमें गन्ना काश्तकारों को इन बड़े मिल वालों को गन्ना देने के लिये विवश करना है तो सफ़ाई के साथ ये जो छोटे-छोटे धंधे चल रहे हैं, उन पर टैक्स लगावें। उसी का यह परिणाम है कि आज यह अध्यादेश लाया गया है। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह अध्यादेश सरकार की पूंजी परस्त नीति का स्पष्ट द्योतक है। इसके बाद अब किसी को शुबहा नहीं रह जाता है।

अन्य बातें कहने के पूर्व मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान अभी हाल ही में निकली हुई, इसी माननीय सदन के एक माननीय सदस्य की लिखी हुई एक किताब की चन्द लाइनों की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह ने गन्ने की कीमतों के सम्बन्ध में जो लिखा है उसमें उन्होंने कुछ तथ्यों को उद्धृत किया है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ़ माननीय सदस्य जरा ध्यान दें। "केवल उत्तर प्रदेश के गावों में पौने तीन लाख के लगभग कोल्हू दो तीन वर्ष पहले चल रहे थे। इस संख्या में गत वर्ष कुछ वृद्धि हुई होगी। खांडसारी में लगे हुए लोगों की भी अच्छी संख्या है। सरकारी तथा गैरसरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल ८० लाख से एक करोड़ मन तक खांडसारी बनी है यदि इसके मूल्य को हम ३० रुपये प्रति मन ही मान लें तो २४ से ३० करोड़ होते हैं। प्रति वर्ष चार करोड़ मन गुड़ उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। यदि २० रु० प्रति मन का औसत भाव मानें तो इसका ८० करोड़ रुपये मूल्य होता है। ढाई करोड़ मन चीनी पिछले वर्ष बनी जिसे औसत उत्पादन मान लेना चाहिये। यदि इसकी कीमत ४० रु० प्रति मन मान लें तो एक अरब रुपये इसका मूल्य होता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को केवल इस कृषि उद्योग कार्य से २ अरब से अधिक की आय होती है"।

इसका मतलब यह है कि इस प्रदेश की कुल आय जो २० अरब रुपये है उसमें से एक अरब की आय इस गुड़, खाँडसारी और कोल्हू वगैरह से होती है और उन धंधों को नष्ट करने के लिये सरकार ने साफ-साफ लिख दिया है कि अब इन कोल्हुओं पर, कोल्हुओं पर ही नहीं इन बैलों पर भी टैक्स लगेगा। लगाइये टैक्स, आपने नमक पर टैक्स लगाया, किताबों पर टैक्स लगाया, दवाइयों पर टैक्स लगाया और अब अपने बैलों पर भी टैक्स लगा रहे हैं। आपके बैल भी यह कहेंगे कि "जिनको हम फूल समझते थे वे नाग बन बैठे हमी को काट खाने।" जब आप बैलों पर टैक्स लगायेंगे तो समझ में नहीं आता कि इस देश में क्या होने वाला है।

अब श्रीमन्, यह जो कुछ है उसकी पृष्ठभूमि में मैं तो सोचता था कि कोई माननीय सदस्य इधर भी संकेत करते सदन में। ९५ लाख रुपया इन मिल मालिकों ने पिछला चुनाव लड़ने के लिये आपको दिया था। मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि चुनाव के वर्ष में फी मिल का, जो लेखे जोखे का हिसाब किताब है, उसको उठा कर देखा जाय तो १० हजार, १५ हजार रुपये की रकम किसी मिल के हिसाब किताब में नहीं है। यह तो दुनिया का कायदा ही है कि जो जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अभी हाल ही में जब गन्ना काश्तकारों ने मिल मालिकों के साथ लड़ाई लड़ी तो वहां मिल मालिक गन्ना सप्लाई रूल को तोड़ते थे और वे लोग भी उस रूल को तोड़ते थे जो इस सरकार के नौकर हैं। पुलिस जाकर गन्ना बटवाती थी, केन सोसाइटी के लोग जो हैं वे तरह तरह की जालिमाना हरकतें करते थे और बातें तो जाने दीजिये। जहां रूल यह है कि १० घंटे से अधिक कोई गाड़ी गन्ने की नहीं रोकी जा सकती है वहां चार चार रोज तक गाड़ियां रोक रखी गयीं जब कि किसानों

[श्री रामायण राय]

की हड़ताल चल रही थी ।

मान्यवर, इस अध्यादेश को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के ऊपर यह इम्प्रेशन पड़े कि वे मिलों को अपना गन्ना अधिक से अधिक दें । मैं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भविष्य में गन्ना काश्तकारों की संगठन शक्ति, जो मिलों में गन्ना ले जाने के लिये विकसित हो रही है, वह संगठन शक्ति विकसित न हो सके । आज हमारे काश्तकारों ने, जो एक अपना संगठन बना लिया है, वह संगठन न बन पावे, इसीलिये यह अध्यादेश लाया गया है । गन्ना पेरिशेबिल कमोडिटी है जिससे किसानों की मजबूरी है । आज किसान हजारों कठिनाइयों के बीच में रहता है ।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि जिस तरह से उसने चुनौती का जबाब दिया वह चीज किसान आन्दोलन में सुनहरे शब्दों में लिखी जायगी। सूबे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जहां चीनी मिलें चलती हैं वहां कई दिन तक गन्ना उत्पादकों ने गन्ना मिलों को देना बन्द रखा । इसे आप मामूली घटना समझ सकते हैं लेकिन जो लोग जनमत का अर्थ समझते हैं वह जानते हैं कि यह कोई मामूली बात नहीं थी और मैं समझता हूं कि आप ऐसा सोचते थे कि शायद मेरठ में जो हड़ताल पहले ही गई थी, लगातार कई मिलें बन्द रहीं, वहां इसलिये हो गई कि वहां उनके पास दूसरा आल्टरनेटिव था कि ब्रांडसारी वाले उनका माल खरीद सकते थे। पूरब में वह बात नहीं थी इसलिये मजबूर होकर पूरब में यह संकट नहीं आने पायेगा जहां चीनी मिलें अधिक हैं । लेकिन ऐसा आर्डिनेन्स निकालने पर भी गन्ना काश्तकारों में जो जागृति आ रही है, अपने हकूक को पहचानने के लिये, अपनी गाढ़ी कमाई की ठीक कीमत लेने की जो चेतना उनमें आ रही है उसको आप मार नहीं सकते । अच्छा होता कि इस अध्यादेश की पहली ही लाइन में वह लिख देते कि इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि गन्ना काश्तकारों में जागृति न आवे और उन का कोई संगठन न बन सके । यदि आप ऐसा कर देते तो और सफाई से बात करते हुए दिखाई देते । एक तरफ तो वह कहते हैं कि हम छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को पनपाना चाहते हैं, जब आप की योजना की पुस्तकें निकलती हैं तो जहां आपका उत्पादन लक्ष्य होता है वहां लोगों को एम्पलायमेंट देना भी लक्ष्य होता है और दूसरी तरफ ऐसे आर्डिनेन्स जारी करते हैं कि जिससे लाखों आदमी बेकार हो जायंगे ।

जहां चीनी मिलों के कुल दस बारह आदमी मालिक हैं, उनके लाभ के लिये लाखों आदमियों को मारना चाहते हैं, वही डालमिया, खेतान, नारंग, सिंहानिया, नेवटिया कनौड़िया, भंडडा बिरला मोदी के लिये सूबे के लाखों आदमियों को मारना चाहते हैं । आप की यह मनशा आप की समझ से ठीक हो सकती है । हमें कुछ नहीं कहना है आपसे, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस आर्डिनेन्स के जारी होने के बाद निकट भविष्य में इस सूबे की जनता के ऊपर कौन सा संकट आने वाला है, आपको कैसे उस संकट का मुकाबला करना है यह बात सोचना है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं आपकी गति नील हे सांपों की सी होगी । अब पूरब पर आप ने हाथ उठाया है । अब के कोल्हू गांव-गांव में चलेंगे और हम देखेंगे कि आप किस तरह से कोल्हू चलाने वालों को गिरफ्तार करते हैं, जिस तरह से नमक सत्याग्रह देश के कोने-कोने में फैला था ठीक उसी तरह से कोल्हू चलाने वाले गांव-गांव में फैलेंगे और आप के पास यह अध्यादेश और कानून पड़ा रह जायगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय । यही विषय कल भी सदन के सामने आने वाला है और उस पर काफी लम्बी बहस हो सकती है । ऐसी स्थिति में अब इस पर बहस समाप्त हो जाय तो अनुचित न होगा ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में ---६७,
विपक्ष में---४०,

***श्री गेंदा सिंह**---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपके बुलाने पर भी मेरा ध्यान इस ओर नहीं हुआ । श्रीमन्, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस सदन में उस तरफ के बैठने वाले दोस्तों ने भी बहुत खुले दिल से हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया । मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि ठीक प्रजातांत्रिक ढंग से गवर्नमेन्ट इस सिलसिले में आपस में भी विचार विनिमय करती तो गवर्नमेन्ट इतनी भयंकर भूल करने से बच जाती । लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है अभी तो आगे मैं माननीय उद्योग उपमंत्री जी की सुनूंगा कि उनकी गवर्नमेन्ट की क्या पालसी है, कुछ अब भी उनका विचार बदला या नहीं बदला । मैं ऐसा समझता हूं कि मैं उन भाइयों को धन्यवाद दूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया । हां बीच में मंत्री जी ने एक मिनट में एक स्पष्टीकरण दिया था राजनारायण जी के उत्तर में तो मैं उनसे एक बात कह दूं कि अध्यादेश में यह बात नहीं जिसका उन्होंने जिक्र किया । हां यह बात जरूर है कि सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि २५ पैसे लगावे सेस या उससे कम लगावे । और २५ पैसे सेस लगा करके माफ कर दे या वसूल कर ले । मैं अगर सरकार के ऊपर यह अविश्वास करूं और उस तरफ के लोगों की तरफ से भी कहूं कि सरकार उनके मन के मुताबिक नहीं काम करेगी तो अतियुक्ति नहीं माननी चाहिये । मैं समझता हूं हाउस का यही मत है कि किसी भी हालत में बड़े मिल वाले के साथ इन छोटे-छोटे उद्योग धंधे वालों के ऊपर एक पैसा भी टैक्स नहीं लगना चाहिये । लेकिन सरकार ऐसा समझती है, वह अपनी बड़ाई इसी में समझती है कि विधान सभा के प्रस्तावों को ठुकराया जाय । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा नहीं, लेकिन यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि १ रु० १२ आना वाला प्रस्ताव, जो सर्वसंम्मति से यहां पास हुआ था उसके विरुद्ध यहां की सरकार ने भारत सरकार को सलाह दी । यह थामस साहब ने बताया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के मुताबिक १ रु० १० आना और १ रु० ८ आना गन्ने की कीमत मुकर्रर की है । वहां भी प्रदेश के संसद के मेम्बर थे । मैं नहीं समझता उसके दूसरे दिन अगर जनता में भ्रम होता है, और मैंने एक बयान भी दिया था, अगर वह भ्रम गलत होता तो सरकार की तरफ से उसका कनट्रेडिक्शन निकलता । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । आज आप यह अधिकार हमसे ले रहे हैं कि हम तो सिर्फ ९ पैसे लगायेंगे, इस समय ९ पैसे ही लगे हुए होंगे । लेकिन मैं रत्ती भर भी विश्वास इस सरकार पर नहीं करता । जब कोई मिल वाला धीरे से कमेटी में नहीं, आकर कह देगा तो वही हो जायगा मैं दुबारा मंत्री जी से कहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि दोनों शुगर केन बोर्ड में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंकार किया था कि हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे । बावजूद इसके कि उन्होंने आश्वासन दिया, उपवास करने वालों को वह बेवकूफ बनावें वह दूसरी बात है, लेकिन कमेटी में बैठकर, जिसके वह अध्यक्ष हैं, जो आश्वासन दें जो प्रोसीडिंग में आज भी मौजूद है, उसके बाद यह काम किया जाय तो हम क्या उम्मीद करें कि आज जो वे कह रहे हैं उसे भी वे पूरा करेंगे ।

मैं समझता हूं कि जिस वक्त मिल मालिक अकेले में आकर कहेंगे तो उन लोगों पर हमले होने लगेंगे जिससे वे मौत के घाट उतरें । यह गलती करके मैं तो ऐसा सोचता हूं कि औरों के खिलाफ चाहे कुछ भी हो लेकिन इस सरकार के खिलाफ भी यह कदम है और इसे उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

वापस लेना चाहिये। क्या मैं यह उम्मीद करूं कि देश में जो करोड़ों चीनी खाने वाले उपभोक्ता हैं उनके लिये यह कदम उठाया गया है? अगर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता। मैं आज का बाजार भाव मुजफ्फरनगर तथा मेरठ का बतलाना चाहता हूं ४४ रुपये मन के करीब पड़ता है। देश की सरकार ने सारी जिम्मेदारी शुगर के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेट गवर्नमेन्ट्स पर छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश सरप्लस प्रान्तों में है और वह अपने उत्पादन की २५ प्रतिशत चीनी खा पाता है। ३७ रुपये ८५ नये पैसे कंट्रोल प्राइस है लेकिन ४४ रुपये बाजार में मिल रही है। क्या करता है इस सरकार का इंफार्मेशन डिपार्टमेन्ट और खुफिया पुलिस? इंडस्ट्री विभाग उनका है, रसद विभाग नहीं है, सारी की सारी चीनी उनके कब्जे में है लेकिन उनके कब्जे से बाहर निकल कर ४४ और ४५ रुपये फी मन पर बिकती है। किस की साजिश से बिकती है? मैं सीधे इस यू० पी० गवर्नमेन्ट पर यह चार्ज लगाता हूं कि लाखों रुपये की साजिश है, रिश्वतखोरी है और यू० पी० की सरकार मिल मालिकों से मिलकर यह सब साजिश करती है। अगर वह यह रास्ता नहीं छोड़ती है तो हमारी बात नहीं है, आज उसने देखा होगा कि उधर के बैठने वालों की भी क्या फीलिंग है। सारे देश में अविश्वास की भावना इस गवर्नमेन्ट के खिलाफ फैल रही है। बहुत ही ईमानदारी से इस सरकार को इस मामले में चलना चाहिये।

बड़े मिल मालिकों के साथ मिलकर यू० पी० की सरकार जब छोटे उद्योग धंधों को मारना चाहती है तो हमारा परम धर्म है इस सदनमें रहते हुए कि हम सारे देश को आगाह कर दें कि यह कदम ऐसा है जिसके जरिये लाखों लोग बेरोजगार हो जायंगे। दो डिवीजन हमारे हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। रुहेलखंड व मेरठ के उनको यह सरकार मारना चाहती है तो हम उनको मरने नहीं देंगे।

मैं कड़े शब्दों में इस सरकार से कहना चाहता हूं कि वह यह कदम उठाकर न तो चीनी खाने वालों की मदद करना चाहती है और न गन्ना पैदा करने वालों की मदद करना चाहती है और न बेरोजगारों की मदद करना चाहती है। केवल ६८-६९ मिल मालिकों की मदद करना चाहती है और उसके लिये उसने यह कदम उठाया है और उसके लिये मैं चाहता हूं कि हर्गिज इस हाउस का समर्थन नहीं मिलें। मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि इस रिजीम में और माननीय मुख्य मंत्री जी की रिजीम में कभी इन किसानों का भला हो सकता है। अब भी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी लेमैन होता है वह सही बात सोच समझ कर कदम उठाता है लेकिन जो आदमी सोच समझ कर कदम उठाता है वह फिर अपना कदम वापस नहीं लेता है लेकिन मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, श्री गेंदा सिंह जी की पुरजोश तकरीर के बाद सच्चाई के साथ बात करना, ठंडे दिल और दिमाग से शायद बहुत उपयुक्त न हो लेकिन मुझे खेद है कि उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। मान्यवर, इसके पहले कि मैं उन सवालों की तरफ जाऊं, जिनको लेकर यहां पर चर्चा हुई, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। आज ही एक गलतफहमी इस अध्यादेश के संबंध में, जिसने कुछ जोश भी पैदा किया और कुछ होश भी गुम किया वह यह थी कि शायद सारे कोल्हू पर और सारे गुड़ पर कोई प्रतिबन्ध या किसी तरह का टैक्स या किसी तरह का सेस या किसी तरह का कमीशन लगाया जा रहा है। मैं इस बात को इन्कार करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के मुताबिक यह कतई नहीं है कि जो हमारा सारा गुड़ बनाने का सिलसिला है, जो हमारा सारा खांडसारी बनाने का सिलसिला है उस सारे पर किसी तरह की बन्दिश या बोझ डाला जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितना बोझ हम डाल रहे हैं, वह एक सीमित क्षेत्र का है, सीमित दायरे में है और उस सीमा की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैंने तो बड़े गौर से सुना गेंदा सिंह जी को, आशा है उन्हें भी दिल थाम कर सुनने की आदत होगी, अब तो किसी और की बारी है। तो मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था कि इस अध्यादेश का मतलब क्या है और उसका दायरा क्या है।

इस अध्यादेश से हमने दो बातें की हैं। पहली बात तो यह की है कि हमने इस अध्यादेश में यह कहा है कि गुड़, राब और खांडसारी का जो काम करते हैं वे जो गन्ना लेंगे उस गन्ने पर भी सेस लगाने का अधिकार हम लेते हैं। लेकिन उसकी अगर आप परिभाषा देखें कि यह गुड़, राब और खांडसारी से तथ्य किस का है तो उसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि उसका तथ्य उन साधनों से है जो एक सीमा के ऊपर के साधन हैं, गुड़ बनाने के हर कोल्हू या राब बनाने वाले हर अड्डे से इसका मतलब नहीं है। वह तो एक खास स्थिति तब पैदा होती है जब वह इस दायरे में आता है। गुड़, राब और खांडसारी की इसमें परिभाषा दी हुई है। उसमें अगर आप देखें तो बात स्पष्ट हो जायगी। उसमें लिखा है, "गुड़, राब, खांडसारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब यह कि जहां गुड़, राब या खांडसारी बनती हो बशर्ते कि वह रिजर्व एरिया में हो और जहां शुगरकेन जूस बनता हो। सात बैलों से खींचा हुआ कोल्हू या उसके ऊपर "सेवेन आर मोर बुलक ड्रिवेन क्रशर्स।" सात या उससे अधिक बैलों से खींचे जाने वाले जो क्रशर हैं।

एक सदस्य--बेल का क्या मतलब है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--असल में जिस चीज में राब को बनाते हैं उसका नाम बेल है। बेल का अर्थ उस मेकैनिज्म से है जिससे एक बेलिया यह काम करता है। अब इस सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट हो गई कि इसका मतलब क्या होगा ? अगर छः बैल वाले कोल्हू हैं या उनसे कम के हैं तो उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा, उन पर यह सेस नहीं लगेगा, उन पर यह पैसा नहीं लगेगा जो हम उनसे लेना चाहते हैं।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--दो बैलों से अगर कोई कोल्हू चलेगा तो उस पर नहीं लगेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं, कतई नहीं लगेगा। एक बात तो साफ हो गई और दूसरी बात यह है जिसको मैं साफ करना चाहता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश भर में कहीं भी गन्ने का क्रशर एक बैल से नहीं चलता है तो इसमें सात बैल हैं तो इससे मतलब १४ बैलों से चलने वाला कोल्हू है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त या तो सुनना नहीं चाहते हैं या उनकी जानकारी अपने ढंग की है। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसको मैं सदन को देने वाला हूं। इसमें कुछ समय लगेगा और शान्ति से सुनना चाहिये। अब हमने यह क्यों रखा है इस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं यह बता दूं कि यह चीज क्या है ? हमारी नीयत की सफाई इससे भी मालूम होगी कि जब हमें यह अधिकार मिला तो हमने एक आज्ञा निकाली और उस आज्ञा के मुताबिक हमने यह तय किया कि जो सल्फीटेबिल प्रोसेस से खंडसारी बनाते हैं उन पर ९ पैसा फी मन के हिसाब से सेस लगेगा और जो दूसरे आर्डिनरी ढंग से बनाते हैं उनको केवल ४ पैसा फी मन ही देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि चीनी के उद्योग में मिल वालों पर १९ पैसा है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी नीयत यह है कि जो जैसा बोझा ले सके उसको वैसा ही बोझा देना।

दूसरी बात यह है कि इस अध्यादेश के सम्बन्ध में...

श्री राजनारायण—इस समय रिजर्व्ड एरिया में जो क्रशर्स हैं उनमें से कितने ऐसे क्रशर्स हैं, जो सात बैलों से कम चलते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह भी एक बात और आई और मैं आप को फैक्ट्स की बात बता दूं ताकि भारतीय जी जो समझ रहे थे कि किसान गुड़ नहीं निकालेंगे तो क्या होगा और रामायणराय जी कह रहे थे कि घर-घर में कोल्हू चलेंगे, देखें सरकार क्या करेगी ? इस तरह की कोई बात यहां नहीं है।

अब एक सवाल उठाया गया कि अध्यादेश निकालने की ऐसी क्या जल्दी थी ? क्यों नहीं असेम्बली के सेशन होने तक इंतजार किया गया श्रीमन्, यह प्रश्न कोई घंटे दो घंटे में नहीं सोचा गया और ऐसा भी नहीं है कि कोई ब्रेन वेव आई हो और यह कर दिया गया हो बल्कि काफी अरसे से इस पर विचार हो रहा था। केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, १९५८ में एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट उनके पास आई थी जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी आई थी।

यहां पर खादी और ग्रामोद्योगों की बहुत चर्चा की गई और दुहाई दी गई कि छोटे उद्योगों को हम घटाना चाहते हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के मेम्बर देश के विद्वान् डाक्टर जे० डी० सुन्दरम् थे और जो रिपोर्ट हमारे पास आई है यह रिपोर्ट यूनानीमस है। मैं समझता हूं कि इसके आधार पर जो काम हमने किया है, जब मैं इस पर आऊंगा तो स्पष्ट हो जायगा और जिनको खादी से प्रेम है, जिनको ग्रामोद्योग से प्रेम है, और मैं समझता हूं कि इनका खादी से प्रेम हम से कम नहीं है तो जहां तक खादी का सम्बन्ध है, उनमें से जो जाने बूझे हैं या पके पकाये इकोनोमिस्टस हैं उनमें से डाक्टर सुन्दरम एक हैं। उन्होंने भी अपनी राय इसके सम्बन्ध में दी। उसकी आवश्यकता यों आयी कि केन्द्रीय सरकार के सामने यह प्रश्न बार-बार आया कि खांडसारी का जो फैलाव हो रहा है इससे चीनी उद्योग की ही नहीं, खांडसारी की भी भारी क्षति होने वाली है। काफी तेजी से खांडसारी का उद्योग चलने लगा था। मेरठ डिवीजन जिसको न मारने की दुहाई गेंदासिंह जी ने दी और रुहेलखंड डिवीजन जिसके पीछे बड़ी तमन्ना, प्यार और मोहब्बत है, उसके सम्बन्ध में मैं आंकड़े देना चाहता हूं। १९५५–५६ में मेरठ डिवीजन में ९३ पावर क्रशर आपरेट करते थे और १९५७–५८ में २११ हो गये। ठीक उसी प्रकार रुहेलखंड डिवीजन में १९५५–५६ में २६२ थे जो १९५७–५८ में ५८८ हो गये। यह सब जानते हैं कि हमारे देश की प्रवृत्ति यह है कि जिस किसी उद्योग में ४ पैसे का मुनाफा होने लगा तो सभी लोग उसी ओर भागते हैं तो इस बात को देखते हुए तेजी के साथ खांडसारी उद्योग फैल रहा है। ऐसा कहीं न हो कि अपनी पैदावार के कारण ही अपने बोझ से ही दब कर वह मर जाय, इसलिए इस तरफ विचार करने की आवश्यकता आयी।

गेंदा सिंह जी ने कहा कि शायद हमारे कान में कहा जाता है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम न कान में कहना चाहते हैं और न सुनना चाहते हैं। हमारा यह तरीका नहीं रहा है। जब हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी तो हमने खुले आम लड़ी। हम उसी के आदी हैं। इस प्रगति को देख कर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बैठाया गया। इसमें डाक्टर सुन्दरम् जैसे अर्थशास्त्री बैठे। माननीय राजनारायण को उनका नाम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री के मुकाबले में मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है। किसी की हो तो हो। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उनकी सिपारिशें सर्वसम्मत थीं। उनकी छः सिपारिशें थीं। उन सिपारिशों को सुनने और पढ़ने से विदित हो जायगा कि उनकी जो सिपारिशें हैं उनसे भी कंजरवेटिव होकर हमने काम किया है। उनकी पहली सिपारिश यह है—

All existing power driven crushers, as well as bels should be registered andrequired to obtain a working licence.

उन्होंने कहा कि सब पर लाइसेंस कर दिया जाय। उन्होंने बेल के सम्बन्ध में कहा है कि पांच कोल्हुओं का जो क्लस्टर है उसको भी बेल वाले इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया? पांच मशीनों के बजाय सात पर किया। (व्यवधान) मुझे अफसोस इस बात का है कि जो गांवों से सम्बन्धित लोग हैं वह तो सब बात समझते ही हैं। हमारे नागर साहब काफी इसे समझते हैं। मैंने पहले कहा कि उन ७ मशीनों का क्लस्टर जो बैलों से खींचे जाते हैं, यानी सात कोल्हुओं का क्लस्टर जो है उसको बेल के नाम से पुकारते हैं। (व्यवधान) अब जो कानून में लिखा हुआ है वह मैं बता रहा हूं। आप जो समझते हैं वह समझिये। (व्यवधान) यह बेल और बैल से बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मैंने बतलाया कि कमीशन की यह राय थी कि पांच कोल्हुओं का एक ग्रूप, जिन पर यह क्रशिंग होती है, उन्हें एक बेल वाले चलाते हैं। उसको हमने यह कर दिया कि ७ मशीनों का क्लस्टर। कम से कम ५ मशीनों से रजिस्ट्रेशन शुरू होने की बात थी.....

श्री मोतीलाल अवस्थी--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इसमें 'सेविन आक्सेन ड्रिवेन' लिखा है.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे जो आपसे अर्ज करना था वह कर दिया। अब बिल में जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, आप कृपा करके बैठें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आक्सेन ड्रिवेन का मतलब यह नहीं होता है कि एक बैल ड्राइव करे या दो बैल ड्राइव करें या ७ बैल ड्राइव करें। (व्यवधान)..तो मान्यवर, मुझे इसका अफसोस है कि यह चीज इस तरह से बहस में डाली जा रही है। मैं फिर दुहरा दूं। सफाई के साथ --इरादा यह है कि वह कोल्हू जो बैलों से खींचे जाते हैं उनकी तादाद दे दी गई है....

श्री देवनारायण भारतीय--तादाद तो कोल्हुओं की है, बैलों की नहीं, इसको अगर आप अमेंडमेंट करके ठीक कर दें तो सब ठीक हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वही तो मैं कह रहा हूं। अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में जो सिफारिश थी एक्सपर्ट कमेटी की, जो हमारे पास आयी, वह पांच कोल्हुओं की थी। उससे भी आगे बढ़ कर हमने इसको सात किया।

श्री कैलाशकुमारसिंह (जिला बदायूं)--मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। सात बैलों से मतलब एक मशीन से है या सात कोल्हुओं से?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, अब हर आदमी के सब्र की कोई इन्तहा होती है। मुझे भी माफ करेगा सदन, आप सब के पास अध्यादेश की कापी है। जो मैं कह रहा हूं उसमें गलती हो तो आप कहें कि मैं अध्यादेश के विरुद्ध कह रहा हूं। लेकिन हर बात में अध्यादेश की बात छोड़ कर...

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा कि यह अध्यादेश जब ऐक्ट का रूप लेगा तब उस पर बहस होगी। तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जब आर्डिनेंस पर बहस हो तो क्या माननीय सदन के सदस्य उसकी मैरिट्स में जा सकते हैं या केवल अध्यादेश क्यों आया, किन हालात में लाया गया, उस पर बहस होनी चाहिए क्योंकि इस आदरणीय सदन का समय ऐसी बातों पर नष्ट नहीं होना चाहिए जब कि एक बार फिर यह सदन के सामने विचार के लिए आयेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

तो मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो उसमें लिखा हुआ है उस पर बहस होगी या कौन-सी ऐसी आवश्यकतायें थीं जिनसे यह लाया गया, इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—यह अभी जो प्रश्न उठाये गए थे माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। अननुमोदन के जो कारण हैं उसका जवाब वह दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ठीक कर रहे हैं। (व्यवधान) आप कृपया बैठें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने जैसा निवेदन किया इस सम्बन्ध में एक कमेटी ने हमारे पास कुछ सिफारिशें कीं और उसने कहा कि खांडसारी उद्योग का हित इसी में है कि इसका कुछ रेग्यूलेशन हो, इसकी ग्रोथ किसी को हानिकारक न हो।

श्री गेंदासिंह—टैक्स लगाने की बात कहां कही?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जहां तक कि टैक्सेशन की बात कही हमारे मित्र गेंदा सिंह जी ने, उसमें यह था कि ऐन्युअल लाइसेंस फी शुड बी टू हंड्रेड...

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठें।

(अशान्ति)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब एक भद्र महिला स्पष्टीकरण चाहती है तो उसका अवसर जरूर देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठें। माननीय मंत्री जी जारी रखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि विरोधीदल के लोग यह समझ गये हैं कि अगर बात साफ हो गई तो अन्धेरे में जो,उन्होंने सवाल के सच्चे रूप पर परदा डाल रखा है, वह फास हो जायगा। इसलिये कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करने की बात हो रही है। मैं एक बात आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग के प्रश्न के साथ खांडसारी का हित भी मिला हुआ है। इन सारे प्रश्नों को सोचकर ही यह अध्यादेश आया है। वह कोई अलग-अलग हित की बात नहीं है। दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के लिये यह हित की बात है चाहे वह चीनी के क्षेत्र का हो और चाहे खांडसारी के क्षेत्र का हो। इन दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध है। मैं यह भी निवेदन करूंगा और माननीय गेंदासिंह जी इसको स्वीकार करेंगे कि चीनी का जो आज मार्केट रेट है उसका असर खांडसारी के दामों पर पड़ता है। अगर चीनी कम बनती है या ज्यादा बनती है तो उसका असर जरूर खांडसारी के दाम पर पड़ता है। इन दोनों का एक दूसरे से अटूट सम्बन्ध है। ऐसी हालत में हम यह कहते हैं कि इस अध्यादेश का मन्शा...

श्री शिवप्रसाद नागर—अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय उपमंत्री द्वारा हाउस कुछ मिसगाइड हो रहा है क्योंकि इस अध्यादेश में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि "सात या अधिक बैलों द्वारा चालित कोल्हू"। इसमें कोल्हुओं की तादाद नहीं दी है। माननीय उपमंत्री जी इस हाउस में बराबर यह कह रहे हैं कि सात कोल्हू,मगर इन सात कोल्हुओं का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसमें केवल यह दिया हुआ है कि जो सात या अधिक बैलों द्वारा चालित कोल्हू होंगे उन पर यह अध्यादेश लागू होगा। इसमें केवल सात बैलों का जिक्र है। किन्तु उपमंत्री जी हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें सात बैलों की बात है या सात कोल्हुओं की बात है। कौन-सी बात सही है इसको जरा वह साफ कर दें।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। माननीय उपमंत्री जी अपने इन्टरप्रिटेशन के मुताबिक जवाब दे रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें ठीक दिया है कि सात बैलों द्वारा चालित कोल्हू....

श्री राजनारायण---मेरा भी वैधानिक प्रश्न है। अब यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न नहीं है। यह इसमें साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सूरज और कोई कहे उसको चांद तो यह कैसे हो सकता है। इसलिये यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न नहीं है। सूरज को कोई चांद कैसे कह सकता है? यह अध्यादेश हमारे सामने है, उसमें लिखा हुआ है कि "७ या अधिक बैलों द्वारा चालित कोल्हू"। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि "सेविन आर मोर बुलक्स ड्रिवन क्रशर्स"। जब हमने प्वाइन्ट आफ आर्डर किया था तो उसका जवाब उन्होंने सही दिया था मगर अब जो बेल की परिभाषा में उन्होंने अर्थशास्त्रियों की बात रपट से पढ़कर सुनाई उसमें वह घबरा गये। उसमें उन्होंने बेल की परिभाषा की और कहा कि कमेटी कहती है कि पांच कोल्हुओं का जो एक क्लेस्टर होगा वह बेल कहलायेगा। मैं यह समझता हूं कि जो इस अध्यादेश में दिया है वह यह है कि सात या अधिक बैलों से जो कोल्हू संचालित होगा उस पर यह टैक्स लगेगा। अब इसमें इन्टरप्रिटेशन का सवाल कहां से पैदा होता है। अगर सूरज लिखा है तो फिर चांद कैसे कोई कह सकता है?

श्री अधिष्ठाता---विशेषण को इधर उधर लगाने की बात है। इसके दोनों इन्टरप्रिटेशन हो सकते हैं।

श्री राजनारायण---यह कैसे हो सकता है कि सात कोल्हुओं द्वारा चालित बैल। इसमें साफ दिया हुआ है और वही उसका अर्थ है।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)---मैं आपकी आज्ञा से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी में यह बहुत साफ है...

श्री अधिष्ठाता---आप कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं?

श्री फतेहसिंह राणा---जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता---इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अधिष्ठाता जी, मुझे इसका स्पष्टीकरण करने में कोई तरद्दुद नहीं है कि एडजेक्टिव ७ जो है वह कोल्हू के लिये है बैलों के लिये नहीं। यह बराबर कह रहा हूं और फिर कहता हूं और अगर इसमें कोई सदस्य महोदय बैलों के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं तो उससे मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने जो आज अर्ज किया वह पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ७ या इससे अधिक कोल्हू जो बैलों से खिंचते हों।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---प्वाइंट आफ आर्डर। जिस प्रदेश की भाषा हिन्दी है और हिन्दी ही में जब अध्यादेश मिला हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय उप-मंत्री जी अंग्रेजी का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वह हिन्दी में ही इसको समझाने की कृपा क्यों नहीं करते।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपा कर बैठें। माननीय मंत्री जी जारी रखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं जो समझ सकता हूं वह मैंने समझा दिया और जो स्पष्टीकरण मैंने दिया है उससे यदि माननीय सदस्यों को संतोष न हो तो उपयुक्त समय पर उसके

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

सुधार के लिये संशोधन ला सकते हैं। मैंने इसका जिम्मा नहीं लिया है कि मैं उनके विचारों के अनुसार ही अध्यादेश की धाराओं का समर्थन करूं या सरकार के फैसले और नीति के विरुद्ध उनकी बात का समर्थन करूं। अगर माननीय सदस्य इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वह ७ बैलों वाला संशोधन बिल में ले आयें।

श्री जगन्नाथ लहरी---अधिष्ठाता महोदय.....

श्री अधिष्ठाता---मैं आप को और मौका नहीं दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह एक सीधा-सा प्रश्न था जिसको इस तरह से घुमा कर लाया गया और महज इस वजह से कि माननीय सदस्यों का जो गुस्सा इस अध्यादेश के सम्बन्ध में है वह इसी कारण से कि शायद वे इसको ठीक-ठीक समझ नहीं पाये कि हमारी मंशा क्या है। जो मंशा हमारी थी वह मैंने अभी बतायी है.....

(व्यवधान)

अगर शोर करने से प्रजातंत्र चलता हो तो मुझे कोई उज्र नहीं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी चाहिये। मैंने भी बहुत कुछ सुना है और आपको सुनने की तवक्को होनी चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती---अधिष्ठाता महोदय, मैं भी थोड़ा-सा समय चाहती थी। यह जो यहां पर भ्रम हो रहा है उस सम्बन्ध में मेरे दिमाग में भी यह बात समझ में नहीं आयी कि सात कोल्हुओं की एक इकाई मानी जाय या सात बैलों से चलने वाला एक कोल्हू माना जाय, तो यह बात साफ समझ में नहीं आयी। मैं चाहती थी कि एक निश्चित बात माननीय मंत्री जी समझा दें तो अच्छा हो क्योंकि सात कोल्हुओं की एक इकाई मानी जा सकती है और यह भी हो सकता है कि यंत्र शक्ति से चालित सात कोल्हू, जैसे मोटर गाड़ी आदि हैं जिसमें हार्स पावर का हिसाब होता है, वैसा भी हो सकता है। तो इससे एक भ्रम इसमें पैदा हो रहा है और इसकी सफाई हो जानी चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मुश्किल यह है कि जब शोर में कोई बात कही जाय तो वह समझ में नहीं आती कि वाकई में ठीक बात क्या है। मैं फिर सफाई से कहना चाहता हूं कि सात कोल्हुओं का क्लस्टर है चाहे वह बैलों से चालित हो या पावर से। यह सफाई मैंने पहले भी कर दी थी और फिर कर देता हूं। अगर इस के बाद भी कोई बात रह जाती है तो मैं समझाने से लाचार हूं और उसके बाद कुछ कहने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। यदि इसमें किसी को एतराज हो तो उसको संशोधित करने के लिये बिल आने पर माननीय सदस्य संशोधन ला सकते हैं। उसमें मुझे कोई उज्र नहीं है।

(बीच बीच में खूब शोर होता रहा।)

श्री जगन्नाथ लहरी---मेरी एक बात आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता---इस प्रश्न पर बहुत काफी विचार हो चुका है। आप अब कृपा कर बैठें।

श्री राजनारायण---उन्होंने ईल्ड कर दिया है। आप मेरी बात सुन लें और हमको बुद्धि-विभ्रमजन्य भ्रान्ति में न डालें।

श्री अधिष्ठाता---आप उनको सुनने के लिये मजबूर नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहिये कि ७ कोल्हू, जो बैलों द्वारा चलते हों। इसमें ७ बैलों द्वारा चालित कोल्हू गलत लिख दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ७ कोल्हू जो ७ बैलों द्वारा चलते हों या किसी शक्ति द्वारा चलते हों, यह भी गलत है। इसकी भाषा ठीक नहीं है। यंत्र द्वारा संचालित कोल्हुओं के लिये दूसरी व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठ जाइये। इस पर काफी विवाद हो चुका है। अब मंत्री जी को कहने दीजिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारी बात तो सुन ली जाय...

श्री अधिष्ठाता—नहीं, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि हमें संतुष्ट हो जाना चाहिये क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ७ कोल्हू होने चाहिये, चाहे वे बैलों द्वारा चलें या पावर द्वारा।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा हमको अब संतुष्ट हो जाना चाहिये मगर जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसको अमल में भी लाया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुझे अफसोस है कि मेरी बात को सुनने से पहले ही...

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह बड़ा महत्व का विषय है, हमारी बात तो सुनने की कृपा करें.....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठ जायं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर जैसा कि मैंने अपने भाषण में आश्वासन दिया है उसके खिलाफ कोई बात होगी, तो माननीय सदस्य उसके अनुसार अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। (शोर) किसी प्रकार शोरगुल करने की आवश्यकता नहीं।

श्री अधिष्ठाता—आर्डर आर्डर। आप लोग सदन में शान्ति रखें।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अधिष्ठाता—नहीं, आप कृपा कर बैठ जाइये। (शोर) आर्डर, आर्डर। आप लोग माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनिये। यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। अगर इन्टरप्रिटेशन गलत है तो वह कोर्ट में ले जाया जा सकता है और कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। आप सदन में शान्ति रखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तो मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री राजनारायण—हमारी बात श्रीमन्.....

श्री अधिष्ठाता—२५ मिनट में माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना था। इस तरह से आधा घंटा सदन में केवल इन्टरप्रिटेशन में ही आप लोगों ने व्यय कर दिया। आप कृपया शान्ति के साथ बैठें और माननीय मंत्री जी को अपना भाषण देने दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, एक बात कही गयी जल्दी के बारे में। इस सदन के बैठने में विलम्ब था। हम यह चाहते थे कि इस पिराई के सीजन में ही, यानी उसके शुरू होने से पहले ही, उनको यह पता चल जाय कि किन स्थितियों में उनको काम करना है ताकि कोई यह न कहे कि यकायक यह हो गया।

इस संबंध में एक बात कही गयी कि हम लोग छोटे-छोटे उद्योगों को मारने के पीछे पड़े हुये हैं। मैंने आपको बतलाया कि हमारे पास जो सिफारिशें आई हैं उन सारी बातों को अगर हम लागू करते तो बहुत ज्यादा बोझ इन इन्डस्ट्रीज पर पड़ता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इससे कितना बोझ इस इंडस्ट्री पर पड़ेगा अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लें तो

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

आपको बड़ी आसानी होगी। इस खांडसारी उद्योग पर जो सेस लोगों को देना पड़ेगा वह बहुत कम है। इसकी वजह से शायद कुल जमा में एक रुपया और कुछ नया पैसा फी मन बोझ पड़ेगा। अब इस छोटे से बोझ की वजह से यह कहा जाय कि मिल वालों की मदद की जा रही है, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप यह देखिये कि जितने गन्ने के काश्तकार हैं खांडसारी वाले हम उन सब को लाइसेंस देंगे और चूंकि लाइसेंस देने की कार्यवाही में देर हो रही थी इसलिये हमने यह भी कर दिया कि बिना लाइसेन्स लिये ही वह क्रशिंग शुरू कर दें बशर्ते कि फरवरी १९५९ से पहले से लगा हुआ उनका प्लान्ट हो। कर दिया इसलिये कि जहां कहीं भी ऐसी यूनिट्स हों उनकी सहायता करने का सरकार ने निश्चय किया है। तो हमारा मंशा यह नहीं है कि जो छोटे लोग हैं उनको रोक दिया जाय, यह भी मंशा नहीं है कि किसी को लाइसेंस न दिया जाय, यह भी मंशा नहीं है कि अधिकार हाथ में लेकर उसके जरिये से चीनी उद्योग को जबरदस्ती गन्ना दिलाया जाय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह सही है कि ३३ परसेंट गन्ना मिलें क्रश करती हैं लेकिन जो आवश्यकता उनकी है १ करोड़ टन की, उनको वह नहीं मिल पाता है और उसका कारण यह है कि जितने क्षेत्र से गन्ना लेकर के वे चीनी बना सकते हैं उस क्षेत्र से उतना गन्ना उनको नहीं मिल रहा है। इन कारणों से गन्ने की उपज ज्यादा होने के बावजूद भी उस क्षेत्र की उपज का डाइवर्शन हो जाता है और इस डाइवर्शन को रोकने की, ताकि हर एक को अपने क्षेत्रों से गन्ना मिलता रहे, इस सारे अध्यादेश की मंशा है, इससे अधिक कोई मंशा इसमें नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन उस प्रस्ताव का जो गेंदासिंह जी ने दिया है उसका विरोध करेगा।

एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक लांछन आम तौर पर यह हमेशा लगाया जाता है कि चीनी मिलों से लोग पैसा एलेक्शन के लिये लेकर फिर यहां आकर उन लोगों की मदद इस तरह से करना चाहते हैं। मैं अब से कहता हूं कि जिन लोगों से पैसा लेकर हम मदद उनकी करना चाहते हैं, यह कोई काम करने का तरीका नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह से काम करके ६ करोड़ लोगों का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिये मैं इस लांछन का विरोध करता हूं। साथ ही सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एलेक्शन में जो भी पैसा आता है कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो पैसा लगाती है वह पैसा सब लोग कहीं से लाते हैं और वह पैसा किन किन ढंगों से लाया जाता है वह सब को मालूम है। अपने अपने ढंग से सब पैसा लाते हैं और यह हम मानते हैं कि जो हमारे उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हैं वह पैसा देते हैं और हर राजनीतिक दल को उससे सहानुभूति रखने वाले आदमी को पैसा देने का अधिकार है और उसको देना भी चाहिये।

अन्त में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि कल इस भवन में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा होगी और पूरे तौर से जिन कारणों और उद्देश्यों से इस पर असर पड़ते हैं उस पर पूरा-पूरा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। हम पर जो यह लांछन लगाया गया है कि हमने तो इस खांडसारी उद्योग पर रोक लगाने का निश्चय कर लिया है तो मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि कोई रोक लगाने का निश्चय नहीं है, लेकिन आवश्यकतानुसार हम देखेंगे कि कितना गन्ना किस क्षेत्र में किस उद्योग के लिये मिल सकता है उसको देख कर ही हम करेंगे। ऐसा न हो कि जैसा चक्कियों पर चक्कियां आटे की खुल गयीं और पीसने भर के लिये आटा किसी के पास नहीं है तो जिस गरीब आदमी ने पैसा लगाया, जिसकी हमदर्दी हम आप सब करना चाहते हैं, जो छोटे-छोटे उद्योगपति हैं उसका वह मतलब भी पूरा न हो जिसके लिये उसने उद्योग लगाया है। इन कारणों से सरकार ने इन अधिकारों को अपने हाथ में लिया। खांडसारी को खत्म करने का इरादा नहीं है बल्कि उसको मुनासिब ढंग से चलाने का इरादा है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव का यह भवन विरोध करेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं एक जानकारी माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि वे कुल कितना टैक्स इससे वसूल करने का इरादा रखते हैं। कितने का गन्ना होगा। आपके

डिपार्टमेंट ने यह सब फिगर्स देने से इन्कार किया इसलिये आपसे पूछ रहा हूं इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं ? कितना खर्चा इस पर एडीशनल होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेस से तीन लाख ५० हजार रुपया आयेगा, कमीशन से एक लाख ५० हजार आयेगा और लाइसेंसिंग फी से दो तीन लाख रुपये के बीच में मिलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित अतानुसार अस्वीकृत हुआ:

पक्ष में--४९,
विपक्ष में--८२ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, अब केवल २० मिनट रह गये हैं इसलिये नया प्रस्ताव न लिया जाय क्योंकि वह इतने समय में पूरा नहीं होगा और ५ बजे के बाद जो डिबेट होने वाली है वह ले ली जाय ।

श्री अधिष्ठाता—वह ५ बजे के बाद आयेगा ।

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव रखना चाहता हूं:--

"यह सदन उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है ।"

श्रीमन्, काफी बातें सदन के सामने स्पष्ट हो चुकी हैं इसलिये अब मैं समझता हूं कि कहने में भी आसानी है और समझने में भी आसानी है । मेरी राय फिर वही है कि इसअध्यादेश को भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अगर यह अध्यादेश नहीं निकाला जाता तो कोई भी क्षति देश की होने वाली नहीं थी । हां, क्षति उन लोगों की अवश्य हो सकती थी जो अधिक से अधिक धन--चाहे वह चीनी खाने वाले का हो या किसान का हो, जो गन्ना पैदा करता है या मजदूर का हो--जमा करने वाले हैं, उनका रुपया लूट कर अपने घर में ले जाते हैं । मैं माननीय उपमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस अध्यादेश को जारी करते हुये जो व्याख्यात्मक ज्ञापन लिखा है उसे गौर से पढ़ा भी है या नहीं । अभी-अभी उपमंत्री जी ने बड़ी बड़ी सफाइयां दीं कि मिल मालिकों के दोस्ताने के लिये या उनके हित के लिये यह काम नहीं किया गया । इसमें उन्होंने लिखा है कि १९५७ में सफेद चीनी पर भारी उत्पादन-शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप चीनी की फैक्टरियों के सुरक्षित और अभ्यर्पित क्षेत्रों में विद्युत चालित कोल्हुओं, बैलों तथा केन्द्रापगों की संख्या अनियमित रूप से बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो गन्ने की पूर्ति चीनी की फैक्टरियों को न होकर बड़ी खांडसारी इकाइयों को होने लगी, जिसके कारण फैक्टरियों की पेराई में कमी हो गई, और दूसरी ओर गन्ना उत्पन्न करने वाले एक बड़े क्षेत्र में उसके उपयोग के लिये कोई समुचित साधन न रह गया । मैं इन दोनों बातों का जवाब चाहता हूं कि कहां कमी हो गई, किस मिल को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

कमी हो गई। अगर किसी मिल को कमी हुई तो उसने गन्ने के डेवलपमेंट के लिये क्या किया जैसा कि बम्बई में लोगों ने किया और दूसरी जगह करने की कोशिश कर रहे हैं? किसान ने अपनी मेहनत, पानी और जमीन से गन्ना पैदा किया है। तो फिर सरकार उसके ऊपर क्यों बुरी आंख से देखती है कि वह अपने गन्ने को फैक्टरी वाले के ही हाथ में बेचे जो उसकी गठरी को रोज काटता है? सरकार बतलावे कि उसके इस लेख का क्या मतलब है? क्या सरकार ने ऐसा भी कोई बन्दोबस्त किया है कि जिन इलाकों में गन्ने की खपत का कोई इन्तजाम नहीं है वहां खपत हो सके? इस अध्यादेश या बिल में ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय हम जरूर विचार अध्यादेश पर कर रहे हैं लेकिन बिल भी तो वही है जिस पर हम फिर बात करेंगे।

फिर, तीसरे पैरा में है कि पिछले पेराई के मौसम में गन्ने की बड़ी मात्रा में पूर्ति चीनी की फैक्टरियों को न होकर खांडसारी इकाइयों को हुई। यह क्या मतलब है? खांडसारी इकाइयों को हुई, क्या इसलिये सरकार चाहती है कि वह बड़ी मिलों को जाय? गवर्नमेंट क्यों ऐसी हरकतें करती है? सबसे बड़ी बात इस अध्यादेश को नामंजूर करने की यह है।

अब इस अध्यादेश के जरिये सरकार इम्प्रूवमेंट कर रही है। इसके लिये राज्य के अन्य क्षेत्रों में खंडसारी इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने के उद्देश्य से उक्त आदेश का प्रसार सम्पूर्ण राज्य में करने का निर्णय किया गया। एक तरफ तो कहते हैं कि गन्ने की खपत का बन्दोबस्त नहीं है और दूसरी जगह कहते हैं कि नहीं साहब, वहां भी हम छोटी इकाई में ७ कोल्हू नहीं लगाने देंगे। यह सब इसमें लिखा है। रिजर्व एरिया के लिये तो पिछले वर्ष ३० जिलों में कर ही लिया, अब बाकी २० जिलों का भी नम्बर है और पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा है, जहां गन्ना पैदा भी नहीं होता है।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---इसका असर क्या है?

श्री गेंदासिंह---असर कुछ भी हो लेकिन आपने किसी को छोड़ना नहीं सीखा। जो लोग छोटी पूंजी से कोल्हू लगाते हैं, खांडसारी की छोटी-छोटी मशीनें बैठाते हैं, उनको भी सरकार ने कहा कि नहीं, तुमको भी अपने पंजे में रखेंगे। ५१ जिलों में रख दिया। मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि सुन्दरम साहब जो कोई अर्थ शास्त्री हैं, होंगे, क्या उन्होंने मिनिस्टर साहब से कहा था कि तुमको इन छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों पर हमला बोल देना चाहिये? लेकिन उन्होंने इतनी कृपा अवश्य की कि टैक्सों के लिये नहीं कहा। यह कहा नेवटियाजी ने, जो लखीमपुर में रहते हैं, यह कहा के० के० बिड़ला ने, देशराज नारंगसाहब ने, कनौडिया और खेतान जी ने कहा। इन पापकग्रहों ने कहा जो देश को बरबाद करने वाले हैं। इससे १८ लाख परिवारों को हानि होती है, जो गन्ना पैदा करके मिलों को देते हैं। कई लाख ऐसे किसानों की भी संख्या है जो गुड़ इत्यादि बनाकर अपना गुजर करते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उसके ऊपर नहीं है।

श्री गेंदासिंह---५१ जिलों में कोई बाकी हैं जहां यह लाइसेंसिंग आर्डर लागू नहीं होगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सब लोगों पर इसका असर नहीं है। जो अपने घर के लिये, गुड़, राब या दूसरी चीजें बनाते हैं, उन पर नहीं है। जिन जिलों में मिलें नहीं हैं वहां कुछ रखा गया है और उसके कारण में बिल के समय पूरे तौर से बताऊंगा।

श्री गेंदासिंह---यह कानून ५१ जिलों में लागू है। ७ कोल्हू से नीचे जिन्हें १४ बैल मानेंगे, आप लाइसेंस नहीं लगावेंगे। गुड़ की मालूम नहीं कितनी खपत हमारे सूबे में होती है।

आप बुरा न मानें, कुछ भावावेश में आ जाने के बाद आदमी को कहना पड़ता है। लेकिन देखना यह है कि उसका उद्देश्य क्या है। आपने सुन्दरम को क्वट किया है उन्होंने जैसे इस चीज को करने को कहा वैसे वे टैक्स बढ़ाने के लिये भी कहते। जब नहीं कहा तो फिर आप गन्ने पर टैक्स क्यों ले रहे हैं? आपने ३ आना मन गन्ने पर टैक्स लिया, ६ करोड़ रुपया आप गन्ने पर सेस लगाकर इकट्ठा करते हैं, वह कहां से मिलता है? वह या तो गन्ने वालों से मिलता है या चीनी खाने वालों से मिलता है, मिल वालों से तो मिलता नहीं है। चाहे छुरी खीरे पर गिरे या खीरा छुरी पर गिरे, बात तो एक ही होगी, नतीजा एक ही होगा। मिल वालों का मुनाफा स्वतंत्रता से पूर्व १९४७ में १७१.५ था और अब सन् ५६ में वह बढ़ कर ४५४.५ हो गया। यह मेरी बात नहीं है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की बात है।

(इस समय ४ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह अध्यादेश भी आप उन्हीं मिल वालों की मदद करने के लिये लाये और मरेंगे इससे गुड़ और खांडसारी वाले। माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह कोल्हू के ऊपर है और अब तो उन्होंने साफ कह दिया कि ७ कोल्हू होंगे। मुझे आशा है कि अब वे ७ कोल्हू और १४ बैलों पर स्टिक करेंगे, चाहे विभाग वाले कुछ ही कहें और ७ कोल्हू एग्जेक्ट रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि यह अध्यादेश मिल वालों की मदद करने के लिये ही लाया गया है। अगर वे चीनी ठीक दाम पर बेचते तो हमें कोई एतराज न था, कुछ देश का अगर वे काम करते तो हम भी इसमें सरकार की मदद करते। मुख्य मंत्री जी आकाश की किताबें पढ़ते हैं। जरा फुरसत निकाल कर गन्ने वालों की किताबें भी पढ़ें। बाम्बे में रिकवरी साढ़े ८ से बढ़ कर १३ हो गयी और उपज भी बढ़ कर दो हजार मन हो गयी है। तो बाम्बे में रिकवरी भी बढ़ी और उपज पर-एकड़ भी बढ़ी लेकिन यहां की सरकार रिकवरी भी न बढ़ा सकी और प्रति एकड़ उपज तो और पीछे चली गयी। मैं पूछता हूं कि यह ६ करोड़ रुपया किसलिये लिया जाता है? फिर इस पर भी टैक्स आप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं मेहरबानी करके इस पर विचार कीजिये कि जो रुपया पहले से कुछ केन सेस और दूसरी रकम हमने इकट्ठी की है उससे हमारा डिपार्टमेंट अपनी कोई लियाकतमन्दी सिद्ध करे कि उसने उपज बढ़ायी, या उसने देश के चीनी उपभोक्ताओं की कुछ मदद की। आज गन्ने की कीमत की लड़ाई होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूं, अगर जिस जमीन में २०० मन, ३०० मन गन्ना पैदा होता है और मद्रास तथा बम्बई में जहां गन्ने की पैदावार पहले कम थी वहां इससे ज्यादा पैदावार बढ़ी है तो उसी तरह से यहां की उपज बढ़ाने की चेष्टा सरकार करती तथा उस तरफ उसका कदम जाता तो फिर हमको कहने के लिये होता कि सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिये कुछ किया है। हमारी बदकिस्मती है कि इस्तफा हुसैन साहब इसी मौके पर चले जा रहे हैं। इनके घर पर भी खेती बारी होती है। उनके भाई खेती करते हैं और एक एकड़ में १,६०० मन गन्ना पैदा करते हैं। अगर सरकार हमसे नहीं पूछना चाहती तो उनके भाई को बुला कर उन्हीं से पूछ ले कि फी एकड़ कितना गन्ना आप पैदा करते हैं।

इसके साथ साथ मैंने देखा है कि हमारे प्रदेश में कुछ मिलें ऐसी हैं जो १०० मन गन्ने में ११ मन चीनी निकालती हैं और हमारे माननीय बहुगुणा जी के कुछ मित्र जो मिल वाले हैं वे चोर हैं जो १०० मन गन्ने में ९ मन चीनी ही निकालने की बात कहते हैं। मैं पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी इस बात का भी खयाल किया और इसकी जांच करायी कि फी १०० मन गन्ने में २ मन चीनी कहां चली जाती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आज ४४, ४५ रु० मन चीनी बिक रही है। सारी की सारी चीनी आपके हाथ में है। हिन्दुस्तान की सरकार ने कहा है कि सब चीनी उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में है। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जो चीनी के लिये सरप्लस है। यहां पर जितनी चीनी पैदा होती है उसका २५ प्रतिशत ही यहां उपभोग होता है। हमारे बाजार जो कानपुर,

[श्री गेंदा सिंह]

हापुड़ और मेरठ आदि में हैं वहां चीनी ४५ रु० मन और १२१ रु० बोरी के हिसाब से बिक रही है। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिये क्या किया है? उसने उपभोक्ताओं, गन्ना उत्पादकों और उन मजदूरों के लिये क्या किया है जिनकी रोजी उसी पर निर्भर करती है? मैं आपको बतलाऊं कि आपके डिपार्टमेंट वाले जाकर उनका हिसाब किताब देखें तो मालूम होगा..

श्री अध्यक्ष—आपका समय इस वक्त आज समाप्त हुआ। शायद आप २० मिनट बोल चुके हैं, ५ मिनट आप कल और बोल सकेंगे।

लखनऊ तथा प्रयाग विश्वविद्यालयों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत श्री चन्द्रजीत यादव, श्री भीखा लाल तथा श्री ऊदल की सूचना पर विवाद होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव जी बोलेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—(जिला कानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं चाहता हूं कि विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५६ के अनुसार समय लिमिट कर दिया जाय। इसमें है—

"56—TIME LIMIT FOR SPEECHES—

The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for Speeches."

प्रस्तावक के लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन अक्सर होता यह है कि गवर्नमेन्ट साइड के लोग ही घंटों व्याख्यान देते रह जाते हैं और विरोधी पक्ष को उतना समय नहीं मिल पाता। इसलिये आप सबके लिये समय निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं समझता हूं कि जो पहले चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं उनके लिये १५ मिनट और बाकी लोगों के लिये १० मिनट का समय ठीक होगा क्यों कि ढाई घंटे के अन्दर कई लोग बोलना चाहेंगे।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मेरे लिये कितना समय है?

*श्री अध्यक्ष—आपके लिये १५ मिनट का समय है और वही गवर्नमेन्ट मेम्बर, मंत्रिगण के लिये भी टाइम रहेगा, अलावा उनके जो अन्तिम जबाब देंगे उनके लिये मैं थोड़ा ज्यादा समय दे दूंगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव—अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश की जनता और देश के शिक्षा प्रेमियों में इस प्रकार की गंभीर चिन्ता व्याप्त है कि हमारे प्रदेश के दो मुख्य विश्वविद्यालय प्रयाग और लखनऊ में अनिश्चितकाल के लिये उनके फाटकों पर ताले पड़ गये हैं। इतना ही नहीं बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर सशस्त्र पुलिस का कब्जा है। जो हालत इन दो विश्वविद्यालयों की है करीब-करीब वही हालत प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी व्याप्त है। यह हमारे प्रदेश के लिये इतनी बड़ी चुनौती है, प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये, यहां के शिक्षाविदों के लिये और तमाम राष्ट्र के शुभचिन्तकों के लिये जिसे हमें बड़ी सन्जीदगी और गंभीरता से स्वीकार करना चाहिये। यह इतना गंभीर प्रश्न है कि देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का भविष्य जिन नवयुवकों पर निर्भर है और जिनके जीवन को बनाने का भार हमारे शासन के ऊपर और हमारे देश के ऊपर है उनके लिये हम ने पिछले १३ सालों में क्या किया है ? आज केवल यह कहकर कि नवयुवक तो उत्तेजित हो जाते है , वे अनुशासनहीन हैं, छात्रों का चरित्र गिरता जा रहा है--केवल इस प्रकार के आरोप उन पर लगाकर हम अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर सकते और न जिम्मेदारी को ही टाल सकते हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या पर हम आज अत्यन्त गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

पिछले चन्द दिनों में इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में जो घटनायें घटीं उनके समाधान और निराकरण का जो ढंग अपनाया जा रहा है मैं समझता हूं वही आज हमारे लिये सबसे बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है। आज इन आन्दोलनों में जो सब से बड़ी बात हमारे सामने आई है वह यह है कि यह आन्दोलन न केवल अधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच में है, न केवल शासन और विद्यार्थियों के बीच में है बल्कि उसका एक दुखद रुख है कि एक तरफ अध्क्षापक वर्ग है और दूसरी तरफ छात्र वर्ग । यह मनोवृत्ति क्यों पैदा हुई ? कहां से पैदा होती है, इस पर हमें विचार करना चाहिये। आज का वातावरण ऐसा है कि अध्यापक वर्ग और छात्र वर्ग एक दूसरे को अविश्वास और शंका की भावना से देखता है, यह एक गंभीर और चिन्ता का विषय है।

श्रीमन्, इधर बीच में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की तरफ से, शासन की ओर से या दूसरे लोगों की तरफ से जो बयानात देखने को मिले हैं उनसे यह प्रकट होता है कि सारे का सारा दोष प्रदेश के विद्यार्थियों पर डालकर, उनके मत्थे मढ़कर हम अपनी जिम्मेदारी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। यह बात सही है और हम इसको मानने में नहीं हिचकते कि विश्वविद्यालयों में जो आन्दोलन का स्वरूप देखने को मिला है या जो प्रवृत्तियां आगे आई हैं और जो अशोभनीय घटनायें हुई है, हम उनका कदापि समर्थन नहीं कर सकते और हमें उनका विरोध करने के लिये तैयार रहना चाहिये। हम जानते हैं कि अगर विद्यार्थी अश्लील पोस्टर या पर्चेबाजी करें, अगर विद्यार्थी अशोभनीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दें तो वे अपने छात्र-आन्दोलन को गौरवान्वित नहीं करते। हमारे प्रदेश में छात्रों के गौरवपूर्ण आन्दोलनों का इतिहास है और मुझे गर्व है कि मैं छात्रों के उस आन्दोलन से संबंधित था, सन् ५३ में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का आन्दोलन चल रहा था, जब उनके मौलिक अधिकारों पर प्रहार करने का प्रयत्न किया गया था, जब बगैर उनकी राय लिये हुए यूनियन को भंग किया गया था उस समय मुझे गर्व है यह कहने में कि मैंने भी उस आन्दोलन में भाग लिया था, और मैंने भी भूख-हड़ताल की थी, मैं भी विश्वविद्यालय से निष्कासित हुआ था। लेकिन हमें गर्व है कि हमने उस समय सरकार की चुनौती को स्वीकार किया था। हमने अपनी शक्ति के बल पर अपने आन्दोलन को पूरा भी किया था। लेकिन आज यह परिस्थिति पैदा हो गयी है कि हम सारी जिम्मेदारी को विद्यार्थी पर नहीं डाल सकते। हमें विचार करना है कि इन परिस्थितियों के लिये जिम्मेदार कौन है ? मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस सबकी मुख्य जिम्मेदारी सरकार और शासन पर और उन व्यक्तियों पर है जो शासन के संचालक हैं। मुख्य जिम्मेदारी आज हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर है।

आज हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली १३ वर्षों के बाद भी सुनिश्चित शिक्षा प्रणाली नहीं हुई और इस बात को स्वीकार किया जाय कि हम अपने देश को और प्रदेश को एक अच्छी शिक्षा प्रणाली न दे सके, यह एक गंभीर बात है। इसकी जिम्मेदारी आज विश्वविद्यालयों के अन्दर जो गुटबाजी हो रही है और जो अवसर अवसर पर अपने गुट के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उसके ऊपर है। श्रीमन्, हम विश्वविद्यालयों की हालत पर थोड़ी दृष्टि डालें। तेरह साल हो गये आज तक हम विश्वविद्यालयों के लिये कोई काम्प्रीहेंसिव ऐक्ट नहीं बना सके। परिवर्तन होतेहैं, संशोधन आते है, लेकिन छोटे-मोटे संशोधनों के साथ बात जहां की तहां रह जाती है। विश्वविद्यालय के अन्दर इस दृष्टिकोण से संशोधन किये गये हैं कि ग्रेजुएट्स जो रजिस्टर्ड

[श्री चन्द्रजीत यादव]

होते थे उनके संबंध में पहले १० रुपया फीस रखी गई थी, फिर, अपना प्रभुत्व कैसे बढ़ाया जाय और दूसरों को कैसे रोका जाय, उसे २५ रुपया कर दिया गया। फिर, केवल सिम्पिल मेजारटी से हम कब्जा कर लें, इस प्रकार का कानून बना। विश्वविद्यालयों के अन्दर कैसे अपने को मजबूत रखें, इस दृष्टिकोण से भी काम हुआ। अभी पिछली बार जब संशोधन पर हम विचार कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वाइस-चांसलर को जो अधिकार आप देते हैं, नामिनेट करने का, इसका दुरुपयोग होता है। अपने दिल पर हाथ रख कर आज बतलावें कि क्या उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसके प्रमाण नहीं है कि शासकदल के लोगों ने एक गुट के लोगों को रखने का प्रयत्न किया है? क्या विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोशियेशन ने सरकार से इस बात की मांग नहीं की थी कि कोई मंत्री हमारी एक्जीक्यूटिव कमेटी के अन्दर नहीं होना चाहिये? क्या उनकी मांगों का उल्लंघन नहीं किया गया? ये ऐसी बाते हैं जिनके ऊपर हमें आज विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, पिछले दिनों के अन्दर, १३ वर्षों के अन्दर हमारे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके अन्दर परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमने शिक्षा के जगत में क्या किया? राधाकृष्णन कमीशन बैठा सन् ४७ में और ४९ में उसने रिपोर्ट दे दी। तब हमारे देश का संविधान भी नहीं बना था और हमारे देश के भविष्य की रूपरेखा भी निश्चित नहीं की गयी थी। आज हम कहते हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था होगी। हम नियोजन के द्वारा काम कर रहे हैं। क्या आवश्यकता नहीं थी कि अपने इस विधान के मातहत, इस नियोजन के युग में, इन तमाम बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं को देखते हुए, एक ऐसा कमीशन बने जो इन तमाम बातों के ऊपर विचार करे, एक ऐसी रिपोर्ट दे कि हम उसके मुताबिक अपनी शिक्षाप्रणाली में परिवर्तन करके अपने नौजवानों को उनके भविष्य की एक रूप-रेखा दे सकें। यह जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अब यह परिस्थिति पैदा हो गयी। सरकार उसका हल ढूंढती है। हल ढूंढने का क्या तरीका है? नौकरशाही प्रवृत्ति जो जीवन के दूसरे क्षेत्रों के अन्दर अपनी संकुचित प्रवृत्ति के कारण मानव अधिकारों को कुचलती है, वही प्रवृत्ति आज विश्वविद्यालयों के अन्दर घुसती जा रही है। क्या हमारे प्रजातंत्र के अन्दर, हमारे देश के अन्दर हमने दो चीजों को नहीं माना है कि विधान सभाओं के अन्दर पुलिस का पदार्पण नहीं होगा, उसकी एक मर्यादा है और क्या हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस का पदार्पण नहीं होगा, उसकी अपनी एक मर्यादा है? लेकिन इन मर्यादाओं को क्या इस सरकार ने पिछले दिनों नहीं तोड़ा है? तो क्यों तोड़ा गया? क्यों विश्वविद्यालय के अन्दर सशस्त्र पुलिस बैठायी गयी काशी विश्वविद्यालय के अन्दर जो पुलिस से नंगा नाच किया और सारे देश में उसकी निन्दा हुई यह कौन नहीं जानता? आज भी फाटक के अन्दर आप प्रवेश नहीं पा सकते हैं जब तक कि परमिट न हो। क्या यही विश्वविद्यालय की समस्याओं का निराकरण है?

आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर एक हजार सशस्त्र पुलिस पहरा दे रही है। दफा १४४ शहर के अन्दर लगा दी गयी है। जिले के सारे विद्यालय १ हफ्ते के लिये बन्द कर दिये गये। क्या यही समाधान है? लखनऊ विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार नौकरशाही प्रवृत्ति को छोड़कर गंभीरता के साथ विचार करे। राष्ट्र के सामने एक गंभीर समस्या है। आखिर नौजवान क्यों पागल है? आप अगर नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुलझायेंगे, उनको रास्ता नहीं दिखायेंगे तो काम नहीं चल सकता। जब देश की रक्षा का प्रश्न आता है तब वही नौजवान सब से पहले आगे बढ़ता है और अपना खून देता है। वही नौजवान आज क्यों पागल हो गया है? क्यों इस तरह की हरकत करता है? क्या यह गंभीर समस्या नहीं है? मेरा निश्चित मत है कि विद्यार्थी जब अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिकायतों को ले

करके अध्यापकों के पास जाता है तो अध्यापक वर्ग का एक छोटा-सा हिस्सा है जो नौकरशाही प्रवृत्ति की तरह उसके साथ व्यवहार करता है या करना चाहता है। हमारे शासन के अन्दर ऐसे तत्व हैं जो इन तमाम बातों को प्रोत्साहन देते हैं। नतीजा यह होता है कि समस्याओं का समाधान नहीं होता, समझौते से हल नहीं होता, एक दूसरे की कठिनाई को समझने की कोशिश नहीं होती, और जब प्रजातन्त्र की शक्ति समझौते में है, समस्याओं को बैठकर हल करने में है, इसमें नहीं कि पी० ए० सी० के सिपाहियों से ठोकरें खिलायी जायं। अगर ऐसा किया जायगा तो वह नौजवान कहां जायगा ? उसकी आस्था प्रजातन्त्र में नहीं रहेगी बल्कि वह फासिज्म की तरफ जायगा। इस पर हमें गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ कहूंगा कि सरकार को एक हाई पावर कमीशन नियुक्त करना चाहिये। जिसके अन्दर माने जाने विद्वान हों, जिनके प्रति देश के लोगों की, अध्यापकों की और विद्यार्थियों की आस्था हो, हमें इसे राजनीति का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये, और वह कमीशन शिक्षा की निश्चित नीति स्थापित करे। अध्यापक और विद्यार्थी विद्यार्थी का क्या संबंध होगा विश्वविद्यालय और शासन का क्या संबंध हो, परीक्षा प्रणाली क्या होगी, आज विद्यार्थियों के अन्दर बेचैनी क्यों है और इसको किस प्रकार दूर किया जाय, उनकी बेकारी कैसे दूर होगी, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान होगा, इन सब बातों पर उसको विचार करना चाहिये। मैं अन्त में यह भी कह दूं कि आज भी हमारे विद्यार्थियों के अन्दर एक बहुत बड़ा वर्ग इस तरह का है जो इन तमाम बातों से दुखी होता है, समस्याओं का समाधान चाहता है लेकिन चूंकि उनकी तमाम बातों को ठुकराया जाता है इसलिये ऐसी समस्यायें पैदा होती हैं। आज इस बात का वक्त आ गया है कि सरकार इन सब पहलुओं पर विचार करके एक नीति निर्धारित करे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, बहुत कम ऐसे अवसर विधान सभा में आये हैं जब कोई ऐसा सत्र प्रारम्भ हुआ हो जिसके प्रारम्भ में एक ही बार ४ ऐसे विषय आये हों जिन पर आपको यह कहना पड़ा हो कि चारों विषय महत्वपूर्ण हैं और उन पर विवाद होना चाहिये। एक साथ दो-दो विश्वविद्यालय बन्द होने की बात अपने देश की एक नई घटना है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो विश्व की नई घटना होगी और उसके साथ ही कानपुर का भयंकर गोली कांड है जिसकी कल्पनामात्र से रोमांच होता है।

इसके पहले कि मैं उनके संबंध में कुछ कहूं, सरकार से एक बात कहना चाहता हूं जो मंत्री विशेषकर गृह मंत्री हैं, जिनके शिक्षा विभाग में बराबर इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आया करते हैं, गोलीकांड हुआ करते हैं, इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूं प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रतिस्थापन के लिये हमारे प्रदेश में आज इन विश्वविद्यालयों की बहस के पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिये इससे प्रजातंत्र को बल मिलेगा। उन्हें कबूल करना चाहिये कि वे बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रहे हैं और उनके दूसरे कलीग्स को भी इसे समझने की कोशिश करनी चाहिये, तभी सरकार का सम्मान बढ़ेगा। ये विषय बड़े सस्ते तरीके से बहस के साधन हो गये हैं। विश्वविद्यालयों में पार्टीबाजियां हैं और विश्वविद्यालय की पार्टीबाजी में विधान सभा में बैठे हुए किसी न किसी सम्मानित सदस्य से दम मिलता है। सरकारी बेंचेज पर बैठे हुए मित्रों में कई दल दलादल हैं। किसी न किसी दलादल का विश्वविद्यालय के किसी न किसी दल से संबंध है। जो पावर में रहता है, जिसको सरकार से शक्ति मिलती है वह आगे बढ़ जाता है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन्द हुआ। विद्यार्थियों ने जो कुछ वहां अशोभन कार्य किये, मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसमें थोड़ी बहुत सज्जनता होगी, जो थोड़ा भी यह समझता है कि शिष्टता और व्यवहार किसे कहते हैं, वह उनकी निन्दा करेगा। लेकिन जब विश्वविद्यालय शान्तिपूर्ण ढंग से चलने लगा तो उसे अनावश्यक रूप से, बिना एक्जिक्यूटिव कौंसिल से सलाह लिये बन्द कर दिया, यह कहां तक न्यायसंगत था ? मैं नहीं समझता कि ऐसी

[श्री गौरीशंकर राय]

अर्जेन्सी या विशेष परिस्थिति इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में आ गयी थी, या कोई ऐसा दैवी प्रकोप होने वाला था या सर्वनाश होने वाला था कि वाइसचांसलर ने उसे बन्द कर दिया। वाइस चांसलर को हक क्या है? क्या भगवान की तरफ से हक मिला है? इसलिये उनको अधिकार है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का पेट्रोनाइजेशन उनको प्राप्त है? उसकी बैकिंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके पीछे है?

लखनऊ विश्वविद्यालय में नग्न नृत्य बहुत दिनों से इसी प्रकार बराबर होते रहते हैं। कल मेरे एक मित्र ने एक बात कही कि पहले जब आन्दोलन हुआ करते थे तो उस समय जो लोग शक्ति में थे उनके अतिरिक्त दूसरे लोग आनन्द लिया करते थे और अब जब दूसरे शक्ति में आये तो पहले लोग आनन्द ले रहे हैं। विद्यार्थियों ने एक आन्दोलन किया। गन्दे पोस्टर निकाले। हर आदमी जो शिक्षित होगा, जो सभ्य होगा, वह इन पोस्टरों को बुरा कहेगा, गंदा कहेगा। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा गन्दा चार्ज लगता है और अगर उस गन्दे चार्ज में एक फीसदी सत्यता है तो शिक्षा मन्दिर में ऐसे व्यक्ति के रहने के विरोध में कोई भी कार्य इस विधान सभा को करना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि विद्या मन्दिरों के संबंध में मुझे याद है एक बात श्री गोविन्द सिंह विष्ट ने २१ सितम्बर को कही थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के लिये लड़कियों का चेहरा अच्छा होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि जिनकी अच्छी शक्ल होती है उनको अच्छे नम्बर मिलते हैं। अगर इस प्रकार की बातें इस विधान सभा में कही गयीं और संकेत किया गया और ऐसा अवसर किसी विद्या मन्दिर में मिलता है तो यह बड़ी निन्दनीय बात है, इस विधान सभा के लिये ही नहीं, अपितु पूरे समाज के लिये, इस देश के लिये।

शिक्षा मन्दिरों में जो व्यवस्था चल रही है मैं समझता हूं कि पार्टी बाजी के ऊपर उठकर, चाहे कोई इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, बड़ी संजीदगी से हमको विचार करना चाहिये क्योंकर यह मर्ज विश्वविद्यालयों में पैदा हुआ। आगरा विश्वविद्यालय में मैं सीनेट का सदस्य हूं। उसमें जो पार्टीबाजी व संकीर्णता है, जो नग्न नृत्य है, जो पेट्रोनाइजेशन सरकार की तरफ से किसी न किसी दल को मिलता है, उसकी जानकारी मुझे अच्छी तरह से है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में श्री शिवन लाल सक्सेना तथा दूसरे मित्रों के पत्र छपे। उन पत्रों को पढ़ने से शर्म को भी शर्म आती है। उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह जवाब आपके लिये संतोष का विषय नहीं होना चाहिये। इसके लिये, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, एक हाई पावर कमीशन बनाइये, वह सारे ऐस्पेक्ट्स को देखे। वह विश्वविद्यालय की शिक्षा व उसके जीवन पर विचार करे। शिक्षा मंत्री कहा करते हैं कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल आयेगा, कब आयेगा?

कुछ दिनों मैं भी छोटे से मदरसे का अध्यापक रहा हूं। शिक्षा शास्त्र की मुझे जानकारी नहीं है लेकिन नजदीक से देखने का मुझे अवसर जरूर मिला है। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े विद्वान हैं और अन्य लोग भी विद्वान हैं। मेरा अपना विश्वास है कि अगर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता आती है तो उसकी जिम्मेदारी अध्यापक की इसलिये है और अध्यापक की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, शिक्षा विधि की जिम्मेदारी होती है इसलिये इन सारी बातों पर विचार करना चाहिये। केवल एक विद्यार्थी को बदमाश कह कर या एक टीचर को भ्रष्ट कह कर काम नहीं चलता। मैं कहता हूं कि विद्यार्थी जो अश्लीलता से भरी हुई बात कहते हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को घर में धक्का देते हैं, ये निन्दनीय बातें हैं। इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये और कोई नहीं दे रहा है। बल्कि प्रोत्साहन किसी और तरफ से मिल रहा है। आज पार्टीबाजियों का एक रूप बना हुआ है। के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर एक न एक पार्टी के हैं, क्योंकि वे प्रोमोशन चाहते हैं। मुझे मालूम है कि हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट थर्ड डिवीजन के आदमी हैं। पार्टीबाजियों के आधार पर विद्या मंदिरों में अगर नियुक्तियां होंगी तो क्या शिक्षा का स्तर इससे बढ़ने वाला है?

में इस विधान सभा के सदस्यों से क्षमा मांगता हूं कटु भाषण के लिये और साथ ही साथ उनसे कहूंगा कि आज पार्टीबाजी से थोड़ा ऊंचा उठकर इस गंभीर विषय पर हम सबको सोचना चाहिये और हमारे जो विद्यार्थी जो कल इस देश के भावी नागरिक होने वाले हैं और जिनके हाथ में कल शिक्षा मंत्रित्व, गृह मंत्रित्व और मुख्य मंत्रित्व आने वाला है उनको तबाही की तरफ ले जाने में प्रोत्साहन न दें। अगर यह सुना जाय कि विद्यालयों में जातिवाद के आधार पर एप्वाइंटमेन्ट होते हैं, डीन्स बनते हैं या और किन्हीं संकीर्ण कंसीडरेशन्स से किये जाते हैं तो क्या हमारा सिर झुक नहीं जाता ?

मैं आज आप और इस सदन के जरिये इस प्रदेश और देश की जनता और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है और अगर वे बाहर जाकर कानून अपने हाथ में लेंगे तो भविष्य बनने वाला नहीं है। साथ ही मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर व्यक्तिगत किसी के करप्शन की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिये। उस हाई पावर कमीशन के अलावा इसकी भी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये अगर किसी लेजिस्लेटर के रोमान्स पर असेम्बली बन्द नहीं होती है, किसी मिनिस्टर के रोमांस की बात आये तो यह गवर्नमेन्ट नहीं बन्द होगी तो किसी टीचर के रोमांस पर यूनिवर्सिटी बन्द करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ? एक दिन में आर्डिनेन्स आ गया। विश्वविद्यालय में पुलिस को बुलाना कोई अच्छी बात नहीं है। आज बहुमत के बल पर जिम्मेदारी से अलग होने की बात आप कर सकते हैं, लेकिन आने वाला जमाना आपको माफ करने वाला नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी हुई, सारे जिले के स्कूल बन्द कर दिये गये। अखबार पढ़ने से समझ में ही नहीं आता कि कौन-सी गम्भीर बात हुई, कल तक तो विश्वविद्यालय खुला था। पिछली बार मैंने इस सदन में कहा था कि एक मामला आया तो वहां के वाइस चांसलर ने कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर से पूछ लिया है और जब चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को आटोनामी है। तो इस प्रकार की बातों को छोड़ कर आज जरूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अव्यवस्था है, विद्यार्थियों में जो आज अनुशासनहीनता है, अध्यापकों में जो आज पार्टी-बाजी है—इस सब के लिये एक हाई पावर कमीशन बिठाएं और पूरी शिक्षा में एक परिवर्तन लाकर इस डूबती हुई किश्ती को ऊपर उठायें। यह कोई समस्या का हल नहीं है कि आज यूनिवर्सिटी को बन्द कर दिया, कल चार लड़कों को निकाल दिया। तो अन्त में मेरा यही कहना है कि इन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिये आज हमें विचार करना होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में अच्छा तो यह होता कि श्री चन्द्रजीत यादव के भाषण के उपरान्त सरकारी पक्ष से अपनी बातें कह दी जातीं तो विवाद में अधिक सुविधा होती और वह अधिक फलप्रद होता परन्तु मुझे जो कुछ कहना है वह मैं विद्यार्थी पक्ष और विश्वविद्यालय के अधिकारी पक्ष, दोनों की बातों को सुनकर और दोनों की बातों का अध्ययन करके, मुझे जो जानकारी हुई है उसके आधार पर ही कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन पक्ष हैं। विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के अधिकारी और सरकार। इन तीनों में से किसी एक के या दो के मत्थे सारा दोष मढ़ देना अनुचित होगा और सत्य तथा तथ्यों के विपरीत होगा। तीनों एक से दोषी हैं, कोई भी बरी नहीं है। विद्यार्थियों की उच्छृंखलता, हुल्लड़बाजी और अनुशासनहीनता, ऐसी बातें हैं जिनका कोई भी समझदार व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता है और सब उन्हें नितान्त निन्दनीय मानते हैं। एक बात मैं विद्यार्थियों के लिये कह दूं कि योनि के दुराचार के मामलों के विरोध में सार्वजनिक प्रदर्शन करना विरोध का सही तरीका नहीं है और विधान सभा में इसकी चर्चा होना भी सही तरीका नहीं है। ऐसी बातों से दुराचार की बातों का प्रचार होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, ब्लैक मेल के लिये अवसर मिलता है और निर्दोष की कीर्ति की भी हत्या हो सकती है। हर एक ऐसे मामले में कोई न कोई महिला अवश्य होती है और चाहे पुरुष दोषी हो

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

और महिला निर्दोष हो लेकिन फिर भी जैसी समाज की दशा है उसमें महिला को अधिक हानि पहुंचती है और दोषी पुरुष को हानि बहुत कम या नहीं पहुंचती है। इसलिये ऐसे आरोपों के लिये सार्वजनिक प्रदर्शन या विधान सभा उपयुक्त स्थान नहीं है। इसके लिये तो लोकमत, न्यायालय तथा समाज ही उपयुक्त स्थान हो सकते हैं और उन्हीं के द्वारा इनका विरोध करना चाहिये और इनका अन्त करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों का संबंध है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप बहुत पुराने हैं और वे निराधार भी नहीं हैं, उनमें कुछ आधार है। जैसे कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में भी ऐसा हो चुका है और विश्वविद्यालयों की बुराइयों को दूर करने के लिये अधिनियम में संशोधन करने पड़े हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने इस बात की मांग पड़े की है कि मंत्री महोदय तथा उच्च अधिकारियों के संबंध में जो गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं उनकी निष्पक्ष जांच के लिये एक हाई पावर ट्रिब्यूनल होना चाहिये। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय के लिये भी हाई पावर ट्रिब्यूनल की मांग की गयी है उसको सरकार स्वीकार कर ले। इसको स्वीकार करने में सरकार का ही हित है, विद्यार्थियों का हित है क्योंकि जो अपकीर्ति हो चुकी है सरकार की और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की तो जब तक निष्पक्ष जांच द्वारा इसका निराकरण नहीं होता है तब तक जनता में यह भावना फैल जायगी कि इन सब स्थलों में भ्रष्टाचार है। इसको दूर करने के लिये इस मांग को अवश्य स्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, सरकार से मुझे कहना है कि विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता के प्रश्न को केवल पुलिस की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये यह केवल शान्ति और सुरक्षा की बात नहीं है। इसकी रोकथाम से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके मूल कारणों का पता लगाना होगा कि हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता क्यों है और इसका पता लगाकर उनको दूर करने का उपाय सोचना पड़ेगा। इसलिये जो हाई पावर ट्रिब्यूनल की मांग है वह सर्वथा उपयुक्त है और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह सरकार के हित में है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर सरकार समझती है कि केवल पुलिस के प्रयोग से विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता है तो मैं कहूंगा कि वह अफ़ीमचियों के स्वर्ग में रहते हैं। इस तरह से न तो आज तक कभी अनुशासनहीनता दूर हुई है न दूर होगी, रोग के मूल को हटाये बिना केवल ऊपर के लक्षणों की औपचारिक चिकित्सा करने से कभी लाभ होने वाला नहीं है। विश्वविद्यालयों की अनुशासनहीनता के मूल कारण बहुत गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, विधायकों के ऊपर है, विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर है, मिनिस्टरों के ऊपर सबसे अधिक है ही और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ऊपर है। जब तक हमारा अपना आचरण, आदर्श और अनुकरणीय नहीं होगा तब तक उनको केवल उपदेश देने से और पुलिस का प्रयोग करने से वह दूर होने वाला नहीं है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक माननीय मंत्री महोदयों का चरित्र ऐसा आदर्श और अनुकरणीय होना चाहिए और संदेह से परे होना चाहिए जिसके बारे में कोई उंगली न उठा सके, सीजर की वाइफ़ की तरह। इसी तरह से विश्वविद्यालय के अधिकारियों का चरित्र अनुकरणीय और संदेह से परे होना चाहिए। मैं इस प्रश्न को पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। मैं तो यह भी कहता हूं कि विरोधी दलों के नेताओं का, सभी विधायकों का चरित्र आदर्श और अनुकरणीय होना चाहिए तभी समाज और विद्यार्थियों का चरित्र ऊंचा हो सकता है। आज हमारा राष्ट्रीय चरित्र गिर रहा है, सार्वजनिक जीवन की शुभ्रचिता का और सार्वजनिक सदाचार का स्तर गिर रहा है। उसको दूर करने के लिए स्वयं हमें सबसे पहले उदाहरण रखना होगा। दुख की बात है कि सरकार ने अब तक इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह वह इस पर ध्यान दे। यह साधारण बात नहीं है। बहुत बढ़ती चली जा रही है। यह विद्यार्थियों के आन्दोलन जो हो रहे हैं ये अशोभनीय है, अवांछनीय है, जिसे न आप चाहते हैं

न हम चाहते हैं। उनको दूर करने के लिए जैसी कहावत है कि ड्रास्टिक बीमारियों का इलाज भी ड्रास्टिक होना चाहिए, सरकार को बहुत व्यापक कदम उठाना चाहिए। तभी सरकार उसे दूर कर सकती है। जैसा कि गौरीशंकर राय जी ने संकेत किया आज हमारे देश में, बात तो यहां तक है, जो शिकायतें हैं वह सही हैं या गलत इस बात का आरोप हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे पत्र में किया गया है कि इसके पीछे राजनीति है, राजनीति भी एक पार्टी विशेष की भीतरी गुटबन्दी की। जब तक हम इस तरह के आचरण करते हैं, अपनी भीतरी गुटबन्दी के लिए विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करते हैं, जब तक इस तरह के विषाक्त वातावरण को नहीं दूर करेंगे तब तक यह बुराइयां मिट नहीं सकतीं।

अन्त में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उसके सामने आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसे यह सिद्ध करना है और प्रदर्शित करना है कि जनतंत्र ऐसी बुराइयों और महामारियों को दूर करने में निकम्मा नहीं है। अगर सरकार की ओर से यह कहा जायगा कि जनतंत्र के कारण हम ऐसी बुराइयों को दूर नहीं कर सकते तो जनतंत्र के प्रति जनता की आस्था नष्ट हो जायगी, जनतन्त्र का अस्तित्व खत्म हो जायगा। इसलिए मैं सरकार से बार-बार कहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में सचेत हो और चर्चिल की तरह से यह कह दें कि हमें यह दिख देना है कि जनतन्त्र किसी भी तन्त्र से कम इफेक्टिव नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय यादव जी के प्रस्ताव में तीन बातें हैं। एक तो यह है कि हमारे विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गये हैं। दूसरे पुलिस वहां बिठा दी गयी है। तीसरी बात की उन्होंने यह चर्चा की है कि यह छात्र समस्या एक बड़ी राष्ट्रीय गम्भीर समस्या है। मान्यवर, सरकार ने जो इस सम्बन्ध में कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और इसलिए खड़ा हुआ हूं मान्यवर, आपने पत्रों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या दशा हुई, किस तरह से वहां के छात्रों ने वहां की एग्जीक्यूटिव कौंसिल को मजबूर किया प्रस्ताव पास करने के लिए और जो वहां का छात्र नहीं भी था, उसका वह दाखिला चाहते थे उसको दाखिला दिलाने के लिए किस तरह से प्रदर्शन हुए और किस तरह से एक अध्यापक को कालर पकड़ कर खींच के बाहर लाया गया, किस तरह से वहां के अध्यापकों को अपमानित किया गया, यह समस्या जहां उत्पन्न हो गई, जहां हमारे गुरुजनों का इस तरह अपमान किया जाय, जहां यूनिवर्सिटी का कार्य-संचालन इस प्रकार कठिन हो जाय, वाइस-चांसलर सरकार को लिखे कि हमारे कन्ट्रोल की बात नहीं है, आप यहां का इन्तजाम सम्हालिए, तो सरकार ने वाइस-चांसलर की चिट्ठी के ऊपर पुलिस को वहां भेजा।

श्रीमन्, यहां पर इलाहाबाद के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ—मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रेसीडेंट रहा, छात्र-आन्दोलन से मेरा भी थोड़ा सम्बन्ध रहा है, लेकिन उस वक्त जितने भी छात्र आन्दोलन हुए, वह एक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होते थे—लेकिन आज का जो आन्दोलन होता है, जब विश्वविद्यालय खुलता है जुलाई में तभी से आन्दोलन की तैयारी शुरू हो जाती है और बराबर एक न एक आन्दोलन किसी न किसी रूप में चलाया जाता है। कभी उनकी मांगें उचित होती हैं, कभी अनुचित होती है। मैं उस पर नहीं जाता लेकिन यह इस प्रकार के आन्दोलन जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर उसके कैरेक्टर के असेसिनेशन कर के लिए आन्दोलन चलाया जाय, तो कोई भी यहां का नागरिक इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता।

सरकार इस बात को कभी बरदाश्त नहीं कर सकती कि हमारे जो छात्र हैं, जिन पर हमारे देश की जिम्मेदारी आगे चलकर पड़ने वाली है, उन पर बड़ा भरोसा है, वह इस प्रकार के आन्दोलन चलायें, हिंसात्मक अन्दोलन चलायें और यह कहें कि जुलूस निकाल कर कि उस प्रोफ़ेसर के ऊपर चलो, अगर हमारे रक्त है तो हम उसका रक्त पी लेंगे, इस तरह के अन्दोलन जब चलते हैं तो जैसा माननीय यादव जी ने कहा कि किसकी जिम्मेदारी है इसकी, यह जिम्मेदारी

[श्री नेकराम शर्मा]

उन स्टूडेंट्स की है जो केवल नाम लिखा लेते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, मेरी वहां के प्रोफ़ेसर्स और स्टूडेंट्स से बात हुई। आठ-आठ साल से एक विद्यार्थी बी० ए० में पढ़ रहा है, आठ साल में उसने बी० ए० पास किया, ऐसे ही और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आकर फ्रेंच या अन्य क्लास में नाम लिखवा लिया और यूनिवर्सिटी में पड़े हुये हैं। लेकिन मेजारिटी आफ़ दी स्टूडेंट्स कभी आन्दोलनों के पक्ष में नहीं होते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप मुकाबला क्यों नहीं करते, तो वह कहते हैं कि कौन झगड़े में पड़े ? जहां हालत यह है कि थोड़े से ऐसे स्टूडेंट्स मिल कर जिनको स्टूडेंट पालिटीशियन कहा जाता है या थोड़े से टीचर्स जो अपने स्वार्थ साधन के लिये स्टूडेंट्स को एक्सप्लायट करते हैं और आन्दोलन चलवाते हैं, श्रीमन्, यहां जो अनुशासन की बात कही गई है, वास्तव में यह महान समस्या है, श्रीमन्, अध्यापकों के कत्ल होते हैं, अलीगढ़ में प्रिंसिपल साहब को मार दिया गया, डकैतियों में स्टूडेंट्स के नाम आये, आप श्रीमन्, ट्रेन के किसी डिब्बे में बैठ कर जायें, आप देखेंगे, स्टूडेंट्स घुस आयेंगे, बिना टिकट चलते हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व विद्यार्थी एक डिब्बे में बैठे हुए थे, एक विद्यार्थी को पूरी तरह से बेहोश करके डाल गए। आप किसी कम्पार्टमेंट में जाइए, बिला टिकट स्टूडेन्ट्स उसमें घुस आयेंगे, आप सो रहे हों, बैठे हों, घुस आयेंगे, फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो। दिल्ली की एक गाड़ी में स्टूडेन्ट्स के अलग डिब्बे दे दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी वह आकर दूसरे डिब्बों में घुस जाते हैं। कोई भी मैच खेला जाय, कोई भी सांस्कृतिक जलसा हो, स्टूडेन्ट्स घुस आयेंगे, झगड़े करेंगे, ऊधम मचायेंगे और जब वहां पर उपद्रव हो जायगा तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने की। अगर इस तरह से ऐसी स्थिति रहे तो यूनिवर्सिटी १० दिन या १५ दिन क्या, अगर १० साल तक भी बन्द करनी पड़े तो बन्द कर दी जानी चाहिए। इस तरह से यह अनुशासनहीनता बिलकुल बरदाश्त नहीं की जा सकती। अगर सरकार ने प्रदेश के शासन को चलाने के लिए जिम्मेदारी ली है और प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी ली है तो इस तरह के गुंडाइज्म को, इस तरह के झगड़े को हम बरदाश्त नहीं कर सकते। यह सरकार की जिम्मेदारी है और इस हाउस के सदस्यों की भी यह जिम्मेदारी है।

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक असत्य बात को लेकर इस तरह से गलत प्रोपेगेन्डा किया गया कि जिस तरह से गोबिल्स प्रोपेगेन्डा किया करता था और एक झूठ बात यदि कह दी गई तो १०० आदमी उसी बात को कहने लगते थे और वह बात सच सिद्ध कर दी जाती थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी बिलकुल यही बात सत्य सिद्ध हो रही है। एक मामूली बात का बतंगड़ बना दिया गया और उसका इतना विष फैला दिया गया कि जिसका कोई अन्त नहीं। जिस प्रोफेसर की उमर ७० साल की हो क्या उनके लिये इस प्रकार से कहना शोभा देता है ? मैं उस छात्रा से भी वाकिफ हूं और उनके पिता जी को भी जानता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, किसी का नाम यहां पर नहीं लेना चाहिये। यदि आप इशारा करेंगे तो दूसरे व्यक्ति उसका विवरण दे सकते हैं। इसलिये किसी का व्यक्तिगत जिक्र नहीं आना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा---इस तरह से इन बातों को बनाया गया और इस तरह से इसके पीछे यह षड्यंत्र हुआ जिसने इसको तूल दिया। जैसा पालीवाल जी ने कहा कि इसके पीछे इस तरह से पोलिटिकल पार्टीज, काम करती थीं उन सबने मिलकर इसमें खुलकर काम किया और एक जरा सी बात को इतना बढ़ा कर दिखाया गया।

श्रीमन्, जहां तक अनुशासन का सवाल है इसके लिये मांग की गई कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो इस मसले की जांच करे। कोई भी कमेटी बने लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ? बनारस विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया गया। वहां पर एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की उसके खिलाफ प्रदर्शन हुये कि यह रिपोर्ट जो दी गई बिलकुल गलत है। कोई भी रिपोर्ट बने या कोई भी कमीशन बैठे, या कोई भी

हाई पावर कमेटी बने आखिर उसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित होगी उसके खिलाफ आन्दोलन हो सकता है। कोई भी जांच कमेटी बनाने से कोई लाभ नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी न लें, बच्चों के गार्जियन्स जिम्मेदारी न लें, पोलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेदारी न लें कि हम यूनिवर्सिटी में कोई पार्टी बन्दी नहीं चलायेंगे और विद्यार्थियों के जो आन्दोलन चलते हैं उन आन्दोलनों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता है। विश्वविद्यालय बंद हो गये और उसके लिये शोर मचाया गया कि ये खुलने चाहिये लेकिन जो झगड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ? आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्रों ने जो ऐक्शन लिया उससे लोग डरते हैं। दूकानदार दुकान नहीं खोलता है, क्योंकि उसको दुकान खोलते डर लगता है। सिनेमाओं में झगड़ा होता ही रहता है। हर साल सिनेमाओं पर झगड़े होते हैं। किसी की मांग को माना नहीं गया तो फौरन झगड़ा हो जाता है। यदि विद्यार्थी दाखिल न हों तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तुरन्त हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। मेरा निवेदन है कि उसके लिये ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि जो हंगर स्ट्राइक करे वह फौरन गिरफ्तार कर लिया जाय। इसके लिये एक कानून होना चाहिये कि जो भी हंगर स्ट्राइक करे उसको गिरफ्तार कर लिया जाय। यहां क्या होता है कि दाखिला नहीं हुआ तो हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। कोई भी बात नहीं मानी गई तो हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी जाती है। यह सारी चीजें रुकनी चाहिये और कोई भी ऐसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिये जिससे छात्रों के अनुशासन पर पूरा कंट्रोल हो।

इन शब्दों के साथ, सरकार ने जो ऐक्शन लिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, यह विद्यार्थियों की समस्या और अध्यापकों की समस्या ऐसी विषय हो चुकी है कि वास्तव में इस पर ज्यादा संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। एक को दोष दे देना और दूसरे को एकदम पाक-साफ और चरित्रवान बतला देना हमारी समझ से न तो उनके साथ न्याय है जिनको दोष दे रहे हैं और न उनके साथ न्याय है जिनको हम-पाक साफ डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारी समस्यायें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है। अगर हम किसी के ऊपर छींटाकशी करते हैं तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। उदाहरणस्वरूप में एक बात कहता हूं कि विद्यार्थी गलती करते हैं और ऐसे सम्मेलनों में जाने का प्रयत्न करते हैं जहां पर नाच और गाना हुआ करता है। क्या मैं यह नहीं पूछ सकता हूं कि ६०,७० वर्ष के जब सांस्कृतिक सम्मेलनों को देखने की अभिलाषा रखते हैं और उस कला को देखने जाते हैं तो जो अभी उस कला से परिचित हो नहीं पाये हैं और जिन्होंने अभी उस रूप को ही देखा है उनको उसको देखने का अधिकार नहीं होगा ? अगर विद्यार्थी अपनी नादानी की वजह से गलती कर जाते हैं तो उसकी हम निन्दा तो जरूर करेंगे लेकिन हम अपने बुजुर्गों से इस बात को सोचने के लिये जरूर प्रार्थना करेंगे कि वह सोचें कि इसकी वजह क्या है ? (व्यवधान), नहीं, अपने लिये अगर छूट है तो उनके लिये भी छूट होनी चाहिये। जितनी यूनिवर्सिटियों में अभी विवाद खड़े हुए हैं वे सब चरित्र के दोष पर खड़े हुए हैं। इस विषय में मैं अधिक नहीं जाना चाहता, लेकिन एक तरफ जरूर इशारा करूंगा कि स्टैन्डर्ड, बैलेंस्ड जजमेन्ट क्यों नहीं हो रहा है। लड़कियां वहां पढ़ाई जा रही हैं और उन का हमारे समाज में एक विशिष्ट स्थान है। उनके साथ हमारे रहन-सहन में परदे का व्यवहार है। यूनिवर्सिटियों में खुले ढंग से लड़के, लड़कियां अध्यापकों से पढ़ रहे हैं। इसके कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, जो कुरीति उत्पन्न हो रही है उसकी जिम्मेदारी उन लड़कों पर डाली जा रही है जो गलती करने के अधिकारी तो नहीं हैं लेकिन गलती करते हैं। मैं पूछता हूं और बिलकुल सीधे ढंग से पूछता हूं कि जिस समाज में लड़कों और लड़कियों को मिलने का स्थान नहीं प्राप्त हुआ है उस समाज के लड़कों और लड़कियों को विश्वविद्यालयों में एक साथ पढ़ने का स्थान दे कर आपने क्यों जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है ? और अगर इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

वजह से कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो मैं समझता हूं कि उसको टालरेट करने की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर उसके कारण हाथ जलता है तो हमें उस जलन को बरदाश्त करना चाहिये और अगर हम उस जलन को बरदाश्त नहीं करते, नहीं कर पाते और उसके कारण किसी पर उंगली उठायी जाती है तो उसमें चाहे विद्यार्थी का मामला हो अथवा अध्यापक का, उसके साथ बिना मर्यादा का विचार किये हुए सख्ती के साथ कार्यवाही की जानी चाहिये। व्हिस्पिरिंग कैंपेन चलता रहे, पोस्टर्स छपते रहें और हम प्रेस्टीज की बात को लेकर उसे छिपाते रहें, या समाज के नाम पर, कि अगर इसकी जांच की गयी तो अधिकारी-वर्ग की मानहानि होगी, हम उसको टालते रहें, तो ऐसा करके मेरी समझ में आप विश्व-विद्यालय को शुद्ध करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। मेरा विचार है कि यह मौलिक बातें हैं जिन पर आपको सोचना चाहिये।

एक बात मैं जरूर कहूंगा और वह यह कि राजनीति ने हमारे विश्वविद्यालयों को बहुत गंदा कर दिया है। अध्यापक बुरे थे, लड़के बुरे थे, हमेशा रहे हैं। पौराणिक युग में भी ऐसी कथायें आयी हैं, उनकी तरफ मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन राजनीति जब अध्यापकों और विद्यार्थियों का उपयोग अपने लिये करती है तो यह भीषणता अधिक बढ़ जाती है। विश्वविद्यालयों में बुराइयां बढ़ी हैं या नहीं यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन राजनीतिक समस्यायें वहां उत्पन्न हो गयी हैं और राजनीति ने तमाम गंदगी को उछाल कर अपना फायदा उठाना चाहा है यह मुझे मालूम है। यह छिपी हुई बात नहीं है जबकि किसी विश्वविद्यालय में एक दल को हटा कर दूसरे दल को बिठाने का प्रयत्न किया गया हो या जब अध्यापकों के एक वर्ग को हटा कर दूसरे को ऊंचा करने का प्रयत्न किया गया हो और विश्वविद्यालय में सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार न किया जा रहा हो। मैं तो दंग रह गया और स्वयं समझ नहीं पाया कि मैं किस युग में हूं जब एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी मुझसे यह कहता है कि आप अध्यापक हैं, अध्यापकों का पक्ष लेते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का रेकार्ड दिखला सकता हूं कि एग्जामिनर कुछ नम्बर देता है और रजिस्ट्रार कुछ दर्ज करता है। जब वह कहता है कि मैं इस बात की एग्जाम्पिल दिखा सकता हूं कि यूनिवर्सिटी के एक विभाग में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई विद्यार्थिनीं इस कारण छोड़ कर चली गयीं कि वे सच्चरित्रता के साथ पढ़ कर वहां पास नहीं हो सकती थीं। यह ऐसी बात है। अगर यह कहा गया कि व्हिसपरिंग कैम्पेन अगर होगा तो भीषण रूप ले लेगा, तो मैं यह कहता हूं कि उसको बचाने के लिये पुलिस काफी नहीं है। आप यूनीवर्सिटियों को चाहे एक दिन के लिये बन्द कर दें, चाहे एक महीने के लिये बन्द कर दें, चाहे १० वर्ष के लिये बन्द कर दें, यह काफी नहीं है। प्रबन्ध कुछ दूसरा होना चाहिये। हमें सोचना चाहिये कि व्हिस्पिरिंग कैम्पेन को कैसे बन्द किया जाय। इसके लिये कुछ दूसरे प्रयत्न होने चाहिये। वह प्रयत्न सरकार को करने चाहिये। अध्यापकों का चुनाव में, विद्यार्थियों और अध्यापकों का राजनीति में, क्या हिस्सा हो कैसे वह मदद कर सकें, इस तरफ यह सरकार ध्यान दे रही है, देती रही है और देना चाहती है। इसके बारे में मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत तो यह है कि जो मूल प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है उसका समाधान होना चाहिये।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता, वह एक निन्दनीय विषय है। लेकिन उसको दूर करने का कोई उचित उपाय भी तो होना चाहिये। सिर्फ निन्दात्मक बात कह देने से ही हम बरी नहीं हो जाते। जो सुझाव इस ओर से दिये गये हैं अगर वे सरकार को अमान्य हैं तो सरकार के पास तो उसके लिये कुछ सुझाव होने चाहिये। जो हालत आज विश्वविद्यालयों की होती जा रही है, एक दो में ही नहीं, केवल यहां पर ही नहीं, और जगह भी यही हालत होती जा रही है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इसका उपाय निकालना चाहिये। इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस बीच में मैं सरकार

से प्रार्थना करूंगा, और अध्यापक होने के नाते यह निवेदन करूंगा, कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने अधिकारियों को, मंत्रिगणों को विश्वविद्यालयों से हटा लें। इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है। कई मर्तबा यह शिकायत इस हाउस में भी की गयी है। एक मंत्री महोदय बहुत दिनों तक रहे, इत्तफाक से अगर वह निकल गये तो उनकी जगह दूसरे मंत्री महोदय आ गये। इससे कोई सुधार नहीं हुआ। यूनीवर्सिटी की आटोनामी इस तरह से सुरक्षित नहीं रह सकती है। इस तरह से तो आप इस समस्या को सुलझा नहीं सकते। आपको इस विषय में जरूर ध्यान देना है और यह सोचना है कि इस संबंध में कैसे सुधार हो सकता है।

एक बात मैं और अन्त में कमीशन बैठाने के संबंध में कहना चाहता हूं। जिन व्यक्तियों में भी सरकार को विश्वास हो उनका वह एक कमीशन नियुक्त कर दे। इससे न विद्यार्थियों का कोई नुकसान होगा और न अध्यापकों का ही नुकसान होगा। विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया, इसको हमने मान लिया कि वह गलत है। अगर कोई गलत बात है तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन यह ठीक नहीं है कि वाइस-चांसलर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और बाद को इनकार कर दिया कि यह तो हमने लड़कों के डर की वजह से किया था, अपनी जान की रक्षा के लिये यह किया था। तो जब ऐसे-ऐसे लोग गलती करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से इस समस्या का हल होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये और सरकार को स्वयं कोई समाधान निकालना चाहिये। पुलिस ही इस सबके लिये काफी नहीं है। विद्यार्थियों की अनुशासन-हीनता बहुत बढ़ गयी है जिसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। आज जगह-जगह उपद्रव हो रहे हैं। उनका बर्ताव दूसरे सेक्स के साथ जो है वह भी निन्दनीय है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारी सरकार है वह इसके लिये जिम्मेदार है यह भी नहीं भुलाया जा सकता। जल्द से जल्द इसका कोई प्रयत्न होना चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहने के पहले एक बात स्पष्ट कह दूं कि जिस प्रकार अपने सूबे में विद्यार्थियों का अवांछनीय और उद्दंड व्यवहार हुआ उससे किसी भी आदमी का सिर लज्जा से निश्चय ही झुक जायगा। मैं जो कुछ कहूंगा वह कदापि इस दृष्टि से नहीं कहूंगा कि जो हरकतें हुई हैं उसका समर्थन हो। परन्तु, श्रीमन्, स्थिति यह जरूर है कि देश का सबसे बड़ा सूबा, शिक्षा में सबसे अग्रणी सूबा और इस सूबे के दो बड़े विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा जगत में अपना महान स्थान रखते हैं उनमें ताला लगा दिया जाय, यह भी कुछ हमारी सरकार के लिये या यहां इस प्रदेश के लिये शोभनीय नहीं है और इतना ही नहीं, श्रीमन्, इलाहाबाद के बारे में तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जो जिले भर के विद्यालय बन्द किये गये उसकी आवश्यकता नहीं थी, यह ऐक्शन बहुत हरीड हुआ है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि एक दिन सरकार भी, जैसा कि डाक्टर श्रीमाली जी ने बी०एच० यू० में बोलते हुए कहा था कि वहां जो पग हमने उठाया वह हरीड हो गया था, इसी प्रकार एक दिन यहां जिक्र करे क्योंकि इलाहाबाद में जो घटना हुई वह निन्दनीय है और उसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है। उसके पहले विद्यार्थियों ने अनकन्डीशनल ऐपोलाजी मांग ली। इलाहाबाद के एक बहुत प्रमुख सर्वोदय कार्यकर्त्ता हैं, उनके द्वारा जब बातचीत अधिकारियों से हुई तो जिस विद्यार्थी के ऐडमिशन को लेकर यह घटना हुई थी वह अपना ऐडमिशन का प्रार्थना-पत्र लेने को तैयार था। फिर इस प्रकार की क्राइसिस मेंटैलिटी डेवलप क्यों की गयी? मैं श्रीमन्, नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं निश्चित कहता हूं कि जिस समय ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल की बैठक हो रही थी, उसके एक सदस्य बाहर टहल रहे थे और जब उनसे अन्दर आने को कहा गया तब उन्होंने जब तक विद्यार्थियों का जुलूस न आ जाय तब तक अन्दर आने से इनकार किया। यह क्या है? हमारे ऐसे अध्यापक जो अपने को ऊपर उठाने के लिये इस रीति से विद्यार्थियों का उपयोग करें, निन्दनीय है और श्रीमन् क्यों इस प्रकार से ऐप्वाइंटमेंट्स हों? हम और आप यह कह कर भाग नहीं सकते कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि आज विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता का कारण है कि विद्यार्थी देखता है कि उसका अध्यापक ऐसा है जिसका अपने विषय के अन्दर प्रवेश तक नहीं है। श्रीमन्, ऐसे भी अध्यापक हैं जिनको उस वस्तु के शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन उनका ऐप्वाइंटमेंट उस विषय को पढ़ाने के लिये हुआ है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जिस साल मैं एम०ए० में पोलिटिक्स पढ़ता था एक ऐस लक्चरर का एप्वाइंटमेंट हुआ जिनको पालिटिक्स के एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। तो स्वभावतः ऐसे लेक्चरर से विद्यार्थी नहीं पढ़ते और भागते हैं। मैं भी क्लास से भागता था, प्राक्सी होती थी। यहां भी बड़े बड़े सदस्य भाग जाते हैं जब बहस होती है, क्षमा करेंगे मुझे माननीय सदस्यगण!

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--तो प्राक्सी कराते थे आप?

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--आचार्य जी, क्षमा करें आप भी जानते हैं कि आज भी होता है। जब इस तरह के अध्यापक आयेंगे तब विद्यार्थियों की निष्ठा शिक्षा में केंद्रित नहीं रह सकती और जो "आइडिल माइंड इज डेविल्स डैन" की कहावत है वह बिलकुल चरितार्थ होगी। पार्टीबाजी के आधार पर अध्यापक की विश्वविद्यालय में नियुक्ति और प्रमुख पार्टी की गुटबन्दी आज विद्यार्थियों के अन्दर इस प्रकार की अनुशासनहीनता और अश्लीलता और निकृष्टतम व्यवहार का नग्न नाच करा रही है। मैं नाम नहीं लूंगा परन्तु इस प्रकार का नृत्य कराने के लिये चन्दा विशेष करके एक गुट विशेष ने दिया है। यह हम अपनी भावी तरुणाई को किस ओर लिये जा रहे हैं? यह अपनी तरुणाई को ही नहीं बल्कि हम देश के भविष्य को चकनाचूर कर रहे हैं। आज जो विद्यार्थी है वह कल मिनिस्टर हो सकता है, पार्लियामेंट का सदस्य हो सकता है लेकिन उसकी जो शिक्षा-दीक्षा हो रही है और यदि इसी प्रकार का उसका दृष्टिकोण रहा तो अपने देश का भाग्य कहां जायगा?

श्रीमन्, मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आजकल अधिकारों का बड़ा बोलबाला है। हर स्थान पर आदमी कहता है कि यह हमारा अधिकार है लेकिन बिना कर्त्तव्य के अधिकार नहीं हुआ करता। "राइट्स विदाउट ड्यूटीज और लाइसेंस और ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर फासिज्म।" इस बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज जिस प्रकार का निर्माण हो रहा है वह हमें लाइसेंस की ओर से ले जा रहा है। इसलिये आवश्यक था कि स्त्रियों की शिक्षा होनी चाहिये, लेकिन आज विश्वविद्यालयों के अन्दर कोएजूकेशन नहीं होनी चाहिये। स्त्रियों के विश्वविद्यालय अलग होने चाहिये। अगर साथ रहीं तो जैसा लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस पर बोलते हुए श्री गोविन्द सिंह जी ने कहा, जो घटना आज हुई वह भविष्य में भी होगी। जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, मैं फिर कहूंगा कि वहां बन्द करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वहां के वाइस-चांस्लर या अधिकारी यह कह दें कि हम लड़कों का सामना नहीं कर सकते, लड़के बात सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारी को विश्वविद्यालय में रहना नहीं चाहिये। अगर विश्वविद्यालय के अधिकारी वास्तव में अधिकारी हैं तो लड़के उनके खिलाफ जा नहीं सकते। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े आन्दोलन के सिलसिले में कि वाइस-चांसलर को लड़कों ने घेर लिया तो उसने कहा कि तुम पिस्तौल से डराकर मुझ से काम नहीं करवा सकते। वाइस-चांसलर से कहा गया कि पुलिस बुलाओ तो उसने कहा कि पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, यह लड़के मुझे मार नहीं सकते। नतीजा यह हुआ कि थोड़ी देर के बाद लड़के चले गये और कोई दुर्घटना नहीं हुई।

विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर का लड़कों के साथ पिता और पुत्र का संबंध रहता है। लेकिन इन तमाम गड़बड़ियों के लिये सरकार को जो टोन सेट करनी चाहिये थी वह नहीं की और ठीक कदम नहीं उठाया। जहां तक हाई पावर कमीशन की बात है, वह जायज है लेकिन इसके अन्दर यह देखना चाहिये कि पठन और पाठन की शैली क्या हो, विद्यार्थियों को किस भविष्य के उद्देश्य से पढ़ाया जाय ताकि उनका अश्योर्ड भविष्य हो, इसकी ओर जो विशेषज्ञ हैं उनका ध्यान जाना चाहिये। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी का प्रबन्ध कैसा हो इसको देखना चाहिये। प्रबन्ध के माने यह नहीं हैं कि वहां पर पार्टीबन्दी के आधार पर एलेक्शन लड़े जायं। श्रीमन्, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन एलेक्शन होते हैं, चाहे वह ट्रेनिंग कालेज हो, यूनिवर्सिटी हो या साधारण कालेज हो वहां पर स्नातकों को कैनवेसिंग के लिये लगाया जाता है, और स्कूल के फंड्स इस्तेमाल किये जाते हैं। वहां चाहे टीचर पोलीटिशियन हो या स्टूडेंटस पोलीटीशियन हों, उनके शमन की आवश्यकता है। दूसरी ओर कमीशन के टर्म्स आफ रेफ़रेंस में यह भी होना चाहिये कि वहां का सारा प्रबन्ध कैसे हो, एप्वाइंटमेंट्स कैसे हों, वह कौन से मार्ग हों जिन पर चलकर सारी बुराइयों को रोका जा सके। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिये आगे से वहां पर अब पार्टी पालिटिक्स को न घुसने दें। अगर नामिनेशन करना हो तो शिक्षा के जो विशेषज्ञ हों, चीफ जस्टिस हों उनको भेजे और सरकार को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर सरकार को उचित कदम उठाना चाहिये।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--मान्यवर, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय रखने वाला प्रदेश है, उसमें हर साल किसी न किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का हंगामा खड़ा हो जाता है जो पूरे प्रदेश की ओर कभी-कभी पूरे देश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। अभी बनारस विश्वविद्यालय की बात समाप्त नहीं हुई थी कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में जो कांड शुरू हुआ उससे पूरे प्रदेश की वह जनता, जो शिक्षा संस्थाओं में शांति चाहती है और विद्याध्ययन के काम में प्रगति चाहती है, उसके लिये शंका करने की गुंजाइश हो गयी कि इस तरह यह काम चलता रहा तो क्या इन विश्वविद्यालयों के संचालन में, इस देश की जनता जो करोड़ों रुपया टैक्स देकर उसका खर्चा चलाती है, उसका मकसद भी पूरा होगा या नहीं ? अध्यापक वहां रखा जाता है तो इसलिये नहीं रखा जाता कि अगर वह अध्यापक हो गया तो किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव में सहायता देगा, उसके लिये काम करेगा। विद्यार्थी वहां प्रवेश प्राप्त करता है तो इसलिये नहीं कि वह वहां जाकर इस प्रकार का काम करे कि विद्याध्ययन का काम सेकेंडरी काम हो जाय और दूसरे काम प्रमुख स्थान ग्रहण कर लें।

जिस समय लखनऊ विश्वविद्यालय की बात मुझे सुनने को मिली और जो कुछ उसकी हालत है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से और कार्यकारिणी की ओर से जो निर्णय लिया गया, वह बिल्कुल उचित ही था। इसके अतिरिक्त और चारा ही क्या हो सकता है। विद्यार्थियों के साथ अगर कोई अन्याय होता है, सरकारी अधिकारी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मार्क्स अध्यापक वर्ग ठीक नहीं देते, मार्क्स कुछ और होते हैं और रिजल्ट के समय कुछ और कर दिये जाते हैं, या दफ्तर में जाते हैं तो क्लर्क उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, फीस वसूल करने में मनमाना सलूक करते हैं, और ऐसी हालत में जैसा कि हमारा सामाजिक सिस्टम है, अगर विद्यार्थी उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं तो यह जायज ही होगा। अगर उनको ऐसी शिकायत है तो उनको अधिकार होगा कि वह जायज तरीके से न्याय को प्राप्त करें। उनको ऐसा करना चाहिये। लेकिन न्याय को अपने हाथ में लेकर झटपट मौके पर ही निर्णय ले लेने की जो प्रवृत्ति उन लोगों में पायी जाती है वह नितान्त अशोभनीय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

यह बात नहीं कि यह चीज लखनऊ विश्वविद्यालय तक ही सीमित हो, यह धीरे-धीरे जिले के कालेजेज और स्कूलों में भी पैठती जा रही है। जिस रेल के डिब्बे में विद्यार्थी बैठे होंगे, १०-२० से ज्यादा होंगे उस डिब्बे में किसी भले आदमी का सफर करना असंभव है। नीचे से लेकर ऊपर तक विद्यार्थियों का यही हाल है। उन विद्यार्थियों का जो हमारा भविष्य है, जिनको मां-बाप अपने पेट पर पट्टी बांध कर पढ़ने के लिये भेजते हैं कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करके आयेगा, उससे परिवार का और राष्ट्र का भला होगा, वह लखनऊ और इलाहाबाद की गलियों में कुछ और ही करता फिरता है। इसके गुनहगार वे लोग नहीं हैं बल्कि हम लोग हैं। 'हम लोग' से मेरा मतलब सारी सामाजिक और राजनैतिक पार्टियों से है, चाहे वह शासक पार्टी हो या विरोधी पार्टियां हों, उनकी जायज और नाजायज हर बात का हम लोग समर्थन करते हैं और उनसे अपना समर्थन प्राप्त करने के लिये हर प्रकार का प्रोत्साहन उनको देते हैं। जब कभी किसी ऊंचे नेता ने यह कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं आना चाहिये तो उसने भी अपने किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही कहा और विद्यार्थी ऐसी राजनीति में चला गया जो उसको अभिप्रेत न थी, इसलिये वे राजनीति में प्रवेश न करें, ऐसा लेक्चर दिया करते थे।

दूसरे वे लोग हैं जो उनकी पोटेंसी, जो उनकी शक्ति है और ज्यादा से ज्यादा प्रबल जनमत करने की क्षमता है उसको इस्तेमाल करने के लिये हमेशा तैयार रहते थे। एक विद्यार्थी रूपी भूत को आपने एक बार अपने कमरे के सामने नचाया तो यह नहीं हो सकता कि आप जब चाहें तब तो उस भूत को नचावें और फिर उसे पिटारी में बन्द कर दें। वह तो भूत ऐसा है जो फिर आपके सर पर नाचेगा ही। इन अध्यापकों ने ही कौन सी कोर कसर अपनी तरफ से बाकी रखी ? जब उनको अपना मकसद पूरा करना था तो कल तक उन्होंने उनको खूब इस्तेमाल किया और उस वक्त उस भूत का नाच उनके लिये बहुत अच्छा था ? लेकिन वही भूत आज जब उनके कमरे के सामने नाचने लगा तो वह बहुत बुरा हो गया ! जब उन अध्यापकों को अपना मकसद पूरा करना था तब तो अध्यापक और विद्यार्थी एक थे। कमोबेश यही बात राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी लागू होती है। मैं इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि कोई मंत्री विश्वविद्यालयों में न जाय या कोई एम०एल० ए० न जाय और उसे एक ऐसा एरिया घोषित कर दिया जाय कि जो बहुत ही अहिंसक और बहुत ही निर्दोष किस्म के लोग हों वे ही जायं, तो मेरे खयाल से इस धरती पर तो ऐसे आदमियों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। वहां तो मिनिस्टर भी जायेंगे, जो मिनिस्टर नहीं हैं वे भी जायेंगे, एम० एल० एज० भी जायेंगे। काम क्या करें, यह सवाल है। कल एक किस्म के लोगों की कमेटी थी, उस वक्त अध्यापक बहुत अच्छे थे, फिर अध्यापकों ने कुछ नूनेच किया और वह कमेटी बदल गयी। अब वह संस्था अच्छी तरह से भली-भांति शान्तिपूर्वक चली चले तो फिर उनका रहना या न रहना कुछ महत्व रखता है, यह कैसे साबित होगा। इसलिये हमको तो अध्यापक भी निर्दोष नहीं प्रतीत होते हैं।

जब उनको अपना ग्रेड लेना था तब तो अपनी समस्या के हल के लिये उन्होंने स्वयं इन विद्यार्थियों का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उस वक्त गुरु और शिष्य मिल गये थे और वे बहुत अच्छे थे। लेकिन जब अपना ग्रेड हो गया तब उन को विद्यार्थियों की अपने लिये कोई आवश्यकता नहीं रह गयी। कल तक जब कि उनको ग्रेड नहीं मिला था तब तक तो विद्यार्थियों से कहा कि भूतो, पहले ऐसे नाचते थे, अब ऐसे नाचो। वह नाचने लगे। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार ने क्या गलत किया, कम से कम बहुत सोचने के बाद मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई गलती की। यदि वहां अध्यापक दोषी थे तो उस दोषी को कत्ल करने का, उसे पीटने का या मोटर फूंकने का हक, किसी अदालत को तो हो सकता है लेकिन मुझे नहीं है। यदि अधिकारी गलत व्यवहार करते हैं तो उस गलती को दूर करने का दूसरा तरीका जरूर है, लेकिन किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सवाल

यह है कि न तो अध्यापकों ने संतुलित दृष्टिकोण रखा और न विद्यार्थी ही रख पाये और मैं तो यह भी कहता हूं कि हेर फेर कर के सारी बातों को उन पर डाल दिया जाय जो वहां के अधिकार में थे और अब बाहर निकल गये और अब उन का यह दिमाग फिरा है कि यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं, पालिटिक्स में इस तरह के रिमार्क करना उचित नहीं मालूम होता। जिस तरह से सारी की सारी हालत बिगड़ी है उसमें कम स कम यदि कोई निर्दोष मालूम होता है तो वह सरकार का यह दृष्टिकोण है कि विश्वविद्यालय को बन्द कर देना चाहिये। बात यह भी उठी कि अब जल्द से शिक्षा संस्थाओं को खोलकर चालू किया जाय, मेरी समझ से शिक्षा संस्थाओं में पुलिस का प्रयोग करना अपमानजनक है और वह दुख का विषय है, लेकिन अगर शिक्षा संस्थायें ऐसा धन्धा करने लगें जो शिक्षा से ताल्लुक नहीं रखता तो उस हालत में पुलिस वहां अवश्य जायगी। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा संस्थायें सचमुच शिक्षा संस्थायें वस्तुतः बनी रहें और उन की मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम रहे। इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज यूनिवर्सिटी के विषय में मैं बात एक पोलिटिकल फील्ड या प्लेटफार्म से करूं। असेम्बली से सम्बन्धित होने से पूर्व मेरा सम्बन्ध विश्वविद्यालय से सन् ४३ से है। आज यहां पर जो विचार हो रहा है उस विषय पर इसलिये मजबूरन भाग ले रहा हूं चूंकि मैं एक विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हूं इसलिये मैं विवश हूं इस विवाद में भाग लेने के लिये। इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय के विषय में यह नई बात नहीं है, इन पर कोई न कोई विवाद गत ७ वर्षों से होता चला आ रहा है, किसी ने किसी रूप रंग में कोई न कोई मामला होता रहा है, किन्तु, बदलती रूपरेखा में यह नया नकशा है, यह एक नई बात पैदा हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको उस पुराने ड्रामे का अन्तिम ऐक्ट ही रखे। इसमें सन्देह नहीं है कि आज इन विश्वविद्यालयों के विषय में बात करना जिसमें कि पढ़ने का मुझे गौरव और फख्र रहा है, जहां का साइन्स का विद्यार्थी रहने का मुझे गर्व प्राप्त रहा है उस के विषय में आज बात करने में मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है।

हाल में जो लज्जा की घटनायें वहां हुईं उन की कोई ही बशर ऐसा होगा जो निन्दा न करेगा। बहुत सी बातें तो अखबारों से भी पता नहीं चलती हैं। दुर्भाग्यवश मुझे स्वयं एक विश्वविद्यालय के साथ जाती कन्टेक्ट होने के कारण कुछ ज्यादा वाकयात मालूम हैं। मैं हमेशा एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और इस कारण मैं जो उदाहरण दूंगा वह भी साइन्टिफिक ही होंगे। "ए बेरोमीटर इज एन इन्डिकेशन आफ कमिंग स्टार्म" उसी तरह यह जो मास स्टूडेन्ट मूवमेंट है या कम से कम इस नाम से जो कहा जाता है, मैं उसको एक सोशल बैरोमीटर समझता हूं। मैं इन विद्यार्थियों को इलेक्ट्रोड समझता हूं। जब एनर्जी एक्यूमुलेट होती है तो हमेशा स्पार्क देती है। इसी प्रकार यह स्पौन्टेनियस स्पार्क्स हुए हैं, गाजियाबाद में, कानपुर में, इलाहाबाद में और लखनऊ में। बाज जगह छोटी-छोटी बातों के ऊपर और बाज जगह निहायत शर्मनाक बातों पर। एक मैच के टिकट के ऊपर और एक सिनेमा के ऊपर, रेल का रोका जाना छः-छः घंटे के लिये। अब स्टूडेन्ट्स की जो हुल्लड़-बाजी होती है, उनके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न कोई ध्येय। हमने भी हुल्लड़बाजी की है। सन् १९२८ में की, २९ में की, ३० में की और ३१ में की। उस समय हम लोगों के सामने एक उद्देश्य था। उस वक्त की सरकार के खिलाफ भले ही था परन्तु था आवश्यक। आज वह लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है। आज हमारा छात्र नहीं जानता कि "व्हाट आई एम गोइंग टु बी आफ्टर दिस।" इसके लिये मैं छः कलप्रिट्स या दोषी समझता हूं। यह कह देना कि सरकार ने यह उचित किया या यह अनुचित किया, बहुत सरल है। विरोधी कहलाने के कारण सरकार के लिये ऐसी बातें सुना दें तो यह हमारा पेशा ही है। लेकिन श्रीमन्, इस नाते मैं नहीं कहता।

[श्री सुरथ बहादुर शाह]

मैं इस नाते पहला कलप्रिट सरकार को जरूर समझता हूं क्योंकि सरकार ने कोई उद्देश्य या ध्येय लड़कों के सामने नहीं रखा है कि लड़का पढ़ने के बाद क्या करेगा। उसे हर चीज मृग-तृष्णा और मिराज मालूम होती है। श्रीमन्, जब कोई गैर काननी बात होगी, जब किसी प्रकार से अनुशासनहीनता होगी तब तो यह लाजमी है कि सरकार पुलिस के द्वारा या किसी और ऐसी शक्ति के द्वारा उनको रोके। अगर वह रोकती है तो फिर उसकी निन्दा क्यों और कैसे कर? लकिन हम उसका कारण क्यों नहीं ढूंढ़ते हैं कि अनुशासनहीनता क्यों हुई और वह न होने पावे? उसके लिये मैं समझता हूं कि जो सरकार की मौजूदा पालिसी है--प्लानिंग के नाम पर डिप्लानिंग है--स्टूडेन्ट्स के सामने कोई उद्देश्य नहीं रखती है, इसलिये सरकार पहली कलप्रिट है।

दूसरे, यहां पर सभी पोलिटीकल पार्टीज हैं। क्या यहां पर कोई भी दल ऐसा है जो इस बात का दावा कर सकता हो कि उसने छात्रों को अपना मतलब सीधा करने के लिये इस्तेमाल नहीं किया? वह जमाना चला गया जब कि हम लोग पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीमती नेहरू और मौजूदा प्रधान मंत्री की स्पीचें सुन कर उबल जाते थे। लेकिन वही तरीका आज अपना मतलब सिद्ध करने के लिये काम में लाया जाता है। क्या कोई भी पार्टी यहां पर है जो सच्चे दिल से कह सकती है कि उसने स्टूडन्ट्स का नाजायज फायदा नहीं उठाया है?

तीसरे कलप्रिट समाचारपत्र हैं, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि इनका डेमोक्रेसी में क्या रोल होना चाहिये। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यह एकतरफा और एक ही अंग को दिखाते रहे और यदि एक ही प्रकार के गुट को प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो वह डेमोक्रेटिक रोल नहीं प्ले होगा। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि हमारे इस नगर के दो प्रमुख अखबारों ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया जैसी कि उनसे आशा थी। उन्होंने डेमोक्रटिक रोल नहीं प्ले किया।

चौथा कलप्रिट मैं गार्जियन्स को भी समझता हूं। वह गार्जियंस जो एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ नाजायज सिफारिशें करवाते हैं। मेरे पास कई मर्तबा लोग महज इस वास्ते आये कि थर्ड डिवीजनर को किसी न किसी तरह से रखा दिया जाय कि साहब आपका ही भतीजा है, आप का ही बेटा है इत्यादि। सिपारिश के साथ दलबन्दी के शब्द हमेशा शामिल होते हैं। "दलबन्दी इज दी आउटकम आफ सिपारिश"। तो वह गार्जियन्स भी जो आज कुछ कहें और कल दलबन्दी से कुछ और काम करना चाहते हैं वे भी गुनहगार हैं।

पांचवें कलप्रिट में टीचर्स को समझता हूं। टीचर्स ने लड़कों के सामने आदर्श रखना खत्म कर दिया और उनमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जो शर्मनाक वाकया लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ जहां ४०० अध्यापक हैं, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अगर २०० अध्यापक वहां खड़े हो जाते तो लड़के इस तरह का अश्लील व्यवहार करते, वह तभी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जब वे कवल अपने गुट में होते हैं, लेकिन जब वे ऐसे लोगों के सामने होते हैं जिनका वह आदर करते हैं वहां वे इस प्रकार की लज्जास्पद बात कभी नहीं करते। मैं तो कहने को तैयार हूं कि आज टीचर का रोल यह हो गया है कि कल को अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में आग लग जाय तो फायर ब्रिग्रेड को टेलीफोन कर दगे और उस पर भी अगर आग नहीं दबी तो अपना बिस्तर लेकर वहां से अलग हो जायंगे।

छठे कलप्रिट पोलिटिकल गुटबन्द और अखाड़ेबाज हैं जो छात्रों के आन्दोलन में घुस गये हैं। मैं कहने को मजबूर हूं कि यह लोग आटोनामी की बात करते हैं। वह है कहां? लखनऊ विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता तो मुद्दत हुई खत्म हो गई। उस समय खत्म हुई जब कि यहां के एक मिनिस्टर कोषाध्यक्ष हो गये, उस समय खत्म हुई जब कि गुट के खास-खास आदमी १०, १२ साल के लिये ऐग्जीक्यटिव काउन्सिल में रखे गये और रही सही तब खत्म हो गई जब पुलिस बुलाकर १९५३ में गोली चलवाई गई।

इसलिये मैं कहूंगा कि आल पोलीटिकल पार्टीज की कांफरेंस करके इस बात को घोषित करें कि हम विश्वविद्यालयों को पढ़ने व पढ़ाने के लिये छोड़ते हैं और हम उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे। दूसरे यह कि कमीशन बैठाया जाय जिसके कि चार आस्पैक्ट्स हों। एक तो फाइनेन्शियल तथा ऐडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी तरफ टीचर्स और अगर हो सके तो जो पिछले १० वर्ष के अन्दर नियुक्तियां हुई हैं उनके अन्दर भी जाय, तीसरे यूनीवर्सिटीज की नीड्स को देखे और चौथे स्टूडेन्ट्स इंडिसिपिलिन के कारण और उसकी रेमेडीज को बतावें।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। सदन में जो बहस हो रही है वह विश्वविद्यालय बन्द करने के सिलसिले में हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय क्यों बन्द हुआ इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया, न स्पष्टीकरण किया गया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार द्वारा बिना कोई स्पष्टीकरण किये हुए हम लोग कब तक बहस करेंगे। सरकार को चाहिये कि पहले वह स्पष्टीकरण करे कि विश्वविद्यालय क्यों बन्द है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं जो भाषण दे रहे हैं वह बिना समझे भाषण नहीं दे रहे ह। उनको बहुत कुछ मालूमात हैं, उससे आपको मालूमात हो जायंगी और जो बातें बाकी रह जायंगी वह सरकार के जवाब से मालूम हो जायगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय की चर्चा करने की आपने आज्ञा दी वह एक बड़ा गहन और चिन्तन का विषय है। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय हमारी राष्ट्रीय निर्माणशालाएं हैं। इस विधान सभा में हम कानून बनाते हैं लेकिन उन विश्वविद्यालयों में राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। मैं नहीं समझ सकता एक क्षण के लिये भी कोई सरकार, या कोई शिक्षा मंत्री कभी भी सुखी हो सकता है ऐसी निर्माणशालाओं को एक दिन के लिये भी बन्द करने में, जहां २०,००० भावी नागरिकों का जीवन ढल रहा हो। लेकिन जैसा माननीय पालीवाल जी ने कहा कि भयंकर बीमारी के लिये भयंकर रेमेडी की आवश्यकता होती है। जो भयंकर परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत हुई उसके लिये भयंकर औषधि की भी आवश्यकता थी; और इसीलिये यह अप्रिय कदम सरकार को उठाना पड़ा।

मान्यवर, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विरोधी दल के नेताओं को और उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने अब तक अपने विचार प्रकट किये। मेरा ऐसा खयाल था कि कदाचित् विद्यार्थी जगत में, विशेषकर उस क्षेत्र में जो इस हुल्लड़बाजी का अंग रहा होगा, जब यह सुना गया होगा कि आज इस सदन में इस विषय पर चर्चा होने वाली है तो कदाचित् वह यह सोचता होगा कि उसकी सारी बातों का यहां पर प्रतिपादन होगा और उसको बड़ी शाबाशी मिलेगी। लेकिन जिस संजीदगी के साथ और जिस वातावरण में आज इस विषय पर चर्चा हुई मैं समझता हूं कि उससे उनको एक सबक मिलेगा और वे सही दिशा में बढ़ सकेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं उन सदस्यों को जिन्होंने निर्भीकता से, इस बात का ध्यान न करते हुए कि उनके भाषणों का विद्यार्थी जगत कैसा स्वागत करेगा, अपने मत का प्रदर्शन किया।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने एक बड़ा मौलिक प्रश्न है। हम अपने विश्वविद्यालयों का या दूसरे विद्यालयों का सुचारु संचालन उन विद्यार्थियों पर छोड़ना चाहते हैं या उन व्यक्तियों पर छोड़ना चाहते हैं जिनके प्रति उनको चलाने का दायित्व है। आज इस मौलिक प्रश्न पर आपको दृष्टिपात करना है। जहां तक विश्वविद्यालयों को बन्द करने का सवाल था मैं तो समझता हूं कि इससे अच्छा कदम दूसरा हो नहीं सकता था। दो ही रास्ते थे आपके सामने। जब आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई उस वक्त जैसा कि एक दो माननीय सदस्यों ने कहा, यह तो

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

संभव नहीं था कि सारी शिक्षा पद्धति के लिये कुछ आचार्य इकट्ठा किये जाते और उस वक्त विचार विनिमय करके कोई चीज की जाती। एक रास्ता यह था कि जो कानून तोड़ा जा रहा था, जो उच्छृंखलता हुई, जो उद्दंडता हुई उसका वैसा ही जवाब दिया जाता और वही कांड जो पहले हमारे सामने हो चुके थे उनको दोहराने दिया जाता। दूसरा मार्ग यह था कि कुछ दिनों के लिए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाता और उन विद्यार्थियों को यह मौका दिया जाता कि वे अपने कृत्यों पर विचार करें, उनके जो संरक्षक हैं उनको समय मिले कि वे भी विचार कर सकें और जो हमारे प्रदेश की जनता है वह भी उनके कृत्यों पर विचार कर सके। दूसरा मार्ग जो एक प्रकार से शान्ति व अहिंसा का था वह अपनाया गया और उसका अपना फल हुआ और वह यह कि जो विषम वातावरण हमारे सामने उपस्थित हो सकता था वह नहीं हो सका। जो कांड हमारे सामने इस नगर में इससे पूर्व घटित हुए थे वे घटित होने से बचे। मैं इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

१३, १४ दिसम्बर को वह दिन था जिस दिन यह आर्डर हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन्द हुई, वहां के दूसरे विद्यालय बन्द होंगे। उस दिन इत्तिफाक से मैं वहां था। हाई स्कूल ऐण्ड इंटरमीडिएट बोर्ड की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिये मैं वहां गया था। उस दिन लड़के व लड़कियां रेल से अपने-अपने घर जा रहे थे। मैं जब स्टेशन पर आया तो देखा कि एक डिब्बे में केवल छात्रायें जा रही थीं। जो लज्जास्पद दृश्य मैंने स्टेशन पर देखा उसका विवरण देना भी उचित नहीं समझता। मैं केवल इतना कहूंगा कि उससे मुझे असीम दुख हुआ और जब मैं रेल से इलाहाबाद से लखनऊ आया तो रास्ते में जब तक जागता रहा मैं बराबर यही सोचता रहा कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। सारी सभ्यता, शिक्षा और शिक्षा पद्धति किस तरफ हमारी भावी संतति को ले जा रही है। यदि यही हमारे विद्यार्थी समाज के सामने उदाहरण रखेंगे तो फिर उन यूनिवर्सिटयों का बन्द होना या खुला रहना बराबर है—इसमें कोई अन्तर नहीं है। अगर शिक्षा पद्धति हमको इस ओर ले जाय तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने आता है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि आज तो जो स्थिति हमारे सामने है उस स्थिति पर ही विचार सीमित रखना उचित होगा। मैं इन सारी बातों पर संकेत मात्र जिक्र करना ही पर्याप्त समझता हूं। उस तरफ हमें सचेत होना है जिससे ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो सके। लेकिन इस विशेष परिस्थिति में जो विशेष कदम उठाया गया इसका जहां तक ताल्लुक है इस वक्त हमें उसी के विचार तक सीमित रहना होगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके लिये कोई उपाय सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई बीमारी होती है तो उसकी औषधि तो ढूंढनी ही पड़ेगी लेकिन उस औषधि के लिये कहां से विशेषज्ञ और डाक्टर आयेंगे। इस विधान सभा में ही तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वह कौन सी औषधि हो सकती है और यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह कहूंगा कि एक प्रबल जनमत ऐसे ऐक्शन्स, ऐसे आन्दोलनों के खिलाफ़ हमें तैयार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय के प्राँगणों में पुलिस का प्रयोग नहीं करना चाहिये, वहां पुलिस का प्रयोग करना दुःख की बात है लज्जा की बात है कोई शिक्षा मंत्री वहां पुलिस के प्रयोग से प्रसन्न नहीं हो सकता और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षा मंत्री कभी इससे प्रसन्न नहीं होते होंगे, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां आ जायं जहां पर शिक्षकों के संरक्षण का सवाल पैदा हो जाय, उनके जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाय और बहुत ज्यादा अनिष्ट होने की संभावना हो तो पुलिस का प्रयोग न हो तो क्या हो। परम्परायें किसी आधार पर बनती हैं और अगर वह सारी आब्जेक्टिव कंडीशन्स खत्म कर दी जायं जिन पर हमारी पिछली परम्रापरायें आश्रित हैं तो फिर उन परम्पराओं का निभाना असम्भव हो जाता है। तो केवल इसलिये कि भविष्य में किसी विश्वविद्यालय में पुलिस का प्रयोग न हो आज हमें प्रबल जनमत तैयार करना है। मैं समझता हूं कि आज का दिन एक सुनहरा दिन है। पहली बार इस सदन में उन तरीकों की एक स्वर में भर्त्सना की गयी,

इसका असर पड़ेगा और मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन के सदस्यों से और इस प्रदेश की जनता से यह प्रार्थना करता हूं कि हम एक प्रबल जनमत ऐसे आन्दोलनों के खिलाफ तैयार करें और जब विद्यार्थियों को पता लगेगा कि जनता उनके साथ नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह रामबाण औषधि होगी जिससे हम इन प्रवृत्तियों को रोक सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी तक जो कई महानुभावों के विचार सुनने को मिले और विशेष तौर से सरकारी पक्ष से जो हमारे दो एक सज्जन बोले उससे मैं अभी तक यह अन्दाज लगा सका कि सरकार का पक्ष कुछ मौन रह कर ही बातें सुनना चाहता है और अभी तक जो इन विश्वविद्यालयों में घटनायें हुईं उन पर जो उन्होंने अपना रुख प्रकट किया उससे भी पता लगता है कि सरकार दूर रह कर ही इन सब बातों को देखना चाहती है और वह क्या कदम उठायेगी यह बात तो अभी सन्देहास्पद है, किन्तु आज के हमारे अनेक भाइयों के भाषणों में विशेषतौर से जो मैंने विशेषता पायी वह हमारे आचार्य दीपंकरजी के भाषण में थी। उन्होंने कुछ दोनों दलों में एकता की बात की और उनका दल भी एकता का ही दल है। जो उन्होंने किया वह उचित ही किया। लेकिन हमारे सुरथ बहादुर शाह साहब ने वी० वी० गिरि साहब की ६ बातें दोहरायीं और उन ६ बातों को.....

श्री सुरथ बहादुर शाह---श्रीमन्, माननीय सदस्य कानपुर ने अभी नाम से इंगित किया। तो क्या किसी माननीय सदस्य को किसी दूसरे सदस्य को इंगित करने का मजाज हासिल है?

श्री अध्यक्ष---इंगित करने से उनको कोई दंड मिलने वाला नहीं है। इंगित करने में दंड देने की कोई बात नहीं है। इस कारण कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने अखबारों में महामान्य राज्यपाल की बातों को पढ़ा था और उनको माननीय सदस्यों द्वारा भी सुना था, इसलिये किसी के मान-अपमान की बात मैंने नहीं कही। सभी सदस्यों द्वारा उन कारणों को बताया गया और हम भी कोशिश करते रहे कि यदि हम राज्यपाल के कारणों को समझ चुके हैं तो हम सरकार द्वारा भी उनको सुन सकें। मैं विशेष तौर से कह दूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने किसी समाचार-पत्र वाले के प्रश्न करने पर इसके कई कारण बताये। उन्होंने विद्यार्थियों में फ्रस्ट्रेशन एवं टीचर्स और स्टूडेंट्स के कांटेक्ट की बात कही और एक विशेष बात कही। वह यह थी कि ऐसे वर्गों का यूनिवर्सिटीज में बाहुल्य हो रहा है जिनकी पहली पीढ़ी के लोग कभी यूनिवर्सिटी में नहीं रहे। यह बात मुझे खटकने वाली लगी। मुझे याद आया कि निकन अथवा क्रुश्चेव जो गड़रिये रहे उनके बाप दादे भी कभी नहीं पढ़े थे फिर वह इतने योग्य कैसे बन गये। लेकिन, श्रीमन्, मुझे इस विवाद में नहीं जाना है कि सरकारी पक्ष ने कहा क्या। मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि मैं अध्यापक रहा हूं और अपने जीवन के अधिकांश अंश में रहा हूं और उसी के आधार पर कहना चाहता हूं कि शिष्य और गुरु का सम्बन्ध पिता और पुत्र के समान माना गया है और मुझे इस सम्बन्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कहानी याद आती है। जब उनके पिता काबा गांधी ने उनके कुछ कार्यों पर दुख प्रकट किया था तो उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लाकर दुख प्रकट किया था और वह रोये भी थे। उसी का परिणाम यह निकला कि उन्होंने जीवन भर अपने पिता के सदुपदेश को निभाया था बल्कि अपने साबरमती आश्रम तथा वर्धा आश्रम में राजनीतिक अनुयायियों के प्रति यदि कोई कुचाल देखी तो आमरण अनशन तक के लिये उन्होंने अपना कदम उठाया था। लेकिन हमारे गुरु और शिष्य के बीच में जो सम्बन्ध होना चाहिये उसके मुकाबले में यह झगड़ा हो रहा है। हम शैडो (प्रतिबिंब) के रूप में इसको देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा व्यवहार चल रहा है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि भले ही हम इन विश्वविद्यालयों को थोड़े दिनों के लिये बंद कर दें और फिर खोलकर देखें तो शांति आ जायगी लेकिन इतना मैं कहूंगा कि हम विद्यार्थियों में सदाचार नहीं ला पायेंगे। हमारे सभी दल के लोगों ने कहा है कि एक हाई पावर कमीशन बिठाया जाय जो इस बात की जांच करे। मैं भी इसका समर्थक हूं। लेकिन मैं संकेत कर दूं कि सरकार को जब किसी चीज को टालना होता है तो उसके द्वारा कमेटी या कमीशन बिठा दिया जाता है। यदि इसको टालना है तो हम इसको इस रूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको दूर तक देखना है तो हमें सोचना पड़ेगा। इसमें दो प्रकार के कारण बताये गये। एक तो यह कि राजनीतिक पार्टियों ने यह चीज पैदा कर दी है। यदि इसी का यह परिणाम है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिये दोनों पक्ष के लोग दोषी रहे हैं। दूसरी तरफ़ से यह कहा गया है कि विद्यार्थियों में अश्लीलता आ गई है इसका कारण यह हो सकता है कि जब देश के कर्णधारों ने यह देखा कि विद्यार्थियों को राजनीति से हटाया जाय और दूसरी ओर उनका ध्यान दिलाया जाय तो मनोरंजन के साधन उनके लिये दिये जा रहे हैं। इसी का परिणाम यह है कि आज अश्लीलता दिखाई दे रही है। यह चीज चाहे राजनीति के कारण आई हो या किसी कारण से आई हो लेकिन इसको दूर करना होगा। मेरा ऐसा खयाल है कि आज विद्यार्थियों में आध्यात्मिकता की कमी है जिसके लाने की नितान्त आवश्यकता है। यदि हमारे देश में जैसे कि हर चीज को भारतीयकरण करना कहते हैं यदि हम को इस शिक्षा का भारतीयकरण करना है तो इसमें मूल परिवर्तन करना होगा। छः दोष गिनाये गये लेकिन सबसे बड़ा जो दोष है वह यह है कि पाश्चात्य सभ्यता के साथ-साथ हममें अंग्रेजी बुरी तरह से घुसी हुई है। जब तक हम अंग्रेजी को अपने पाठ्यक्रम से उसके मौजूदा रूप में नहीं हटायेंगे तब तक पाश्चात्य सभ्यता की चीजें हमारे स्वभाव से नहीं हटेंगी। हमारी उच्छृंखलता, हमारी मनोरंजन वृत्ति और अनुशासनहीनता इन सब की जड़ पाश्चात्य देश की वह भाषा है, गैर जिम्मेदारी लाने वाली भाषा है। उसको हम माध्यमरूप से, सर्वे-सर्वा रूप में न पढ़ायें। जो छः बातें कही गयी हैं उन सब को सम्मिश्रित रूप से हल कर लें तब भी हल नहीं दिखायी देता है। जो समाचारपत्रों की बात कही गयी यह सही है कि समाचार-पत्रों की पूरी-पूरी जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये फ़ोर्थ स्टेट कहे गये हैं। आज जो परिस्थिति पैदा हो गयी है उसके लिये समाचार-पत्र भी जिम्मेदार हैं। पाश्चात्य अखबारों के समान आज उनकी सेंसेशनल खबर लिखने की प्रवृत्ति दिखायी देती है। जब विद्यार्थियों में हलचल नहीं दिखायी देती तो वे कहते हैं कि कुछ रंगबाजी नहीं दिखायी देती है। यह बातें भी मैंने अखबार के सम्वादाताओं में होते सुनी हैं। शायद इस समस्या का समाधान करने के लिये ये विश्व-विद्यालय बन्द कर दिये गये हैं और यह आशा करते हैं कि उनके खुलते ही सुधार हो जायगा। हो सकता है कि कुछ ज्वालामुखी ठंडा दिखायी पड़े लेकिन यह इसका स्थायी हल नहीं होगा, वह आग फ़िर उभर आयेगी। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के कार्यक्रम में मौलिक परिवर्तन करने की किस में हिम्मत है? राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री जी सब के मुख से सुनता हूं कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है लेकिन राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधान मंत्री जी, सर्वसम्मति होते हुये भी क्यों नहीं निश्चित रूप से कहते हैं कि शिक्षा का परिवर्तन इस प्रकार से किया जाय? उसका निर्देश करें और उसके लिये चाहें तो एक हाई कमीशन भी बिठायें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे भी इस विवाद में भाग लेने का अवसर दिया। मैं उन सदस्यों में से हूं जिनका इस यूनिवर्सिटी के बन्द होने से बड़ा नुकसान हुआ है क्यों कि आपके आशीर्वाद से बीस बच्चे मेरे विद्यार्थी हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—मिनिस्टर फ़ार फ़ैमिली प्लानिंग घबड़ाकर कुछ सोचने लगे थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—आपके आशीर्वाद से मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं। वे गरीब लड़के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, वे आज बेकार बैठे हुये हैं। जब मैं यह देखता

हूं कि उनकी कक्षायें बन्द हो गयी हैं, वे घर पर बेकार पड़े हुये हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। जितनी परेशानी एक मनुष्य को अपने के लिये होती है, वह दूसरों के बच्चों की परेशानी मोल लेता है तो वह और भी ज्यादा परेशानी उसके ऊपर आयद होती है। अगर मैं गलत कहता होऊं तो माननीय सुल्तान आलम खां उधर बैठे हैं, वह जानते हैं, और लोग भी हैं, माननीय जगदीश शरण अग्रवाल को भी कभी-कभी जो पड़ोस में रहते हैं इन बेकार लड़कों से तकलीफ होती है। पढ़ने में डिस्टर्ब होता है।

माननीय महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि असल में यह जो उच्छृंखलता इस समय उनमें है इसके कारण हम राजनीतिज्ञ लोग हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। हमने इसकी शुरुआत की, चाहे सन् ३० रहा हो, चाहे सन् ४२ रहा हो, और चाहे कितना ही पवित्र हमारा उद्देश्य रहा हो लेकिन उस मूवमेन्ट में हमने लड़कों को भड़काया, हमने लड़कों को उकसाया। तब मैं भी एक विद्यार्थी था। उधर के बैठने वाले भी जो हैं वह भी हमारे साथ थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हमने तब तार काटे, पेड़ काटे और क्या क्या नहीं किया। उसमें हमारे उस तरफ बैठने वाले बहुत से बुजुर्ग नेताओं का भी हाथ होता था, ए० आई० सी० सी० से फरमान आते थे कि ऐसा करो, ऐसा करो, लकड़ी जब आगे जलती रहती है तब पता नहीं चलता लेकिन जब वह आग हाथ के पास पहुंचती है तब हमें उसका जलना मालूम होता है। तो अगर हम लड़कों की आज की इस उच्छृंखलता की शुरुआत को ट्रेस करें तो चाहे हमारा कितना ही पवित्र उद्देश्य क्यों न रहा हो, उस समय हमने ही अंग्रेजों के खिलाफ उनसे आन्दोलन शुरू कराये और वही भावना उनमें घर कर गई है। आज भी जब एलेक्शन आता है तो अपने अपने लिये वोट मांगने के लिये उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिये सबसे पहले तो एलेक्शन ला में यह आर्फेंस बना दिया जाय कि जिस व्यक्ति की तरफ से लड़के प्रचार करेंगे उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जायगा।

दूसरी बात, श्रीमन्, इसके लिये यह जरूरी है कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी से किसी भी लड़के का कोई सम्बन्ध कत्तई नहीं रहना चाहिये। आज हमें दुख होता है, कांग्रेस के नाम पर यूथ कांग्रेस बनती है, पी० एस० पी० वाले भी या जनसंघ के लोग या तीसरे चौथे लोग हरएक अपना अपना गुट वहां बनाये हुये हैं। हर एक का गुट वहां मौजूद है। तो यह बड़े दुख की बात है। यह कोई खुशी की बात नहीं है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं और लड़कों को भी आज मायूसी होगी कि हममें से कोई भी उनका समर्थन करने के लिये तैयार नहीं है। हम इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि लड़कों को थोड़ा सा खुश करने के लिये अपने देश को गारत कर दें। हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि ऐसी हरकतों का जिनके लिये हमें खुद शर्म है और लज्जा से हमारा सिर झुकता है, समर्थन कोई नहीं कर सकता। कई बातें ऐसी थीं जिनका तज़किरा यहां किसी माननीय सदस्य ने करना उचित समझा। अगर इसको थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया तो यह भूत एक दिन हमको भी खा जायगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिये। There can be no compromise (कोई बीच का रास्ता नहीं है।)

लेकिन, श्रीमन्, जहां लड़कों ने इतना सब कुछ किया वहां उनको इतना बड़ा दंड देना भी कुछ उचित नहीं कहा जा सकता। वह दंड इस तरह का कि उनको शिक्षा से महरूम कर दिया गया। यह बात भी, श्रीमन्, निर्विवाद है कि लड़कों को तो सजा दे दी और बहुत बड़ी सजा दे दी। उनकी पढ़ाई रोक दी गई और उनमें अधिकांश तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका किसी चीज में कोई हाथ नहीं तो यह भी सोचने की बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस दिया गया है। उनको बचाने के लिये कोई कदम भी जल्द से जल्द उठाना चाहिये और उनकी शिक्षा का काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाना चाहिये। इस बात का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं एकदम से सरकार को भी ऐसा सुझाव देने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार ने एकदम सारे हथियार डाल

[श्री गोविन्द विष्ट]

दिये और कह दिया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर सरकार इतनी जल्दी इतने हेस्टी कदम उठाने लगी तो यह भ कोई शोभा की बात सरकार के लिये नहीं है, किसी के लिये नहीं है, हमारे लिये भी नहीं है क्योंकि हम भी उससे बहुत दूर नहीं है। श्रीमन्, इसके अलावा जैसा माननीय दुबे जी ने फरमाया यह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक सह शिक्षा रहेगी तब तक यह शिकायतें रहेंगी, जहां जहां यह शिक्षा रही है वहां के चरित्र में आप एसी ही बातें पायेंगे, उनमें दोष हमेशा रहा है। किसी भी मुल्क को ले लीजिये। उनके यहां पाश्चात्य मुल्कों में इस चीज का कोई सीरिअस व्यू नहीं लिया जाता है। वह तो इसको एसा ही मानत हैं जैसे किसी की सिगरेट किसी ने पी ली। ऐसे ही वहां पर और बातें हैं। अपने समाज का जो मापदंड है उसके अनुसार हम ऐसी चीज को बहुत सीरियसली टेकअप करते हैं। अंग्रेजों के यहां, जिनकी सहशिक्षा की हम आज यहां पर नकल करते हैं, उनके यहां एक डेटिंग शब्द है यानी उनके यहां एप्वाइन्टमेन्ट फिक्स हो जाता है और तब यह सब बातें होती हैं। मैं बाकी और बातों में नहीं जाना चाहता हूं। यह बातें वहां पर बड़े सभ्य लोगों के बीच में हुआ करती हैं। इसलिये जो हमने अपने यहां एक समाज का मापदंड मान लिया है उसमें वे बातें अगर आज कहीं होती हैं तो वह बड़ी गलत बातें हैं और यदि उन पर चला जायगा तो यह एक गलत बात होगी।

जहां तक यह कहा गया कि राजनीतिक गुटबाजी का भी लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ हाथ रहा है, मुझे भी इसका कुछ तजुर्बा रहा है। उसके लिये मैंने थोड़ा इशारा किया था लेकिन उससे ज्यादा इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर पोलिटिशियन ने इस सारे मामले में गड़बड़ी की। हम इस बात को जानते हैं कि जब जब यहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक आया है विरोधी दल के लोग इसको ज्यादा जान सकते हैं कि टीचर पोलिटिशियन न इसके अन्दर अपना ज्यादा हाथ रखने की कोशिश की है। यह कार्य उचित नहीं है लेकिन आज भी उनका काफी हाथ इसमें रहता है इसमें दो राय नहीं है। यह जिम्मेदारी अकेले लड़कों पर डालना ठीक नहीं है। मुझे माफ किया जायगा अगर मैं यह कहूं कि यह बात सत्य है कि विश्वविद्यालय में अच्छे विद्वान् लोग हैं लेकिन ७५ फी सदी मिडियोकर आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां पर डा० गंगानाथ जैसे भारी विद्वान् थे या अमरनाथ झा जैसे विद्वान् थे आज उस तरह के विद्वान् नहीं हैं। वैसे काफी विद्वान् लोग हैं। एक बार वहां का स्तर यह था कि फिजिक्स के साइंस विभाग में डा० भाभा भी आने वाले थे और इसी प्रकार से पहले भी ऐसी विभूतियां वहां पर रही हैं जिससे उनके क्लास में बैठने को जी चाहता था। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के सारे पाठ्यक्रम में गड़बड़ कर दी गई है अब तो कुछ इसी तरह की भी क्लास खोल दी गई है जिसमें पढ़ाई ही नहीं होती जैसे एम० ए० में ऐडमिनिस्ट्रेशन की क्लास खोल दी गई। तो अभी तक वहां पढ़ाने की ठीक व्यवस्था नहीं थी परन्तु अब कुछ इसमें भी पढ़ाई होगी। दर्जा खोलने से पहले छात्रों को आश्वासन दिया गया कि पढ़ाने को अमेरिकन प्रोफेसर आयेंगे परन्तु वे भी नहीं आये। जो दूसरे थे उनमें से एक और अध्यापक चले गये। मेरा मतलब यह है कि यह सब होते हुये भी उस तरह के विद्वान् कम लोग हैं। मैंने पहले भी एकाध बार लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों के चरित्र के बारे में इशारा किया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जो बातें मैंने पहले इस सदन में कहीं थी वह आज सत्य साबित हो रही है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि अखबारों में ऐसे लेख लिखे गये हैं और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जो भ्रष्टाचार है उसका मैं यहां पर ज्यादा परदा-फास नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी बात कहकर सदन को गन्दा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन, श्रीमन्, इसका निराकरण होना जरूरी है। आज जो विश्वविद्यालय की जांच हो रही है और जांच के लिये जो कमेटी बिठायी गयी है उसके लिये लोगों की ऐसी भावना पैदा हो गई है कि इस मामले की भी वे जांच करेंगे लेकिन वह जांच केवल लड़कों के खिलाफ है जो एक तरफा जांच होगी और लड़कों के सिर पर सारा दोष मढ़ दिया जायगा। इसमें कुछ और लोग भी दोषी

हैं लेकिन साथ ही साथ में यह मांग करता हूं कि यूनिवर्सिटी में ऐसी गड़बड़ हुई है या नहीं, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है और अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका निराकरण करना जरूरी है नहीं तो अगर यह आग सुलग गयी तो फिर बुझने वाली नहीं है।

(श्री कमलापति त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मुझे कुछ समय दिया जाय। ५ मिनट में ही अपने विचार रख दूंगा। आपने तो १५ मिनट समय देने के लिये कहा था। इनको कुछ ज्यादा समय हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि जो मंत्रिगण हैं वह १५ मिनट बोलेंगे लेकिन जो जवाब देंगे उनको कुछ अधिक समय दिया जायगा।

श्री राजनारायण—तो थोड़ा समय उसमें से काट कर मुझे दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्यों काटा जाय? उनके दो तीन ही सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है।

श्री राजनारायण—मैं ५ मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री राजनारायण—तो बात दूसरे तरीके से आयेगी।

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, आपने विश्वविद्यालय के विषय में जो विचार करने का अवसर प्रदान किया उसके लिये यह सदन और मैं आपका कृतज्ञ हूं, यद्यपि यह ऐसा अवसर नहीं था कि इस विषय पर अधिक विवाद होता क्योंकि इसका कुछ भय भी था कि इसका बाहर कदाचित् कुछ गलत प्रभाव न पड़े। फिर भी यह विषय है गंभीर, जिस पर इस आदरणीय सदन को विचार करना है। मुझे प्रसन्नता है कि जो आज विचार विनिमय हुआ इस माननीय सदन में, उसका बाहर अच्छा प्रभाव ही पड़ेगा, ऐसी मुझे आशा है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उसमें एक बात स्पष्ट रूप से उन सब ने बतलायी, बिना किसी शर्त और संकोच के और कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों में और छात्रों में अनुशासनहीनता का व्यापक प्रसार हो रहा है और वह उनमें बढ़ती जा रही है और इसकी निन्दा करना आवश्यक है और सभी ने इसके प्रति एक दुख और खेद का भाव व्यक्त किया। मुझे आशा है कि इस का प्रभाव बाहर अच्छा ही पड़ेगा और मैं कृतज्ञ हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस मामले में सरकार का भी और इस प्रदेश की भी जो आज अवस्था है उसका कुछ भार हल्का करने में सहायता की।

मान्यवर, इस समय दो, तीन प्रश्न मुख्य हैं क्योंकि कुछ विशेष विषय लेकर इस की चर्चा यहां की गयी है। प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय क्यों बन्द हुए और पुलिस क्यों विश्वविद्यालय में भेजी गयी? यह दो मुख्य प्रश्न हैं। श्रीमन्, आरम्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों को बन्द करने में सरकार का कोई हाथ नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय को यहां के वाइस चांसलर ने और प्रयाग विश्वविद्यालय को वहां के वाइस चांसलर ने, जिन्हें इस बात का अधिकार है कि विश्वविद्यालय को वहां की परिस्थिति देख कर बन्द करा दें, बन्द कराया। सरकार को न तो कोई कानूनी अधिकार है विश्वविद्यालय को बन्द कराने का, जब तक कि कोई विशेष अधिकार वह इस आदरणीय सदन से प्राप्त न कर ले और न उसने इनको बन्द कराया। वाइस चांसलर को इमरजेंसी पावर्स हैं क्योंकि वह उत्तरदायी हैं विश्वविद्यालय में अनुशासन की स्थापना के लिये। उसी के अनुसार इन उपकुलपति द्वय ने इलाहाबाद और लखनऊ में अपने विश्वविद्यालयों को बन्द किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जहां तक पुलिस भेजने की बात है, श्रीमन्, सरकार को यह कभी पसन्द नहीं आता और आना भी नहीं चाहिये और मैं समझता हूं कि किसी भी शिष्ट व्यक्ति को यह पसंद नहीं आयेगा कि किसी भी शिक्षा संस्था में पुलिस का प्रवेश कराया जाय और विश्वविद्यालय में अगर पुलिस जाती है तो यह अपने यहां की परंपरा के विरुद्ध है और हम सब की जो एक सभ्य भावना है, अत्यन्त साधारण शिष्ट भावना, उसको एक ठेस लगती है। पर ऐसा करने के लिये परिस्थिति कभी-कभी बाध्य करती है। प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने विश्वविद्यालय को बन्द करते हुए वहां के स्थानीय अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने यह लिखा कि हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। हम इस विश्वविद्यालय को बन्द करना चाहते हैं, बन्द करने जा रहे हैं। आप से यह अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय की संपत्ति, जिसमें सिनेट हाल और मेयो सेंट्रल कालेज की इमारत तथा और इमारतें जो इसमें सम्मिलित हैं उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध कीजिये। यह उन्होंने पत्र लिखा और उन से बात भी हुई। इसके आधार पर वहां पुलिस भेजी गयी क्योंकि वाइस-चांसलर को यह खतरा था, कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे विश्वविद्यालय की संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे जैसी वहां की परिस्थिति थी उसके आधार पर।

मान्यवर, यह भी पूछा गया था कि स्कूल कालेज क्यों बन्द किये गये। अभी यादवेंद्र दत्त जी ने भी इस विषय को उठाया। स्कूल और कालेजेज जो बन्द किये गये वे इसलिये किये गये कि इस बात की संभावना थी और सूचनायें भी थीं कि हो सकता है कि विद्यार्थियों की तरफ से कोई किसी प्रकार का हंगामा पैदा हो जाय। यह संभावना थी कि इलाहाबाद शहर में हड़ताल कराने की चेष्टा की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय बन्द होता, तो उसके बाद विद्यार्थी अन्य स्कूलों में हड़ताल कराने की कोशिश करते, आन्दोलन कराते। इस दृष्टि से यह सब किया गया और वहां इन संस्थाओं को बन्द करना ही उचित समझा गया।

अभी कुछ दिन पूर्व कुछ घटनायें वहां पर घटी थीं जिनके बारे में जांच पड़ताल अभी तक चल रही है। मानसरोवर के बारे में आज सब को मालूम है। उसका एक व्यापक प्रभाव दूसरे जिलों में भी पड़ा। इन सभी बातों से इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य भली-भांति परिचित हैं। हमने स्वयं इस चीज को देखा। इलाहाबाद में ही नहीं, वहां के दूसरे जिलों में भी इस प्रकार की घटनायें घटीं। तो मेरे विचार से अगर इस प्रकार की घटनायें घटित हों, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से किसी प्रकार का भी कोई उपद्रव भरा हुआ कोई आन्दोलन हो, तो उसमें बल-प्रयोग करने की आवश्यकता हो जाती है। इस विचार से ही एक सप्ताह के लिये इनको बन्द कर देना उचित समझा गया।

लखनऊ युनिवर्सिटी में भी वहां के वाइस चांसलर ने यह देख कर कि अब यहां की स्थिति ऐसी हो गयी है जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है उन्होंने विश्वविद्यालय को बन्द कर देना ही उचित समझा। हमसे उन्होंने विश्वविद्यालय की सम्पत्ति अथवा भवन आदि की सुरक्षा के लिये कोई मांग नहीं की अतः वहां पर कोई पुलिस आदि भेजने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ। और न इस ओर सरकार ने कोई कदम उठाया। जब विश्वविद्यालय के उपकुलपति लिख करके स्थानीय अधिकारियों से सुरक्षा के लिये किसी सहायता की मांग करते हैं तो उसका प्रबन्ध कर दिया जाता है। भगवान की कृपा से वहां किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई और विश्वविद्यालय बन्द है।

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वाइसचांसलर के लिये क्या विश्वविद्यालय का बन्द करना उचित था और इस पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं यह मानता हूं, और मान सकता हूं कि इस विषय में भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं और भिन्न भिन्न दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। किन्तु जो वास्तविकता है उसे मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं। फिर उस पर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य विचार कर लें।

प्रयाग विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी की, जो कि बाहर का विद्यार्थी था, यूनियन से भी उसका कोई संबंध नहीं था, उसकी भरती नहीं हुई, केवल इसीलिये उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर इसके बाद यूनियन में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कि तिपय मांगें रखी गयीं और उसमें यह मांग की गयी कि इस विद्यार्थी को भरती कर लिया जाय। क्या यह मांग उनकी उचित थी ? यह विद्यार्थी बी० ए० में एक साल फेल हुआ। दूसरे साल सप्लीमेंट्री में पास हुआ। एम० ए० में दाखिला चाहता था। बाहर से काफी विद्यार्थी भरती के लिये आते हैं जिनको हम भरती नहीं कर पाते। उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करना पड़ता है। अगर यूनियन प्रत्येक विद्यार्थी के लिये इस प्रकार की मांग करेगी तो यह कहां तक उचित होगा ? तो इस बात को जब उन लोगों को समझाया गया तो उन्होंने यह मंजूर किया कि भूख हड़ताल नहीं होनी चाहिये। इसके बाद उन्होंने एक यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भूख हड़ताल कोई अच्छी चीज नहीं है लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब भूख हड़ताल करनी पड़ती है। यह प्रस्ताव हुआ। फिर क्या यह सही नहीं है कि २८ तारीख को सारी यूनिवर्सिटी में हड़ताल घोषित की और उसको घोषित करने के पूर्व २६ तारीख को एक्जीक्यूटिव कौंसिल के एक सदस्य के घर पर जब मीटिंग हो रही थी तो उसके घर को घेर लिया ? क्या यह सही नहीं है कि वहां के एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लोगों ने कहा कि तीन आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय जो विद्यार्थियों से बातें करके इस मामले को हल करें और क्या यह सही नहीं है कि विद्यार्थियों से उन लोगों ने तय किया—२७ तारीख को विद्यार्थियों के २ प्रतिनिधि टीचर्स और २ प्रतिनिधि यूनिवर्सिटी के ये चारों मिल करके एक पांचवें आदमी को अध्यक्ष मान लें और इन पांचों आदमियों के हाथों में यह मामला रेफर कर दिया जाय और उसका जो फैसला हो उसको यूनिवर्सिटी और विद्यार्थी दोनों मान लें। यह भी उन्होंने अन्डर कम्पलशन किया क्योंकि जहां मीटिंग हो रही थी उस घर को दो ढाई हजार विद्यार्थियों ने चारों ओर से घेर लिया। आर्बिट्रेशन के तरीके से उन तीन आदमियों की कमेटी ने विद्यार्थियों से बातें कीं। क्या यह सही नहीं है कि २८ तारीख को विद्यार्थियों ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और फिर उन्होंने घोषित किया कि सारी यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दी जाय और हड़ताल भी इस ढंग की कि चपरासी तक वहां न जाय और टीचर्स, डीन्स, प्राक्टर्स का जाना तो असंभव था ही, यहां तक कि जो पोस्ट आफिस यूनिवर्सिटी कैम्पस में है उसके आदमी भी वहां नहीं जा सके। क्या यह सही नहीं है कि उस कमेटी के तीन आदमियों ने विद्यार्थियों से कहा कि जो तुमने मंजूर किया था उसी को मंजूर कर लो ? वह भी नहीं हुआ। तब एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने विद्यार्थियों से कहा कि तुम जो मांग कर रहे हो वह हम मंजूर कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिये। विद्यार्थियों ने उसे मंजूर किया और तब एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग १२ बजे शुरू हुई। क्या यह सही नहीं है कि ३ हजार विद्यार्थियों ने उनके मकान को घेर लिया जहां मीटिंग हो रही थी और दरवाजे तोड़े, गमले तोड़े, पेड़ उखाड़ फेंके और शोर मचाया। जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसका दरवाजा तोड़ा ? इसके बाद भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लोगों ने कहा कि जो तुमने मांग की थी वह प्रस्ताव हम मंजूर कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अब कोई बात नहीं हो सकती। आज तो इस वक्त यह प्रस्ताव होना चाहिये कि उस विद्यार्थी को पहले भरती कर लो। हमारे प्रांत की यह दुखद घटना है जो मैं समझता हूं कि समस्त विश्वविद्यालयों के इतिहास में एक बड़ी भयावह और खतरनाक चीज है, क्योंकि कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार भविष्य में चल नहीं सकेगा। एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने चाहे प्राणों का भय रहा हो या और कोई भय रहा हो, कोई भय अवश्य था कि इन विद्यार्थियों ने किसी माननीय सदस्य का घर घेर रखा है, मालूम नहीं किस प्रकार का खुराफात इनके द्वारा हो जाय, किस का प्राण बचे, किस का न बचे, किस का परिवार बचे, किस का घर बचे, अगर पुलिस को बुलाया तो कितना संघर्ष हो जाय या कितनी भयंकर कोई परिस्थिति वह उपस्थित कर दे। तो "इन व्यू आफ कम्पेलिंग सरकमस्टांसेज" यह उनके शब्द हैं, "उससे हम बाध्य हो कर इस विद्यार्थी को भरती कर रहे हैं" यह बात हुई। क्या यह सही नहीं है कि इसके बाद एक व्यवहार सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि टीचर्स के लिये पढ़ाना मुश्किल हो गया। क्या यह सही नहीं है

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कि एक टीचर की गर्दन पकड़ कर क्लास से बाहर निकाल लाया गया और झोंक दिया गया उसको सीढ़ी से नीचे ? क्या यह सही नहीं है कि ला क्लास हो रहा था और उसके सामने विद्यार्थी जोर जोर से बातें कर रहे थे और जब टीचर ने उनसे यह कहलवाया कि क्लास हो रहा है डिस्टर्ब न करो तो उन्होंने कहलवाया कि टीचर से कहो कि खुद आकर कहें ? क्या यह सही नहीं है कि प्राक्टर पिटते पिटते बचा ? क्या यह सही नहीं है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास कई प्रश्न थे, कई अध्यापकों ने इस्तीफे भेजे, स्वयं वाइस-चांसलर ने इस्तीफा भेजा ? टीचर्स ने यहां तक लिखा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हमारे लिये मुमकिन नहीं है। अगर हमारी इज्जत इस तरह से ली जाय और हमारी जान खतरे में डाली जाय तो काम करना मुश्किल है। हालत अच्छी नहीं है और हम दूसरी नौकरी खोज रहे हैं और मिलते ही हम छोड़कर चले जावेंगे । ऐसी परिस्थिति में वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को बन्द कर दिया । कोई भी एक व्यक्ति उस स्थिति में चला ही नहीं सकता था। वहां की व्यवस्था में हजार दोष हो सकते हैं, लेकिन वह दूसरा प्रश्न है। फिर एक प्रश्न को लेकर वहां पर गड़बड़ी मची। तो वहां का वाइस चांसलर, जिसके हाथ में सिवाय बन्द करने के और कुछ नहीं था, और क्या करता ? मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जरूरत से ज्यादा कमजोरी और नरमी दिखलाई, उन्हें इस विषय पर कुछ और सोचना चाहिये था। लेकिन उसकी अब चर्चा करना बेकार है ।

श्री राजनारायण---कब यूनिवर्सिटी बन्द की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१३ को बन्द की गई।

श्री राजनारायण---एडमिट करने का फैसला किस तारीख को किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२८ को। २८ और १३ के बीच में टीचर्स की ओर से और अधिकारियों की ओर से भी चेष्टा होती रही कि किसी प्रकार विद्यार्थी खेद प्रकट करें और यह आश्वासन दें कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई और विद्यार्थियों से बात की गई, लेकिन विद्यार्थियों ने कोरी बात कही कि अफसोस है, लेकिन आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हुए कि इस प्रकार की घटनायें नहीं होंगी। उन्होंने बराबर १०-१२ दिन कोशिश की कि स्थिति सुधरे। कहा जाता है कि स्थिति नार्मल हो गई । वह ऊपर से नार्मल हो गई लेकिन कोई टीचर हिम्मत नहीं करता था कि विद्यार्थियों की राय के खिलाफ यहां तक कहे कि यहां पर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है, यहां पर शोर न करो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विश्वविद्यालय बन्द किया।

श्रीमन्, कुछ लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध में कह देना चाहता हूं। एक दिन एक पोस्टर छापा गया और चपकाया गया और उसके ४-६ दिन पहले डा० देशमुख आये थे उनको एक मान पत्र भेंट किया गया था। उसमें कहा गया कि बड़ा खराब ऐडमिनिस्ट्रेशन है और बड़ी बुरी हालत है। यह यूनियन की ओरसे मान-पत्र था क्योंकि यूनियन को इनग्रागुरेट करने के लिये डा० देशमुख आये थे। उन्होंने पूछा कि यह किस तरफ संकेत है लेकिन यूनियन के किसी अधिकारी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर ८ दिसम्बर को पोस्टर चपक गया, जिसमें किसी एक पुराने अध्यापक, जिनकी ३५-३६ वर्ष की सर्विस है, के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं और उसमें एक छात्रा का भी नाम था। वह पोस्टर हट गया और दूसरे दिन नोटिस चपक गई कि आज कैनिंग कालेज के क्वाडरेंगिल में छात्रों की बड़ी भारी मीटिंग होगी। वाइसचांसलर उनसे मिले, उन्होंने कहा कि इस प्रकार मीटिंग नहीं करनी चाहिये। जो शिकायत हो वह बताओ, उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। कालेज हो रहा है, क्लासेज चल रहे हैं, इससे डिस्टरबेन्स होगा, यह मुनासिब नहीं है। उन्होंने लिखकर आदेश भी दिया कि यहां पर कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन विद्यार्थियों ने मीटिंग की और उनका आदेश नहीं माना। मीटिंग में यहां तक कहा गया कि खून पी लेंगे। यह सही बात है।

हमारे शरीर में अगर रक्त है तो उनका भी रक्त पी लेंगे, इस तरह की बात कही गई। धमकियां भी दी गईं। वाइस चांसलर को पता लगा तो वह उस मीटिंग में आये और उन्होंने विद्यार्थियों को फिर समझाया कि क्या कर रहे हो। लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी और जलूस निकाला।

साइकालोजी का जो ब्लाक है, आर्ट्स कालेज का वहां जलूस गया और ढाई हजार विद्यार्थियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने मांग की कि प्रोफेसर को बाहर निकालो और उनके बाहर निकलने पर उन पर ढेले चलाये। दूसरे बहुत से अध्यापक वहां पहुंच गये, जिन्होंने उनको भीतर किया। वाइस चांसलर भी किसी प्रकार पहुंचे। इस बीच में साइकालोजी ब्लाक के दरवाजे, खिड़कियां और शीशे तोड़े गये। प्रोफेसर साहब की कार डैमेज की गई, जलूस निकाला गया, और मान्यवर, जो शब्द प्रयोग किये गये नारों में, उनका मैं यहां कहना उचित नहीं समझता हूं और न किसी सभ्य समाज में ऐसी बातें कही जाती हैं। यह भी कहा गया कि हम इस आन्दोलन को अन्त तक चलावेंगे, अगर शांतिमय तरीकों से काम नहीं चलेगा तो और भी मुनासिब तरीके अपनावेंगे। वाइस चांसलर ने यह देखकर कि यूनियन की मीटिंग हुई और शहर भर में हड़ताल कराने की चेष्टा की गई, १० तारीख को विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया और विद्यार्थी वहां से चले गये। मान्यवर, इसमें सरकार कहीं भी नहीं आती है। परिस्थिति आदरणीय सदन के सदस्य लोग जानते हैं, इसलिये मैंने बहुत विस्तार से उसे नहीं कहा है। ऐसी परिस्थिति में उनका विश्वविद्यालय को बन्द करना उचित था या नहीं, इस पर स्वयं सदस्यगण विचार करेंगे।

कहा गया कि कोई कमीशन कायम करो। अध्यापकों के लिये भी कहा गया कि ये लड़ाते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं। यह भी कहा गया कि कुछ पक्षपात बरता जाता है। और दूसरी बातें भी हो सकती हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं कि जब यहां विश्वविद्यालय विधेयक पेश थे तो बार-बार सरकार पर यह चार्ज लगाया जाता था कि वह विश्वविद्यालयों की आटोनामी पर आघात करती है। आज यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करो। सरकार स्वयं सोच रही है कि इस विषय में क्या किसी कमीशन के बनाने की आवश्यकता है या नहीं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे मामलों में हिचकिचाती है, इस कारण कि आदरणीय सदन का और विशेष कर हमारे विरोधी दल के सदस्यों का लक्ष्य यह रहता है कि विश्वविद्यालय की आटोनामी में हस्तक्षेप न हो। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी को प्रोमोट कर दिया, किसी को डिमोट कर दिया, इसके लिये ऐक्ट मौजूद है, एग्जीक्यूटिव कौंसिल मौजूद है, कोर्ट बन रहा है, इसलिये इन सबकी जिम्मेदारी सरकार पर डालना उचित नहीं है। हमने अध्यापकों को हमेशा ऊंचा स्थान दिया है। एग्जीक्यूटिव कौंसिल और यूनिवर्सिटी आटोनामी की यह सरकार भक्त रही है। हमने सदैव यही समझा है कि अध्यापक हमारे विश्वविद्यालय के प्राण हैं, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का कार्य होता है। मैं नहीं कह सकता कि अध्यापकों के लिये यह कहा जाना कि कुछ उनमें से टीचर-पोलीटीशियन हैं, कहां तक सही है। हो सकता है कि कुछ उनमें से ऐसे हों।

हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि विद्यार्थियों के ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये कि कि कानून उनके लिये नहीं है और वे उद्दंडता और अनुशासन हीनता से परे हो जावें। यही गुण मान लिया जाय और इसका सम्बन्ध महात्मा गांधी के आन्दोलन से जोड़ा जाय और इस प्रकार ऐसी कुछ वृत्तियों को प्रोत्साहन और प्रश्रय मिले और उस पर सरकार को आप दोष दे दें, वह तो ठीक है। सरकारें आती और जाती हैं, शिक्षा मंत्री आते और जाते हैं लेकिन देश का भविष्य सबसे बढ़ कर है। यह जो संतति का निर्माण हो रहा है, जिनका जीवन आगे बढ़ रहा है, जो आज पनप रहे हैं, उनके भविष्य का निर्माण, यह एक बड़ा भारी विषय है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस समय मौलिक प्रश्न यह नहीं है कि सरकार पर लांछन लगा दिया या किसी टीचर की टीका टिप्पणी कर दी, परन्तु जो मौलिक प्रश्न है वह यह है कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

विद्यार्थी यह न समझने लगें कि वह कानून से ऊपर हैं और यह भी न समझ लें कि कि वे मुट्ठी भर किसी काम को कराने के लिये सारे प्रबन्ध को विशृंखल कर सकते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि सारा जनमत, सारे राजनैतिक दल, सारे नेता और सभी अभिभावक इस प्रकार की उद्दंडता को किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं समझते और यह समझते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही अनुशासनहीनता है, प्रदेश और देश के भविष्य के लिये खतरनाक है और सारे विद्यार्थियों के लिये कलंक की बात है। यह ऐसी दृष्टि है जो हमारे सामने होनी चाहिये। इस सारे व्यापक प्रश्न को देखते हुए विश्वविद्यालय के बारे में आपने जो सुझाव दिये हैं, मैं उन पर विचार कर रहा हूं? लेकिन उसको छोड़ कर यह जो राष्ट्रीय प्रश्न है, उस पर हमें विचार करना है। यहीं नहीं मैसूर में तथा दूसरे स्थानों में भी क्या हो रहा है, अपने यहां भी किस प्रकार से यह व्यापक होता जा रहा है? सुरथ बहादुर शाह जी ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा की पद्धति के द्वारा यह नहीं बताया जाता कि आगे चल कर वे क्या करें। विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है इसलिये कि वह शिक्षित हों, उनमें मनुष्यता के गुणों का समावेश हो। उनको शिक्षा दी जाती है जीवन के संस्कार के लिये, इसलिये शिक्षा दी जाती है कि भारतीयता का उनमें विकास हो और "विद्या ददाति विनयम" के अनुसार उनमें विनम्रता का प्रादुर्भाव हो, उनमें मनुष्यता का उद्भव हो, सदाचार, अनुशासन आदि अच्छे भावों का विकास हो। अगर हमारी शिक्षा इतनी भी नहीं कर सकती है तो यह प्रश्न विचारणीय ही है कि इन संस्थाओं पर खर्च करना और इन बच्चों को विपरीत दशा में ले जाना हमारे लिये कहां तक उपयुक्त है। मुझे आशा है कि जो मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया है और माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे बाहर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमें विश्वास है कि आगे कोई ऐसा कार्य न होगा जिससे हमारे प्रदेश की ख्याति को किसी प्रकार से भी ठेस पहुंचेगी।

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं सदन को एक सूचना दे देना चाहता हूं, वह इस प्रकार है कि २४ तारीख को माननीय नेता सदन यह प्रस्ताव उपस्थित करेंगे---

> "यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (एर्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५९ द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद ३३४ में प्रस्तावित संशोधन का, अनुसमर्थन करता है।"

इसके अतिरिक्त माननीय नेता सदन इस समय कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ सूचना सदन को देना चाहते हैं, वह कृपा करके दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें इस वक्त जो बहस आर्डिनेंस पर चल रही है वह तो होगी ही, उसके बाद शुगर केन बिल पर विचार होगा। फिर अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक पर विचार होगा। फिर हस्तिनापुर टाउन डेवलपमेंट विधेयक और उसके बाद नार्दन इंडिया फेरीज बिल पर विचार होगा। इसको इसी आर्डर में एजेंडे पर ला दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे यह बतलाया गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी चीन वाले मसले पर बहस करने के लिये दो दिन का समय देने के लिये राजी हो गये हैं, यदि हम लोग सैटरडे को भी बैठने के लिये राजी हो जायं। तो फिर बिल्कुल उसके विपरीत यह बात कैसे हो गयी? यह मैं जानना चाहता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझसे यह कहा गया कि चीन वाले बोर्डर इंसीडेंट के मसले पर लोग अधिक समय चाहते हैं, तो मैंने यह सुझाव दिया था कि ये जो हमारे सामने बिल हैं,

वे बहुत ही सीधे-साधे बिल हैं यदि वे कल पारित हो जायं तो २४ तारीख का पूरा का पूरा दिन बार्डर वाले इंसीडेंट पर देने के लिये मैं तैयार हूं और अगर कल ५ बजे के पहले ही ये बिल पास हो सके तो उसके बाद का समय भी कल बोर्डर वाले इंसीडेंट पर बहस के लिये लिया जा सकता है। मैंने २४ तारीख वाली बात कही थी लेकिन इस शर्त के साथ। इसलिये विपरीत कोई बात नहीं हुई है।

श्री राजनारायण---आप चाहते हैं कि तीनों बिल कल पास हो जायं और तब उसके बाद चीन वाले बोर्डर के मसले पर बहस हो?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री राजनारायण---यह कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष---आपने सूचना चाही थी जो उन्होंने दे दी।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ दिसम्बर, १९५९।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६ पर)

नीमापुर नलकूप, जिला जौनपुर द्वारा सन् १९५८–५९ में खरीफ तथा रबी की फसलों की सिंचाई की बाबत सूचना

	वर्ष १९५८–५९	सिंचित क्षेत्र एकड़ में	कुल कितने दिन नलकूप चालू रहा	औसत प्रतिदिन घंटों में
खरीफ ..	.. ..	६३	५९	१२
रबी ..	.. ..	८३	३७	१२
	योग ..	१४६	९६ औसत	१२

विधान सभा सदस्य दर्शिका

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८० पर)

जिला गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में ऊंचे किये गये गांवों की सूची

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम
१	अहिरौली अहिरौली टोला अहिरौली टोला नं० २
२	औरहिया
३	औरहिया सटकोटिया रायपुर
४	केवटलिया टोला सटकोडिया रायपुर अहिरौली
५	टोला कोमर
६	बगदही छोटा, लक्ष्मीपुर
७	लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर टोला नं० १ लक्ष्मीपुर टोला नं० २
८	वगदुलारी
९	परसौनी
१०	वानकी नं० १ वानकी नं० २ टोला
११	जरदी
१२	अकटहवा अकटहवा टोला नं० १ अकटहवा टोला नं० २
१३	बरडीहवा बरडीहवा टोला नं० १ डोमरा का टोला बरडीहवा
१४	डोमरा
१५	डोमरा टोला नवलपुर नवलपुर
१६	खजाही टोला डोमरा
१७	हरखपुर, हरखपुर हरखपुर हरखपुर पूर्वी हरखपुर उत्तरी
१८	जरलहिया
१९	पकड़पुरवा
२०	पकड़पुरवा
२१	झुगिया
२२	टोला झुगिया
२३	कुटिया
२४	चहरी चहरी
२५	चहेरी टोला लक्ष्मीपुर दुलरिया टोला
२६	बड़हरा
२७	बड़हरा बड़हरा टोला नं० १ बड़हरा टोला नं० २
२८	चेनपुर चेनपुर टोला नं० १ चेनपुर टोला नं० २ चेनपुर खास
२९	अहिरौली ग्राम का पिपरपांती टोला
३०	अहरौली
३१	अहिरौली चेला टोला
३२	बेलवा लालसा
३३	खकचौक } मकनहा का टोला
३४	घोहवा } मकनहा का टोला
३५	महेवासार } मकनहा का टोला
३६	रघुबरपुर
३७	तलारीपुर
३८	पकड़डीहा
३९	गुरली टोला बुचिया टोला
४०	विरंचा टोला बरकढिया
४१	बिन्दा टोला
४२	जहान टोला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम	क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम
४३	टोला सुखपट्टी ग्राम कोटवा	५८	टोला पिपरक ग्राम बेलवा लासा
४४	कोरहवा	५९	टोला बरपठिया ग्राम गुरली
४५	कोठवा	६०	झरहिया नजदीक चेहरी
४६	टोला कोलवा जोत ग्राम चेहरी	६१	टोला छोटा लक्ष्मीपुर
४७	सलामतगढ़	६२	रानीपुर रानीपुर सहदेव टोला
४८	तरहवा	६३	अरबड़हवा अरबड़हवा
४९	थेरुआ	६४	नरकटहा
५०	तरहवा टोला बनहवा	६५	तेल्डीहा
५१	घुघली	६६	मिश्रौलिया
५२	बरैची	६७	बाकी थान
५३	बरैचा	६८	काशी टोला
५४	कुलेहुआ	६९	चेहरी दुर्गा टोला
५५	लक्ष्मीपुर टोला चकचक	७०	अछैबर का टोला
५६	पिपपाती		
५७	ओरहिया टोला सलामतगढ़		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९० पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये,

विधेयक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अवधि को, जो ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली है, बढ़ाने के निमित्त उसमें शोधन करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९५९" के स्थान पर अंक "१९६०" रख दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को अधिनियमित करने के लिये विधान मंडल के समक्ष जो विधेयक लाया गया था उसमें कोई ऐसी अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी थी जिसके पश्चात् अधिनियम का प्रचलन समाप्त हो जाता। परन्तु विधान सभा में की गई चर्चा के फलस्वरूप अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) म यह उपबंध बढ़ा दिया गया कि इसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो जायगी।

२—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ पर, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अब भी विचार किया जा रहा है। विधान मंडल द्वारा इस विधेयक के पारित किये जाने तथा बाद में जिला परिषदों के निर्वाचन कराने में पर्याप्त समय लग जाने की सम्भावना है।

३—अतएव वर्तमान अन्तरिम जिला परिषद की अवधि को ३१ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ाने और उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। तदनुसार इस विधेयक में व्यवस्था कर दी गयी है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९० पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९५९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उ० प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल अधिनियम, १९५४ का प्रचलन बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल अधिनियम, १९५४, ३१ दिसम्बर, १९५९ की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायेगा ;

और उक्त अधिनियम के प्रचलन को ३१ दिसम्बर, १९६२ तक बनाये रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई० की धारा १ का संशोधन

२—हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९५९" के स्थान पर अंक "१९६२" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल अधिनियम, १९५४ (उ० प्र० अधिनियम सं० १४, १९५५ ई०) की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली है। इस नगर की ऐसी स्थिति नहीं है कि इसे किसी प्रकार के स्थानीय निकाय में परिवर्तित किया जा सके। इसलिये यह आवश्यक है कि इस नगर को और तीन वर्ष तक विकास मंडल के प्रशासन में रखा जाय। अतएव हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६२ तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४३ एल० ए०—१९६०—८४५।